पंचम माला, खंड 9, अंक 13 बुधवार, 1 दिसम्बर, 1971/10 अग्रहायण, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. IX, No. 13 Wednesday, December 1, 1971/Agrahayana 10, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया
Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is Translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—13, बुधवार, 1 दिसम्बर, 1971/10 अग्रहायण, 1893 (शक)
No.—13, Wednesday, December 1, 1971/Agrahayana 10, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No		
362. जादवपुर पुलिस स्टेशन (पश्चिम बंगाल) के क्षेत्राधिकार में विजयगढ़ कालोनी के एक निवासी की हत्या	Murder of a Resident of Bejaygarh Colony under Jadavpur P. S. (West Bengal)	1—2
364. विभिन्न योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों से योजना आयोग का अनुरोध	Planning Commission's request of States to appraise progress of various Schemes	2—4
365. पश्चिम बंगाल में छात्र परिषद और यूथ कांग्रेस की गतिविधियां	Activities of Chhatra Parishad and Youth Congress in West Bengal	4—9
366. मोटरगाड़ी उद्योग का कार्यकरण	Performance of Automobiles Industry	9—11
367. पेंटाकोपा एक्सचेंजों का असंतोषजनक कार्य	Poor performance of Pentacopa Exchanges	11—13
368. विविध भारती यूनिट का दिल्ली से बम्बई स्थानांतरण	Shifting of Vividh Bharati Unit from Delhi to Bombay	13—14
371. बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए प्रस्ताव	Proposal for tackling problem of Unemployment	14—17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
372. भुवनेश्वर-दिल्ली के मध्य डायल घुमाकर सीधे टेली-फोन करने की व्यवस्था	Bhubaneswar-Delhi Direct Dialing System	17—18
373. राज्यपालों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for Governors	18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
361. केरल में कागज बनाने की मिल की स्थापना के लिए लाइसेंस	Licences for setting up Paper Mill in Kerala	19—20
363. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का तैनात किया जाना	Deployment of Cenrtal Industrial Security Force in Public Sector Undertakings	20—21
369. कोयम्बतूर--ऊटी--कोजीकोड माईक्रोवेव रेडियो रिले सिस्टम	Coimbatore-Ooty-Khozikode Micro Wave Radio Relay System	21
370. नागालैंड और मेघालय में धर्म प्रकारक	Missionaries in Nagaland and Meghalaya	21
374. छोटी कागज मिलों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन	Encouragement for setting up of Small Paper Mills	21—22
375. राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिये आंदोलन	Agitation for Autonomy to States	22
376. सीमेंट की कमी	Shortage of Cement	23
377. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अर्जित लाभ	Profit Earned by HMT	23—24
378. मैसर्स ब्रिटेनिया इन्जीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध जांच	Inquiry against M/s. Britania Engineering Co. Ltd., Calcutta	24
379. टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट बनाने का आधार	Basis of Creation af Telephone District	25
380. आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन	Regional Imbalances in Economic Growth	25—27

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
381. मोटर इन्डस्ट्रीज कंपनी को लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licence to Motor Industries Company	27—28
382. कन्नानूर में टेलीफोन और प्रधान डाक घर भवन समूह	Telephone, Telegraph and Head Post Office Complex at Cannanore	28—29
383. अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सर्किटों पर अर्ध-स्वचालित डायलिंग	Semi-Automatic Dialing on International Telephone Circuits	29
384. कागज तथा गत्ते का निर्यात तथा देश में उनकी कमी	Export of Paper and Paper Board and their Shortage in the Country	29—30
385. साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के समर्थकों पर आक्रमण के बारे में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल तथा मजदूर संघों की ओर से ज्ञापन	Memorandum Submitted by CPI (M) and Trade Unions re : Attacks on CPI (M) Supporters	30
386. मानव स्वास्थ्य पर तथा रेडियो और टेलीविजन संकेतों पर जोर से बजाये जाने वाले रेडियो के शोरगुल का प्रभाव का अध्ययन	Study of Impact of Man made Radio Noise on Human Health, Radio and T.V, Signals	31
387. केरल आर०ए०एस०/आई० सी०एस० आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा श्री सलाम की मुअत्तिली के बारे में पारित संकल्प पर केरल के मुख्य मंत्री की टिप्पणी	Kerala Chief Minister's Remarks on Resolution passed by Kerala IAS, ICS Officers' Association Re : the Suspension of Mr. Salam	31
388. राज्यों की स्वायत्तता	Autonomy of States	32
389. केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका की फाइलों का जब्त किया जाना	Seizure of Files of NDMC by CBI	32
390. इन्जीनियरिंग उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Engineering Industry	32—34

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. No.		
2330. मंत्रियों से सम्बन्धित सूचना अधिकारियों का प्रचार के विभिन्न साधनों वाले अन्य पदों पर बदला जाना	Inter Media Mobility of Information Officers to Ministers	34—35
2331. आकाशवाणी का विदेश सेवा कार्यक्रम	External Service Programme of AIR	35
2332. बड़ी फर्मों द्वारा छोटा नागपुर तथा पलामऊ के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Backward Areas of Chotanagpur and Palamau by Big Business Houses	35—36
2333. प्रतिभा मलायन	Brain Drain	36—37
2334. संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था	Joint Consultative Machinery	37
2335. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेशनल रजिस्टर में पंजीकृत वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच समन्वय का अभाव	Lack of Co-ordination between UPSC and CSIR in Exchange Information about Scientists Registered in National Register of CSIR	37—39
2336. कागज के मूल्य बढ़ाने की मांग	Demand for upward Revision of Prices of Paper	39
2337. खामपुर, दिल्ली स्थित उच्च शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर एक मेकेनिक की मृत्यु	Death of a Mechanic at High Powered Transmitter Site at Khampur, Delhi	39—40
2338. दिल्ली में नये टेलीविजन टोवर का निर्माण	Commissioning of New T. V. Tower in New Delhi	40
2339. भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध परीक्षाओं के लिये आयु सीमा में वृद्धि	Increase in Age Limit for IAS and Allied Examinations	40—41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2341. बिनौले की पेराई	Crushing of Cotton Seed	41
2342. चांदपुर नगरपालिका में एक पाकिस्तानी नागरिक का चुना जाना	Election of a Pakistani National to Chandpur Municipal Committee	41—42
2343. निश्चित आय वर्ग के लिये राज सहायता प्राप्त दरों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Essential Commodities on Subsidised Rates to Fixed Income Groups	42
2344. प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा भवन निर्माण संबंधी धन के अनधिकृत प्रयोग के बारे में शिकायतें	Complaints Regarding Unauthorised use of Building Funds by the Press Trust of India	42—43
2345. सेबलपुराई (तमिलनाडु) में साम्प्रदायिक तनाव	Communal Tension at Sevalapurai (T. N.)	43
2346. केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के दिल्ली में मकान तथा प्लाट	Central Government Ministers Owning Houses and Plots in Delhi	43
2347. कैबरे डांसर की रिहाई के बारे में निर्णय	Judgement for Acquittal of a Cabaret Dancer	43
2348. शिमला में लक्कड़ बाजार का धंस जाना	Sinking of Lakkar Bazar in Simla	44
2349. श्रीलंका में मंझले उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण	Survey for setting up of a Medium Scale Industries in Ceylon	44—45
2350. संसद सदस्यों और विधायकों द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन जिसमें हरियाणा के मुख्य मन्त्री और मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं	Memorandum to the President by M.P's. and M.L.A Levelling Charges against Chief Minister and Ministers of Haryana	45
1351. दिल्ली नगम निगम में गबन	Embazzlement in Delhi Municipal Corporation	45
2352. पंजाब में संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Joint Sector Industrial Projects in Punjab	46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2353. बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या आंकने की सांख्यकी प्रणाली में परिवर्तनों के बारे में बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का सुझाव	Suggestions by Expert Committee on Unemployment Re : Changes in Statistical Methods for Assessment of Unemployed	46—47
2354. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लि० द्वारा अर्जित लाभ	Profit Earned by B.H.E.L.	47—48
2355. विदेशों के सहयोग से उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Uttar Pradesh in Collaboration with Foreign Countries	48
2356. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स अजमेर	H.M.T. Ajmer	48—49
2357. हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड भोपाल की उत्पादन क्षमता	Capacity of Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal	49
2358. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मनुआगंज शिविर में पुलिस गोली कांड	Police Firing in Manuagunge Camp in Jalpaiguri District (West Bengal)	49
2359. बंगाल बंद	Bengal Bundh	49—50
2360. देश में चोरी और अन्य अपराधों के आरोप में विदेशियों की गिरफ्तारी	Arrest of Foreigners on charges of theft and other Crimes in the Country	50
2361. विस्तार कार्यक्रमों के लिए औद्योगिक गृहों की ओर से आवेदन पत्र	Applications from Industrial Houses for Expansion Programmes	50—51
2362. कोलगेट पाल्मोलिव (इंडिया) प्राइवेट लि०	Colgate Palmolive (India) Private Ltd.	51
2363. आसाम के करीमगंज में पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों द्वारा बाधा डालना	Alleged Obstruction by Pak. Saboteurs in Karimganj, Assam	51
2364. लघु उद्योग क्षेत्र में रसायनों का उत्पादन	Manufacture of Chemicals in Small Scale Sector	51—52
2365. दिल्ली नगर निगम पर बकाया ऋण	Loans outstanding against Delhi Municipal Corporation	52—53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2366.	यूनाईटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता के कस्टोडियन और मेनेजर को गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Custodian and Manager of United Commereial Bank, Calcutta	53
2367.	एरिया आर्गेनाइजर सुरक्षा महानिदेशक, कांगड़ा क्षेत्र, के विरुद्ध भ्रष्टाचार के ग्रारोप	Corruption Charges against Area Organiser Derector General Security, Kangra Area	54
2368.	वैज्ञानिक तथा ग्रौद्योगिक ग्रनुसंधान परिषद सम्बन्धी सरकार समिति का प्रतिवेदन	Sarkar Committee Repart on CSIR	54
2369.	वैज्ञानिक तथा ग्रौद्योगिक ग्रनुसंधान परिषद सम्बन्धी सरकारी समिति का प्रतिवेदन	Sarkar Committee Report on CSIR	55—56
2370.	पश्चिम बंगाल में ट्रक ग्रौर बस के टायरों ग्रौर ट्यूबों की कमी	Shortage of Truck and Bus Tyres and Tubes in West Bengal	56
2371.	सरकारी सेवा में ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रनुसूचित जनजातियों का कोटा	Quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government Services	56—58
2372.	बेबी फूड की कमी	Shortage of Baby Food	58
2373.	राजनीतिक दलों द्वारा आगामी चुनावों में आकाशवाणी से राजनीतिक विचारों का प्रसार	Propagation of views over AIR by Political Parties in Forthcoming Elections	58
2374.	भारत में विदेशी निवेश ग्रौर तकनीकी जानकारी का उपयोग	Utilisation of Foreign Investment and Know how in India	59
2375.	महाराष्ट्र रूई (वसूली परिष्करण ग्रौर विपणन) अधिनियम, 1971 का रूई के मूल्यों पर प्रभाव	Effect of Maharashtra Raw Cotton (Procurement Processing and Marketing) Act, 1971 on Cotton Prices	59—60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2376. केरल के समाचार पत्रों के पास अखबारी कागज की कमी	Supply of Newsprint to Kerala News Papers	60
2377. औद्योगिक विकास की कमी	Low Industrial Growth	60—61
2378. डाकघर बचत बैंकों सम्बन्धी धोखाघड़ी के मामले	Complaints Re : Post Office Savings Bank Frauds	61—62
2579. विभिन्न सर्वे एजेंसियों के कार्यों को समन्वित करने हेतु एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना	Constitution of a Central Board to Co-ordinate Activities of various Survey Agencies	62
2380. कोपनहेगन, डेनमार्क में विकासशील देशों में औद्योगिक अनुसंधान सम्बन्धी सेमिनार	Seminar on Industrial Research in Developing Countries in Copenhagen, Denmark	63
2381. विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये अवंतिका को दी गई सरकारी धनराशि की वसूली	Recovery of Government Money paid to Avantika for Publication of Advertisement	63
2382. 'कोटेशंस फ्राम माओ-से-तुंग' पुस्तक का जब्त किया जाना	Proscription of a Book Quotations from Mao Tse Tung	63—64
2383. विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के लिए एक समान आजीविका सम्बन्धी ढांचा	Unified Career Structure for Scientists in Universities and National Laboratories	64
2384. पश्चिम बंगाल को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to West Bengal	64
2385. संयुक्त सचिव (प्रसारण) की विदेश यात्रा	Trip of Joint Secretary (Broadcasting) to Overseas Countries	65
2386. डाक जीवन बीमा के लिए नये प्रस्ताव	New Proposals for Postal Life Insurance	65—67
2387. दिल्ली और मद्रास के बीच सीधी ए०टी०डी० सेवा	Delhi-Madras Point to Point STD Services	67
2388. बंगलौर सलेम कोयम्बतूर कोएक्सियल योजना	Bangalore Salem Coimbatore Boaxial Scheme	67

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2389. बम्बई-मद्रास-त्रिवेंद्रम माइक्रोवेव रेडियो रिले व्यवस्था	Bombay-Madras-Trivandrum Micrawave Radio Relay System	67—68
2390. बलियाघाट कलकत्ता में कथित बम विस्फोट	Alleged Bomb Explosion at Beliaghata, Calcutta	68
2391. पश्चिम बंगाल में आतंकवादियों के लिये अलग जेलें तथा उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए अलग अदालतें	Separate Jails and Courts for Trial of Extremists in West Bengal	68
2392. तिहाड़ जेल, नई दिल्ली से एक दोषसिद्ध व्यक्ति का गायब हो जाना	Disappearance of Convict from Tihar Jail, New Delhi	68—69
2394. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखानों में घड़ियों का उत्पादन	Production of Watches in HMT Factories in Bangalore and Srinagar	69
2395. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स पिंजोर में ट्रैक्टरों का उत्पादन	Production of Tractors in HMT Pinjore	69
2396. नागरवाला कांड में जांच के लिए संसद सदस्यों की मांग	Demand by M.P's. for an Inquiry into Nagarwala Scandal	69—70
2397. ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी करने वाले प्रकाशनों पर प्रतिबंध	Ban on Publication of Astrological Predictions	70
2398. किदवाईपुर पी० एंड टी० कालोनी, पटना में स्कूल भवन के निर्माण में हुई प्रगति	Progress in Construction of School Building in Kidwaipuri, P and T Colony, Patna	70
2399. पटना टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of Patna Telephone Advisory Committee	70
2400. आसाम मेल के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण डाक सेवा के लिये ट्रांजिट सेक्शंज का खोला जाना	Opening of Transit Sections for Mail Service due to Diversion of Rout of Assam Mail	70—71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2401. भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा केन्द्र को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया जाना	Advocacy of Strong Centre by former Chief Justice of India	71
2402. हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के निक्षेप	Uranium Deposits in Himachal Pradesh and Uttar Pradesh	71
2403. कारखाने स्थापित करने हेतु आशय पत्रों का जारी किया जाना	Issue of Letters of Intent for setting up of Projects	72
2404. राज्यों में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in States	72
2405. इंडियन सिविल सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारों की समाप्ति	Abolition of Privileges of ICS and PCS Officers	73
2406. तेलंगाना समस्या का हल	Settlement of Telengana Problem	73—74
2407. भारत में विदेशी फिल्मों का दिखाया जाना	Exhibition of Foreign Films in India	74
2408. देश के पूर्वी भाग में पाकिस्तानी घुस-पैठियों द्वारा विध्वंसक कार्यवाही	Subversive Activities of Pak. Infiltrators in Eastern Part of the Country	74
2409. बिहार के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Bihar	74—75
2410. दम-दम रोड, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) के निकट गुंडों द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के समर्थक का गोली से मार दिया जाना	CPI (M) Supporter shot Dead by Miscreants near Dum-Dum Road, Howrah (West Bengal)	75
2411. दीनानाथ घोष स्टेशन, हावड़ा से भारतीन साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के एक कार्यकर्ता की हत्या	Murder of CPI (M) Worker at Dinanath Ghosh Station, Howrah	75—76
2412. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एक कर्मचारी की जी० टी० रोड़, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) पर कथित हत्या किया जाना	Alleged Murder of a CPI (M) Worker at G. T. Road, Howrah (West Bengal)	76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2413. गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी एजेंटों और जासूसों से हथियार और गोलाबारूद बरामद होना	Recovery of Arms and Ammunition from arrested Pak. Agents and Spies	76—77
2414. संयुक्त क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters in Joint Sector	77
2415. रेयान ग्रेड पल्प का उत्पादन	Manufacture of Rayon Grade Pulp	77
2416. हिप्पियों द्वारा श्रीनगर में आयोजित शिविर	Camp Organised by Hippies at Srinagar	78
2417. जिला मालदा (पश्चिम बंगाल) में अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी	Shortage of Essential Commodities in Malda District, (West Bengal)	78
2418. जामनगर में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Jamnagar	78—79
2419. जामनगर का डाक व तार विभाग के दूसरे वर्ग में शामिल किया जाना	Inclusion of Jamnagar in Second Class Posts and Telegraphs Division	79
2420. दार्जिलिंग में लघु उद्योग	Small Industries in Darjeeling	79
2421. वायरलैस आपरेटरों का प्रशिक्षण	Training of Wireless Operators	79—80
2422. चौथी योजना में विद्युत क्षेत्र में केरल की नई योजनायें शामिल न किया जाना	Non-inclusion of Fresh Projects in Electrical Sector in Fourth Plan of Kerala	80
2423. श्रमिक तालिका में प्रतिनिधित्व के लिये श्रमिक संघों के नेताओं का अनुरोध	Request by Trade Union Leaders for Representation on Labour Panel	80—81
2424. छोटी कार का निर्माण करने के लिये आशय पत्र पर लाइसेंस जारी करना	Issue of Letters of Intent/Licence for Manufacture of Small Car	81
2425. सी० आई० टी० यू० के नेतृत्व वाली हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन, दुर्गापुर के एक कर्मचारी की मृत्यु	Death of an Employee of CITU led Hindustan Steel Employees Union Durgapur	81—82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2427. उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद की स्थायी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Standing Committee of Central Advisory Council of Industries	82
2429. महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra-Mysore Boundary Dispute	83
2430. टेलीफोन मीटर	Telephone Meters	83
2431. टेलीफोन केन्द्रों की अप्रयुक्त क्षमता	Unutilised Capacity of Telephone Exchange	83—84
2432. दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन	Provision of Telephone Connections in Delhi and New Delhi	84—85
2433. पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा नागरिकों और सशस्त्र दलों के लोगों का अपहरण	Kidnapping of Civilians and Armed Personnel by Pak. Soldiers	85
2434. केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Investment by CBI against Government Employees	85
2435. गौहाटी के पास विस्फोटक सामग्री का बरामद होना	Recovery of Explosive Material near Gauhati	85—86
2436. जम्मू-काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Spies in Jammu and Kashmir	86
2437. गोआ के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Investigation by CBI into Charges against Chief Minister of Goa	86
2439. कार मूल्य जांच आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना	Decision on Recommendations of Car Prices Enquiry Commission	86—87
2440. हावड़ा में दो अध्यापकों की कथित हत्या	Alleged Murder of two Teachers in Howrah	87
2441. पश्चिम बंगाल के लिये योजना आयोग	Planning Commission for West Bengal	87
2442. विदेशी सहयोग के लिये आवेदन-पत्र	Applications for Foreign Collaboration	88
2443. बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये उद्योगों का प्रसार	Dispersal of Industry to Tackle Unemployment Problem	88—89

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2444.	बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में प्रगति — Progress made in Removing Unemployment	89—90
2445.	आगरा को पृथक राज्य बनाने की मांग — Separate State for Agra	91
2446.	नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना — Setting up of New Radio Stations	91—93
2447.	सरकार द्वारा संकटग्रस्त उद्योगों को अपने अधिकार में लेने पर होने वाला व्यय — Financial Implications of Government to take over of Sick Industries	93
2449.	रानीगंज (पश्चिम बंगाल) में बंगाल पेपर मिल का बन्द होना — Closure of Bengal Paper Mill Co. Raniganj (West Bengal)	94
2450.	साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जांच आयोगों के प्रतिवेदन — Report of Inquiry Commissions on Communal Riots	94
2451.	इन्टरनैशनल तम्बाकू लिमिटेड का विस्तार — Expansion of International Tobacco Ltd.	94—95
2452.	नई दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन — Conference of Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad in New Delhi	95
2453.	दिल्ली में गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिये एक विधेयक का पुरःस्थापित किया जाना — Introduction of a Bill on Management of Gurdwaras in Delhi	95
2454.	अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना — Raising of Age Limit for Entry to All India Services	96
2456.	महानगरों में कैबरे नाच — Cabret Dances in Metropolitan Cities	96
2457.	सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना — Raising of Age Limit for Recruitment of Government Employees	96—97
2458.	दिल्ली के लाल किले में धूम्र हथ गोले मिलना — Recovery of Smoke Grenades in Red Fort Delhi	97
2459.	समाज विरोधी तत्वों द्वारा कथित गोलाबारी — Alleged Firing by Anti Social Elements	97—98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठे Pages
2460. दक्षिणदरी, दमदम (पश्चिम बंगाल) की दो कालोनियों में समाज विरोधी तत्वों द्वारा मकानों का जलाया जाना	Burning of Houses by Anti Social Elements in two Colonies af Dakhindari, Dum Dum (West Bengal)	98
2461. स्थानीय सहयोग से भारत में उद्योगों की स्थापना के लिये विदेशों से प्रस्ताव	Offer from Foreign Countries for Setting up Industries in India with Local Collaboration	98—99
2463. ट्रैक्टरों के उत्पादन में कमी	Shortfall in Production of Tractors	99
2464. हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड का बन्द होना	Closure of Hindustan Tractors Ltd.	100
2465. हिन्दुस्तान टैलीप्रिंटर्ज लिमिटेड, मद्रास	Hindustan Teleprinters Ltd., Madras	101
2466. अनुश्रवण स्टेशनों में दिशा ज्ञात करने की चल सुविधा का अभाव	Monitoring Stations Lacking Mobile Direction Finding Facility	101
2467. अनुश्रवण उपकरण का विकास	Development of Monitoring Equipment	101—102
2468. ट्रांसमिशन फैक्टरी, नैनी में उत्पादन	Production at New Transmission Factory, Naini	102
2469. धुम्रपान के प्रति हतोत्साहित करने के लिये विभिन्न साधनों से प्रचार	Multi Media Publicity to Discourage Smoking	102
2470. मैसूर में पिस्टन के रिंग बनाने की फैक्टरी	Setting up of a Factory in Mysore for Manufacturing Piston Rings	103
2471. पंजाब में परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने की मांग	Demand for a Nuclear Station in Punjab	103
2472. केरल में उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव	Proposals for Setting up of Industries in Kerala	103—104
2473. केरल में टेलीविजन सेट बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of TV Unit in Kerala	104

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2474.	पंजाब पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध आरोप — Changes against Punjab I.G. Police	104
2475.	गवर्नमेंट कालेज, मुक्तसर (पंजाब) के विद्यार्थियों की कथित मारपीट — Alleged Beating of Students of Government College, Muktsar (Punjab)	105
2477.	केन्द्रीय सूचना सेवा में पदोन्नति — Promotion in CIS	105
2478.	जासूसी करने के अपराध में पूर्वी राज्यों से पाकिस्तान भेजे गये व्यक्ति — Persons Deported from Eastern States to Pakistan on Charges of Espionage	105—106
2479.	भारत में प्रदर्शित अपराध वृत्ति को बढ़ाने वाली विदेशी फिल्मों का प्रभाव — Effect of Screening of Crime Provoking Foreign Films in India	106
2480.	पाकिस्तानी घुसपैठियों को छोड़ कर अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का भारत में निश्चित अवधि से अधिक समय तक ठहराना — Overstay of Pak. Nationals Excluding Pak. Infiltrators in India	106
2481.	टेलीविजन कर्मचारियों के लिये विशेष विदेशी प्रशिक्षण — Special Foreign Training for TV Employees	107
2482.	दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के बारे में मोरारका समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही — Actions on Recommendations of Morarka Committee Re. DMC and NDMC	107
2483.	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन — Pension to Freedom Fighters	107—108
2484.	ग्वालियर रेयन फैक्टरी, नागदा में लुग्दी की कमी — Shortage of Pulp in Gwalior Rayan Factory, Nagda	108
2485.	मदर इण्डिया के सम्पादक की भर्त्सना — Censure of Mother India Editor	108—109
2486.	बहराइच (उत्तर प्रदेश) में माचिस बनाने का कारखाना — Match Box Factory in Bahraich (U.P.)	109

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2487. त्रिपुरा में अनियमित डाक तार सेवाएं	Irregular P and T Services in Tripura	109—110
2488. दिल्ली के गुरुद्वारों के नियंत्रण पर अकालियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Akalis on Control of Delhi Gurdwaras	110
2489. 1971-72 के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for 1971-72	110
2490. संसद सदस्यों के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Government Employees making Representations through Members of Parliament	111
2491. संगीत और नाटक डिवीजन के कलाकारों को ठेका समाप्त करने की धमकी देना	Song and Drama Division Artistes threatened with Termination of Contract	111—112
2492. राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगीकीय उच्च निकायों की स्थापना	Setting up of Apex Bodies in States for Technology	112
2493. परमाणु इन्जीनियरी के लिये भूमिगत परमाणु परीक्षण	Underground Nuclear Tests for Nuclear Engineering	112—113
2494. दिल्ली के लिये औद्योगिक नीति	Industrial Policy for Delhi	114—116
2495. दिल्ली पुलिस की संख्या बढ़ाना	Strengthening of Delhi Police	116—117
2496. विभिन्न दलों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा पृथककारी विचारों का प्रसार	Propagation of Secessionist Ideas by various Groups and Political Parties	118
2497. साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने के लिये संसद-सदस्यों का ज्ञापन	Memorandum from Members of Parliament for a ban on Communal Organisations	118
2498. छोटे और सस्ते टेलीविजन सेट बनाना	Manufacture of Smaller and Cheaper TV-Sets	118—119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2499. राकेट छोड़ने के स्टेशन को थुम्बा से आन्ध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा को स्थानान्तरित करना	Shifting of Rocket Launching Station from Thumba to Sri Harikota in Andhra Pradesh	119
2500. प्रथम श्रेणी के लिये पदोन्नति कोटे में वृद्धि करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	ARC Recommendation re. Increase in Promotion quota to Class I	119—120
2501. जनजातीय क्षेत्रों में आकाशवाणी के स्टेशनों के प्रसारणों में जनजातियों के लोगों द्वारा भाग लेना	Tribals taking part in Broadcasting over AIR Stations in Tribal Areas	120
2502. उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को अनुदान	Grant to Industrial Units in Backward Areas in Orissa	120
2503. विदेशी सहयोग से स्कूटरों का निर्माण किया जाना	Manufacture of Scooters with Foreign Collaboration	121
2504 इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में जापानी कम्पनियों के साथ सहयोग	Collaboration with Japanese Firms in the the Field of Electronics	121
2505. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिये विशेषज्ञों का दल	Team of Experts for Setting up of Industries in Public and Private Sectors in North Eastern Regions	121—122
2506. स्पन बिजली परियोजनाओं के द्वारा मध्य प्रदेश में औद्योगीकरण	Industrialisation of Madhya Pradesh through Hydel Projects	122
2507. संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Joint Sector	122—123
2508. रोजगार के अवसर और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु चौथी योजना में प्रस्तावित परिवर्तन	Changes Contemplated in Fourth Plan for Increasing Employment and Industrial Production	123
2509. मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Public Sector Projects in Madhya Pradesh	123

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2510. लाइसेंसों के लिये मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रार्थना पत्र	Applications Received from M.P. for Licences	124
2511. मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Madhya Pradesh	124—125
2512. उत्तराखंड में विकास की धीमी गति	Slow Pace of Development in Uttarkhand	125—126
2513. विवलोन स्थित इन्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड में हड़ताल	Strike in India Rare Earths Limited Quilon	126—227
2515. राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों का कार्यान्वियन	Implementation of Planned Progress in States	127
2516. छोटी कार परियोजना के लिये स्थान का चयन	Site for Small Car Project	127
2517. परमाणु विशेषज्ञों द्वारा राणा प्रताप सागर स्थित रिएक्टरों की जांच के लिये अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता	Agreement with International Atomic Energy Lagency for Inspection of Nuclear Reactors at Ranapratap Sagar by Atomic Experts	127—128
2518. भारतीय फिल्मों में चुम्बन	'Kissing' in Indian Films	128
2519 उद्योगों को स्थापना के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending Applications for Setting up Industries	128—12
2520. संचार मंत्रालय के कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के कारण हानि	Drain Resulting from Medical Reinbursement Bills to Employees of Communications Ministry	129
2521. हैदराबाद में तेलगू फिल्मों के लिये एक सैंसर बोर्ड की स्थापना	Setting up of a Censor Board for Telugu Films at Hyderabad	129
2522. अग्रिम क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाना	Installation of High Powered Transmitters in Forward Areas	130
2523. पश्चिम बंगाल में नगर विकास योजनाओं में गतिरोध	Stagnation in Urban Development Schemes in West Bengal	130—131

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2524. पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के संघों की मान्यता का वापिस लिया जाना	Withdrawal of Recognition to Government Employees' Unions in West Bengal	131—132
2525. श्रीनगर डाकघर का नष्ट हो जाना	Srinagar Post Office Building Gutted	132
2526. औद्योगिक लाइसेंसों के लिये पश्चिम बंगाल से प्राप्त आवेदन पत्र	Applications Received from West Bengal for Industrial Licences	132—133
2527. हरिजन/निर्बल वर्ग कल्याण निगम	Welfare Corporations for Harijans/ Weaker Section	133
2528. केरल में बन्द उद्योगों का पुनः चालू किया जाना	Reopening of Closed Industries in Kerala	133
2529. केरल के विकास हेतु सहायता की मांग	Demand for Assistance for Development of Kerala	133—134
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	134—138
बिहार में किसानों के पास कच्चे पटसन का स्टाक जमा हो जाने का समाचार	Reported Piling up of Raw Jute Stocks in Bihar	134—135
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	135
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	135—136
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	139
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	139
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	139—140
नियम 377 के अधीन विषय	Matter under Rule 377	140
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान	Payment of Enhanced D.A. to Government Servants	140
संविधान (25वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill	140—169
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	140
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra	140—142

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	142—143
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	143—144
श्री धरनीधर दास	Shri Dharindhar Das	144—145
श्री सिद्धार्थ शंकर राय	Shri Siddhartha Shankar Ray	145—147
श्री वी० के० कृष्ण मेनन	Shri V. K. Krishna Menon	147—149
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	149—150
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque	150
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	150—151
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	151—152
श्री एस० एल० सक्सेना	Shri S. L. Saksena	152
श्री नागेश्वर राव	Shri Nageshwara Rao	152
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi	152—154
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	155
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	157
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass as Amended	157—169
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	169
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	169

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 1 दिसम्बर, 1971/10 अग्रहायण, 1893 (शक)
Wednesday, December 1, 1971/Agrahayana 10, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बज कर तीन मिनट पर समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Three Minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जादवपुर पुलिस स्टेशन (पश्चिम बंगाल) के क्षेत्राधिकार में विजयगढ़ कालोनी के एक निवासी की हत्या

*362. **डा० सरदीश राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जादवपुर पुलिस स्टेशन (पश्चिम बंगाल) के क्षेत्राधिकार में विजयगढ़ कालोनी के एक निवासी श्री कनाई लाल मुखर्जी की नृशंस हत्या की ओर दिलाया गया है जिनका शव 3 अक्तूबर, 1971 को रायपुर चासपारा के एक खेत में पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो आक्रमणकारियों को सजा देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार जादवपुर पुलिस थाने की विजयगढ़ कालोनी के निवासी श्री कनाई लाल मुकर्जी का शव, जिस पर गोली तथा छुरे के घाव थे, पुलिस को मौरा नकताला के एक खेत में मिला । आरोप यह है कि बदमाशों द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया था तथा हत्या कर दी गई थी । इस घटना पर जादवपुर थाने में एक मामला दर्ज किया गया तथा उसकी छान-बीन की जा रही है । अब तक पांच व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं ।

डा० सरदीश राय : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि किसी राजनीतिक कार्यकर्त्ता के अपहरण और हत्या की यह पहली घटना नहीं है अपितु आए दिन पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं, और राजनीतिक व्यक्तियों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी जाती है, विशेषत: हमारे दल के व्यक्तियों की, और साथ ही, इस तथ्य को भी दृष्टि में रखते हुए कि जब इस प्रकार के अपहरण के मामलों की सूचना पुलिस को दी जाती है तो वह ऐसी घटनाओं के प्रति उदासीन रहती है तथा ऐसे मामलों में हत्या हो जाने के बाद ही पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को जो कि पश्चिम बंगाल की दिनचर्या का एक अंग बन गई हैं, रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इस बात की जानकारी तो नहीं है कि माननीय सदस्य का सम्बन्ध किस राजनीतिक दल से है, परन्तु जो जानकारी मुझे उपलब्ध है उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो पांच व्यक्ति इस मामले में बन्दी बनाए गए हैं उनका सम्बन्ध साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल से है ।

डा० सरदीश राय : और एक साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के कार्यकर्त्ता की हत्या की गई है । स्थिति की विडम्बना यह है कि जो लोग अपहरण तथा हत्या की शिकायत करते हैं, उन्हीं लोगों को उनके मित्रों तथा साथी कार्यकर्त्ताओं सहित बन्दी बना लिया जाता है ताकि दोषी व्यक्तियों को सजा से बचाया जा सके । यह स्थिति पश्चिम बंगाल की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मामला दर्ज कराते समय कुछ विशेष व्यक्तियों के नाम दिए गए थे, तो फिर उन व्यक्तियों को बन्दी क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम दिए गए थे, परन्तु उन्हें बन्दी नहीं बनाया गया । यह ठीक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए थे परन्तु उन्हें बन्दी नहीं बनाया गया था । जो जानकारी मुझ को प्राप्त हुई है उसमें यह भी बताया गया है कि उन व्यक्तियों का सम्बन्ध भी मार्क्सवादी साम्यवादी दल से है ।

विभिन्न योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों से योजना आयोग का अनुरोध

+

*364. **श्री पी० गंगा देव** :

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से **संसाधनों की कमी, अन्तर्क्षेत्रीय असंतुलनों** और योजना के कार्यक्रमों को **क्रियान्वित करने सम्बन्धी समस्याओं का पता** लगाने में अब तक हुई प्रगति का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभी क्षेत्रों अर्थात् केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना को नया रूप देने और अर्थ व्यवस्था **में पूंजीनिवेश** की गति बढ़ाने और उसकी **उपयोगिता** को कारगर बनाने सम्बन्धी मूल्यांकन पूरा हो गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । परन्तु मूल्यांकन शीघ्र ही पूरा हो जाएगा ।

श्री पी० गंगादेव : क्या योजना आयोग ने उड़ीसा तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों को, जहां कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कमी है, किसी प्रकार अनुपूरक सहायता देने का कोई निर्णय किया है और यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ।

श्री मोहन धारिया : वर्ष 1972-73 और 1973-74 की योजनाओं के बारे में हम विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के दौरान इस प्रकार की सभी कठिनाईयों पर विचार किया जायेगा ।

श्री पी० गंगादेव : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने गैर-योजना व्ययों को कम करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की सलाह दी है और, यदि हां, तो उसपर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोहन धारिया : यह सही है कि हमने राज्य सरकारों से यह कहा है कि उन्हें गैर-योजना व्यय को स्वयं पूरा करना चाहिये तथा "ओवर ड्राफ्ट" नहीं लेने चाहिये । परन्तु जिस चर्चा का मैं उल्लेख कर चुका हूं, उसमें इस पहलू पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री पी० गंगादेव : मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन भी मैंने यह कहा था कि आपको तीन प्रश्न पूछने की प्रथा नहीं बना लेनी चाहिये ।

श्री पी० गंगादेव : केवल एक प्रश्न और ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं वर्तमान प्रथा को तोड़ना नहीं चाहता । फिर अन्य सदस्य भी यही बात कहेंगे कि "केवल एक प्रश्न" की अनुमति और दे दीजिए । आप अपना प्रश्न ऐसे ढंग से पूछ सकते थे कि उसमें आपकी सारी बात आ जाती । आपको यह मालूम होना चाहिये कि यहां केवल दो ही प्रश्न पूछने की अनुमति होती है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : राज्यों की योजनाओं के क्षेत्रीय असंतुलनों के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग या योजना के प्रभारी मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को यह निदेश दिये गये हैं कि क्षेत्रीय असंतुलनों को राज्यों को आवंटित संसाधनों द्वारा ही समाप्त किया जाना चाहिये और क्या उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित दैवी प्रकोपों यथा सूखे तथा बाढ़ के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है और, यदि हां, तो राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में क्या आधारभूत मार्गदर्शी निदेश दिये गये हैं ?

श्री मोहन धारिया : राष्ट्रीय विकास परिषद ने असंतुलनों और पिछड़ेपन दोनों ही पहलुओं पर विचार किया है और बाढ़ों तथा तूफानों जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के लिए 19 प्रतिशत केन्द्र की सहायता की व्यवस्था की गई है । इस पर पहले ही उचित ध्यान दिया जा चुका है ।

Shri Ishaq Sambhali : Whereas the State Governments have been advieed on this matter, may I know whether Government propose to give more assistance to the States which are comparatively more backward ?

श्री मोहन धारिया : राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो सूत्र बनाया गया था, उसके आधार पर योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े हुए राज्यों की कठिनाईयों पर विचार कर लिया है और उन्हें विभिन्न निधियों का आवंटन कर दिया है और इसके साथ ही पिछड़े हुए राज्यों के गैर-योजना व्यय के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता भी दी जाती है ।

Shri Nathu Ram Ahiwar : Mr. Speaker. Sir. may I know whether decisions regarding backward areas are taken by the State Governments or by the Centre on the recommendation of its Committee ? The area of Madhya Pradesh which has declared backward is not so backward as the Northern part of that State, so I would like to know whether Government will reconsider the same ?

श्री मोहन धारिया : योजना आयोग ने इसके लिये मापदंड निर्धारित किया हुआ है। फिर भी जहां तक राज्यों के पिछड़े जिलों का प्रश्न है, उसका निर्णय सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । यह कार्य हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता ।

पश्चिम बंगाल में छात्र परिषद और यूथ कांग्रेस की गतिविधियाँ

*365. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में (छात्र परिषद्) और यूथ कांग्रेस की गतिविधियों की ओर दिलाया गया है जो सरकारी कार्यालयों में दाखिल हो जाते हैं और कर्मचारियों की कुर्सियों पर बैठ कर और उन पर हमला कर उन्हें भड़काते हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कर्मचारियों से कोई विरोध पत्र मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी संघ की समन्वय समिति के सचिव ने इस आशय की शिकायत की थी कि छात्र परिषद के सदस्य सरकारी कार्यालयों में दाखिल हो गये और उन्होंने उनकी कुर्सियों पर बैठकर और उनपर हमला करते हुए कर्मचारियों को भड़काया । शिकायत में ऐसे 23 उदाहरण दिये गये हैं जिनमें छात्र परिषद और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अन्तर्ग्रस्त होने के आरोप हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी 23 आरोपों की जांच की गई थी । पता चला है कि सितम्बर-अक्तूबर में सात अवसरों पर, छात्र परिषद और युवा कांग्रेस के कार्यकर्त्ता सरकारी कार्यालयों में दाखिल हुए, कुर्सियों पर बैठे परन्तु हर बार उन्हें शांतिपूर्वक कार्यालयों को छोड़ने के लिए मना लिया गया था । अन्य छः मामलों में, छात्र परिषद और युवा कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने सम्बन्धित कार्यालयों के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किये । ये प्रदर्शन कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के देर से पहुँचने के कारण जनता को होने वाली असुविधा के विरोध में छात्र परिषद अभियान के रूप में थे । शेष दस मामलों में, आरोप निराधार पाये गये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मन्त्री महोदय द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि इस मामले में शिकायतें की गई थी परन्तु उन में से किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल 23 ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है जिन में कि छात्र परिषद और युवा कांग्रेस के कार्यकर्त्ता अन्तर्गस्त थे और उन पर लगाए गये आरोपों की जांच की गई थी। इसके साथ ही विवरण में यह भी कहा गया है कि 10 मामलों में तो यह आरोप निराधार पाये गये और शेष मामलों में इन्हें स्वीकार किया गया है। परन्तु किसी भी मामले में सरकारी कार्यालयों में घुस कर कुर्सियों पर बैठने वाले छात्र-परिषद और युवा-कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कानून का उल्लंघन करने तथा सरकारी इमारतों में घुसने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध इस प्रकार का रुख अपनाने का क्या कारण है ? उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : कार्यालय में घुसना और कुर्सी पर बैठ जाना क्या कोई अपराध है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर मंत्री महोदय को देने दीजिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रीमान जी, मान लीजिये आप किसी दिन नहीं आते और कोई अन्य व्यक्ति आपकी कुर्सी पर बैठ जाये।

अध्यक्ष महोदय : कामना करता हूं कि ऐसा दिन कभी न आये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ईश्वर ऐसा न करे। परन्तु यदि किसी दिन ऐसा हो जाये तो तो श्री दीनेन भट्टाचार्य सब से पहले आप की कुर्सी पर जा बैठेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी तो इसी बात का भय है।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : जैसा कि मैं विवरण में स्पष्ट कर चुका हूँ 23 आरोप लगाये गये थे और उनकी जांच की गई थी। जांच के बाद यह पता चला कि 7 मामलों में तो छात्र परिषद और युवा कांग्रेस के कार्यकर्त्ता सरकारी कार्यालयों में घुसे और कुर्सियों पर बैठ गये परन्तु हर बार उन्हें शांतिपूर्वक कार्यालयों को छोड़ने के लिये मना लिया गया। ये प्रदर्शन कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के देर से पहुंचने के कारण जनता को होने वाली असुविधा के विरोध में छात्र-परिषद अभियान के रूप में थे। शेष दस मामलों में आरोप निराधार पाये गये। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई बात ही नहीं थी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि सदन में श्री पन्त ने छात्र-परिषद और युवा कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के प्रति जो रुख अब अपनाया है, उस से...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच कि इस प्रकार के अबैध कार्य करने के लिए उन्हें नई दिल्ली द्वारा प्रेरित किया जा रहा है ? उदाहरणार्थ मैंने कहा कि...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप कृपयः प्रश्न पूछिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सत्य है कि हावड़ा में एक ऐसा टेलीफोन केंद्र है जहां कि जन साधारण को जाने की अनुमति नहीं है। छात्र-परिषद के कार्यकर्ता उसके अन्दर घुस गये, उन्होंने उसे तहस-नहस कर डाला तथा वहां के प्रभारी को चाबियां

देने के लिए बाध्य कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है और क्या श्री पन्त तथा उनके दल के लोगों द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही को यहां प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : मेरे माननीय मित्र ने पहले भी यह आरोप लगाया था और इस सम्बन्ध में मैं अलग से जांच करा रहा हूं। जब पिछली बार उन्होंने यह आरोप लगाया था, मैंने तभी उसे नोट कर लिया था।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अन्तिम सूचना प्राप्त होने में कितना समय लगेगा।

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : मुझे अभी अन्तिम सूचना नहीं मिली है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं जांच कर रहा हूं। मुझे अभी तक याद है कि मैंने पहले भी इसे नोट किया था। प्रश्न यह है कि क्या आजकल बंगाल में माननीय सदस्य के दल के लोग बेकार की बातों पर कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए उकसा रहे हैं...

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'बेकार की बातों पर' यह अपनी-अपनी विचारधारा है।

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : क्या उन्होंने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की अथवा परामर्श नहीं दिया जिससे कर्मचारियों में अनुशासनहीनता तथा अनियमितता पैदा हुई...

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह कहना इसी प्रकार है जैसे किसी डाक्टर से कहा जाये कि पहले आप अपने को स्वस्थ करें।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है। मेरे विचार से छात्र-परिषद का उद्देश्य ऐसे वाक्य बोलकर ही कर्मचारियों को उकसाना है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं किसी को कोई निर्देश नहीं दे रहा हूं...

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वे गैर-कानूनी कदम थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं वस्तुस्थिति का उपयुक्त चित्रण करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक कांग्रेसी के रूप में।

श्री वयालार रवि : क्या सरकार को पता है कि छात्र-परिषद और युवा-कांग्रेस, मार्क्सवादी दल द्वारा आयोजित बन्द के समय लोगों की सेवा करती रही है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार जनता को और अधिक प्रोत्साहन देगी कि वे आगे ऐसी बुराइयों का सामना करें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय मित्र की इस बात से सहमत हूं कि जो व्यक्ति किसी स्थिति को समाप्त न करके उसे बनाये रखते हैं, वे देश की सेवा करते हैं।

श्री सुबोध हंसदा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जो कर्मचारी जान-बूझकर देरी से कार्यालय पहुँचे, विशेषतया हड़ताल के दौरान, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कार्यालयों के छात्र परिषद् की उपस्थिति के सम्बन्ध में है अधिकारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में नहीं...

श्री सुबोध हंसदा : यह छात्रपरिषद् के अधिकारियों से सम्बन्धित है ..

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : राज्य के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार भरसक

प्रयत्न कर रही है और कार्यालयों में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति के लिए अनुदेश दिए गए हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु उठे

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपस्थित क्यों नहीं रह जाते ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रश्न को पूछने के पश्चात मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि इसके पश्चात मुझे और भी कई कार्य करने हैं।

क्या यह सच है कि छात्रपरिषद् के सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के कार्यालय में घुस गये और वहां से प्रत्येक वस्तु लूट ली तथा परसों उन्होंने टैक्सीवालों को पीटा, जिसके फलस्वरूप हड़ताल हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न काफी दिन पहले का है परसों की घटना से सम्बन्धित नहीं है, अब माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप हमारे साथ भी कृपया नम्र व्यवहार करें। आप को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये जैसा कि आपने किया है। न ही आप मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा...(**व्यवधान**) मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सीधा प्रश्न पूछा है कि क्या छात्रपरिषद के हुड़दंग मचाने वाले लड़के उपकुलपति के कार्यालय में घुस गये तथा वहां से प्रत्येक वस्तु लूट ली...

श्री वयालार रवि : ये हुड़दंग मचाने वाले नहीं हैं (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे चुप नहीं करा सकते। नियम 40 की व्यवस्था उपलब्ध है और यह बहुत स्पष्ट है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : समाचारपत्रों में ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में जिस घटना का संदर्भ दिया गया है, क्या यह घटना उससे पुरानी है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : अनुपूरक प्रश्न किसी भी घटना पर पूछा जा सकता है। नियम 42 में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है। वर्तमान नियमों के स्थान पर नये नियम लादने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। मुझे यह स्थिति स्वीकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रतिदिन का इस प्रकार का प्रदर्शन असहनीय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपने अधिकारों से सदन में उपस्थित हूं। सदन के नियम मुझे स्वीकार है अन्य कोई भी मुझे धोखे में नहीं रख सकता।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे !

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है अथवा नहीं कि छात्रपरिषद के सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के कार्यालय में घुस गये और कार्यालयों में लूट-पाट की। यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि यह समाचार कल प्रकाशित हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी, नहीं। मुझे खेद है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी है। मैंने

टैक्सी चालकों के परसों पीटे जाने तथा उसके फलस्वरूप की गई हड़ताल की बात कही थी। आपने मेरी बात नहीं सुनी है। आपका व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा है। यह दुख का विषय है। मैं पूछ रहा था कि क्या कुछ दिन पहले छात्रपरिषद के सदस्य बलपूर्वक उपकुलपति के कार्यालय में घुसे थे और क्या यह घटना सच थी।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यह प्रश्न छात्र परिषद द्वारा सरकारी कार्यालय पर संभावित कब्जे के सम्बन्ध में है। विश्वविद्यालय उसमें नहीं आता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपकुलपति का कार्यालय। प्रश्न से बचने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बार आप उग्र न बनें। मैं इसे सहन नहीं करूंगा।

आपने कहा है कि यह परसों की घटना है। प्रश्न का नोटिस बहुत पहले दिया गया था। यदि यह घटना नोटिस से पहले होती, तो यह प्रश्न उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। परन्तु परसों की घटना के विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। प्रश्न के नोटिस देने की तिथि के चार, पांच दिन पश्चात यह प्रश्न छपा है। यदि यह घटना नोटिस देने से पहले की है, तो मन्त्री उत्तर दे सकते हैं। आपने कहा हैं कि यह परसों की घटना है। आपने प्रश्न बदल दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप रिपोर्ट मंगाकर देखिए। आपने ठीक प्रकार मेरी बात नहीं सुनी है। मैंने दो घटनाओं का उल्लेख किया है, एक वह, जिसमें छात्रपरिषद के सदस्यों ने उपकुलपति के कार्यालय में प्रवेश करके वहां लूट-पाट मचाई। दूसरी घटना परसों की है जब छात्रपरिषद् के एक सदस्य ने एक टैक्सी वाले को पीटा जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने हड़ताल की है।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न के नोटिस से पूर्व की घटना के विषय में उत्तर चाहिये न कि बाद की घटना के विषय में।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह छात्रपरिषद की उस घटना के सम्बन्ध में है जबकि छात्रपरिषद के सदस्य ने सरकारी कार्यालयों के प्रवेश करके कर्मचारियों के स्थानों पर बैठ गए तथा कर्मचारियों के साथ मार पीट करके उन्हें उकसाया। जहां तक विश्वविद्याल का प्रश्न है, यह प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता है। मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप समाचारपत्र नहीं पढ़ते ?

अध्यक्ष महोदय : आप को क्या हुआ है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रेस के समाचारों के आधार पर सदन को सूचना नहीं दे सकता। हमें सरकारी सूचना प्राप्त होनी चाहिए। यह प्रश्न सम्बद्ध है अथवा नहीं, मुझे जानकारी है अथवा नहीं इस सबको छोड़कर मैं जो बताना चाहता हूँ वह यह है कि यदि कोई लूट आदि की घटनाओं में भाग लेता है तो जैसा कि मैंने कई बार सदन में बताया है हमें ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं होगा। इस विषय में दलगत भेदभाव की कोई बात नहीं है। माननीय मित्र ने युवा कांग्रेस पर जो आरोप लगाया है, वह गलत है। यह आरोप बहुत से युवक कांग्रेस कर्मचारियों पर लागू होता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हमने युवक कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे। यह प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय वह बात हमारे ऊपर लादना चाहते हैं जो तुमने नहीं कही है।

Mr. Speaker : I am tired of this practice that without my permission they speak whatever they like.

मोटरगाड़ी उद्योग का कार्यकरण

+

*366. **श्री अमरनाथ चावला** :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री ने देश में मोटर गाड़ी उद्योग के निराशाजनक कार्य-करण के कारणों की पूरी जांच की जाने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). देश में मोटरगाड़ी उद्योग के कार्य की जांच करने के लिए श्रम एवं पुनर्वास मंत्री अथवा उनके मंत्रालय से मुझे या मेरे मंत्रालय में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी इस प्रश्न के मिलने पर पूछताछ की गई और मुझे श्रम एवं पुनर्वास मंत्री के 2 नवम्बर, 1971 को दिये गये भाषण की एक प्रति दिखलाई गई जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि "स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत केवल आयातित कारों को पुर्जे जोड़ कर तैयार करने की बजाय हमने निश्चय किया था कि हमारे अपने कार बनाने के स्वतंत्र कारखाने होंगे। किन्तु अब तक हुई प्रगति एवं इसके साथ ही मितव्ययिता की निरन्तर बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, यह शायद निराशाजनक रही है। मेरी राय में तो इसकी पूर्ण रूप से जांच करना आवश्यक है कि ऐसा क्यों है।" स्पष्ट है कि, यह श्रम एवं पुनर्वास मंत्री जी का अपना व्यक्तिगत मत है।

गत बारह वर्षों की अवधि में यात्री कार उद्योग के कार्यों की विभिन्न पहलुओं से अनेक समितियों तथा आयोगों ने जांच की है। जबकि यात्री कार उद्योगों के कार्य को सभी पहलुओं से सतत संवीक्षा की जा रही है तो इस स्थिति में उसके कार्य की जांच कराना आवश्यक नहीं जान पड़ता है।

Shri Amar Nath Chawla : Mr. Speaker, Sir. The Hon. Minister has stated that during the last twelve years several enquiry Commissions were appointed. Therefore, at present it does not seen necessary to appoint such commissions. In view of the informations received from these enquiry commissions, whether the hon. Minister would tell that the standard of these Cars have fallen every year and with the fallen standard prices have gone high ? I would also like to know whether this information is received from these enquiry committees and other various commissions ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : श्रीमान्, प्रश्न मोटरगाड़ी उद्योग के विषय में पूछा गया है। मोटरगाड़ी उद्योग के अन्तर्गत, कारें, बसें आदि, जीपकारें, मोटर साईकल, स्कूटर, ट्रक तथा मोपड आदि आते हैं। जहां तक कारों का सम्बन्ध है इस प्रश्न पर श्री पांडे की अध्यक्षता में बनाई गई समिति द्वारा विचार किया गया था और इस समिति को 'कार जांच समिति' कहा

गया। समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। समिति की सिफारिशें कार निर्माताओं के पास भेजी गईं कि उनको माना जाए और इन सिफारिशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1 51 की धारा 16 के अन्तर्गत सांविधिक निदेश दिए गये कि इन सिफारिशों का क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कार निर्माताओं, मोटर गाड़ी संघों तथा उनके सहायक संघों, जिनके पास भारतीय मानक संस्थान का प्रमाण पत्र है, को एक निदेश दिया गया। मुझे खेद है कि इस प्रकार की कार्यवाही के बावजूद भी कारों के स्टैन्डर्ड में कोई प्रशंसात्मक सुधार नहीं हुआ। इतना अवश्य हुआ कि कारों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या कम हो गई।

इसका प्रमुख कारण यह है कि कार निर्माताओं में कारों के स्तर के विषय में जागरूकता नहीं है। सरकार का विचार एक तकनीकी समिति गठित करने का है जो कार बनाने वाले संयंत्रों में जाकर यह पता लगायेगी कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को किस सीमा तक कार्य-रूप दिया गया है। समिति अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के दावों का भी अध्ययन करेगी तथा उन क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेगी जहां से बार-बार शिकायतें की गई हैं और कारों के स्तर में सुधार करने सम्बन्धी सहायक उपकरणों के निर्माण में सुधार करने के लिए आगे कदम उठाने पर विचार करेगी। समिति कार निर्माताओं से भारतीय मानक संस्थान के प्रमाण पत्र के चिह्न को, विशेषतया क्रयगत क्रियान्वयन के लिए तुरत सम्भावनाओं तथा कार्यक्रमों के संदर्भ में, कार्यक्रम देने के विषय में भी बातचीत करेगी। मांग तथा सप्लाई में उचित सन्तुलन बनाए रखने के लिए तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिये सरकार ने सरकारी क्षेत्र में यात्री कार बनाने का निर्णय किया है। (**व्यवधान**)

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार निर्माताओं द्वारा, निकट भविष्य में, कारों के स्तर में सुधार किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है तो क्या सरकार छोटी कार परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करेगी ?

श्री मोहनुल हक चौधरी : हम इसे बहुत शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri B. P. Maurya : Hon. Minister for Industrial Development has said about the personal views of Labour Minister. What are these personal views ? If he speaks as a minister in an important seminar and says that these are my personal views, nation may have a profit or loss of crores of rupees. I may quote examples if he so likes. I would like to know, whether Minister can express his personal views in any important seminar, and if so, the definition of personal views ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

श्री बी० पी० मौर्य : मंत्री महोदय ने बताया है कि वे श्रम मंत्री के व्यक्तिगत विचार हैं। श्रम मंत्री ने एक महत्वपूर्ण गोष्ठी में निश्चित रूप में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मंत्री महोदय द्वारा जनता में व्यक्त किये गये व्यक्तिगत विचारों से क्या तात्पर्य है ? क्या एक मन्त्री जनता के सम्मुख अपने व्यक्तिगत विचार रख सकता है ?

श्री मोहनुल हक चौधरी : हां, मन्त्री जनता के सन्मुख अपने व्यक्तिगत विचार रख सकता है ;

श्री बी० पी० मौर्य : नहीं, यह प्रथा बहुत गलत है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने लम्बा वक्तव्य दिया है। वर्तमान मोटर गाड़ी कारखानों की निर्धारित क्षमता क्या है और क्या गत तीन वर्षों में वे उस क्षमता तक पहुँच पाये हैं ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने यात्री कार उद्योग में कारों के स्तर को स्थिति की जांच करने के लिये एक समिति बनाई थी, और यदि हां, तो क्या समिति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ? सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यदि प्रश्न कारों के संबंध में है तो तत्संबंधी स्थिति इस प्रकार है। हिन्दुस्तान मोटर्स लि० की स्थापना उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम पारित होने से पूर्व हुई थी। अतः इसके पंजीकरण प्रमाणपत्र में लाइसेंस क्षमता के रूप में कारों की कोई संख्या नहीं दी गई है। परन्तु सरजू प्रसाद आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह क्षमता 30,000 कारों की है और उन्हें गत वर्षों में 24,000 से 30,000 कारों के आधार पर कच्चा माल मिलता रहा है। गत तीन वर्षों में उत्पादन इस प्रकार हुआ है : 1968 में 22,689 ; 1969 में 21,641 ; 1970 में 23,326 और इस वर्ष अक्तूबर तक 20,404। प्रीमियर आटो मोबाईल की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 7,200 है। सरजू आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उनकी क्षमता 14,000 कार बनाने की है। इस कारखाने ने 1968 में 12,276, 1969 में 12,054 तथा इस वर्ष 1971 में अक्तूबर तक 10,770 कारें बनाई हैं।

श्री मोइनुल हक चौधरी (जारी) : दी स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड .....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में तो सारा ही प्रश्न काल समाप्त हो जाएगा।

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह अंतिम प्रश्न है।

इसकी लाइसेंस क्षमता 2640 कारों का निर्माण है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार उसकी प्राप्त करने योग्य क्षमता 3,400 है। उन्होंने वर्ष 1968 में 2,345, 1969 में 1,406, 1970 में 405 तथा 1971 में 483 कारों का निर्माण किया।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है मुझे संसदीय समिति के किसी प्रतिवेदन की जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह जानकारी बड़ी विस्तृत थी। इस संबंध में उस दिन भी काफी प्रश्न थे। अब अगला प्रश्न।

पेंटाकोपा एक्सचेंजों का असंतोषजनक कार्य

*3 7. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अक्तूबर, 1971 के "**हिन्दू**" में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि बंगलौर फैक्ट्री में कम उत्पादन होने और पेंटाकोपा एक्सचेंजों का कार्यकरण असंतोषजनक होने के बावजूद भी इंडियत टेलीफोन इंडस्ट्रीज और बैल टेलीफोन मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी के मध्य हुए क्रास बार एक्सचेंज के निर्माण के सात-वर्षीय करार को हाल ही में बढ़ा दिया गया है ; और

(ख) क्या बैल ग्रुप के साथ यह करार उन सदस्यों की विशेषज्ञ राय लिए बिन ही किया गया था जोकि दूर संचार के प्रभारी थे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) बैल टेलीफोन मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी,

बेल्जियम से हुआ सहयोग करार जोकि 20 मई, 1970 को समाप्त होना था बिना स्वामित्व की अदायगी के एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है ताकि मार्च, 1972 के अंत तक इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि० में क्रासबार उपस्कर की पूरी निर्धारित लक्ष्य-क्षमता प्राप्त की जा सके और क्रासबार एक्सचेंजों, जिनके लिए बेल्जियम से उपस्कर आयातित किया जाता था, के संधारण और कार्य-प्रणाली में पाई गई कुछ कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इस बढ़ाई गई अवधि के दौरान बैल टेलीफोन मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी अपने खर्चे पर कुछ अतिरिक्त मशीनों की सप्लाई करने तथा अपने तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है।

(ख) जी नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : इस बैल कम्पनी के साथ किये गये सहयोग की पृष्ठभूमि की भली प्रकार जांच करने के लिए एक विशेष समिति गठित न करने का क्या आधार है, और बंगलौर में निर्माण के सम्बन्ध में तथा क्रासबार एक्सचेंजों के कार्यकरण और रख-रखाव के संबंध में क्या समस्यायें हैं ?

श्री एच० एन० बहुगुणा : भारत सरकार ने वर्ष 1963 में देश की बढ़ती हुई मांग को देखकर स्विस-उपकरणों के निर्माण के सम्बन्ध में जांच करने हेतु एक समिति गठित की थी। संचार मंत्रालय ने एक तकनीकी समिति का गठन किया था। इस समिति ने उस समय प्रचलित विभिन्न प्रणालियों की जांच करने हेतु सात या आठ देशों का दौरा किया। समिति ने अपनी सिफारिशें पेश की थीं। निस्संदेह इस संबंध में समस्त समिति का एक मत नहीं था। टेली-कम्यूनिकेशन अनुसंधान निदेशक का मत था कि बेल्जियम द्वारा दी गई पेंटाकोंटे प्रणाली देश के लिए सर्वोत्तम है, जबकि अन्य दो सदस्यों का मत था कि उक्त प्रणाली में कुछ कमियां हैं। इसके पश्चात यह मामला मंत्रिमंडल की उप समिति को सौंपा गया। सरकारी सचिव द्वारा अपना नोट दिये जाने के पश्चात मंत्रिमंडल की उप समिति ने इस प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया। यह प्रणाली कार्य कर रही है परन्तु यह पाया गया है कि यह प्रणाली वर्ष 1970-71 तक भी अपनी दर-क्षमता तक नहीं पहुंच सकी। यह क्षमता 1,00,000 लाइनें प्रति वर्ष की थी जबकि यह वर्ष 1970-71 तक केवल 40,000 प्रति वर्ष तक की ही पहुंची है। इस कमी के अनेक कारण हैं। एक कारण का तो अभी हाल ही में यह पता लगा है कि आरम्भ में भी सहयोग कर्ताओं ने कम मात्रा में मूल उपकरण सप्लाई किये थे। अब यह सहयोग करार समाप्त हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्रीगण ही उत्तर देने में इतना समय लगाते हैं तो फिर मैं सदस्यगण को कैसे कह सकता हूं कि वे अल्प समय लें। इससे पूर्व मंत्री महोदय ने उत्तर देने में 8 से 10 मिनट लिये। कृपया संक्षिप्त होकर बोलिए।

श्री एच एन० बहुगुणा : उन्होंने पांच प्रश्न किये हैं और मुझे उनका उत्तर देना है। अन्यथा मेरे प्रति भ्रम पैदा होगा।

सहयोग कर्त्ताओं ने मूलभूत उपकरणों की कमी पूरी करने तथा साथ ही इसमें पाये गये तकनीकी त्रुटियों को ठीक करना स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी वायदा किया है कि वे

उत्पादन को दर-क्षमता तक पहुँचा देंगे। मुझे यह कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि गत सात महीनों में उत्पादत औसतन 80,000 प्रति वर्ष हो गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या आई०टी०आई० में औद्योगिक संबंध खराब हो गये हैं तथा उत्पादन कम हो गया है ? यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने अथवा आई०टी०आई० ने बैल कंपनी द्वारा भेजे गये तकनीशियनों को अस्वीकार कर दिया है ?

श्री एच० एन० बहुगुणा : हमने किसी भी तकनीशियन को अस्वीकार नहीं किया है। वस्तुतः यह उनका अपना दायित्व है कि वे अपने आदमियों का चुनाव करें। जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं उमको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कारखाने में समुचित औद्योगिक सम्बंध बनाये रखे।

श्री एन० एस० संजीवीराव : गत बजट सत्र में मन्त्री महोदय ने वायदा किया था कि वह आई०टी०आई० की कार्यकुशलता में सुधार करेंगे तथा ट्रांसमीशन उपकरण तथा क्रासबार एक्सचेंज प्रणाली को भी सुधारेंगे। उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी उपाय किये हैं ? क्या उन्होंने रीडरिले उपकरणों के निर्माण के लिए भी कोई कदम उठाये हैं जोकि क्रासबार प्रणाली के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं ?

श्री एच० एन० बहुगुणा : गत सात महीनों में उत्पादन पहले ही दुगुना किया जा चुका है और हमें दर-क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है। अतः कार्यकुशलता बढ़ रही है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये

अध्यक्ष महोदय : 45 मिनटों में हम 5 प्रश्न भी पूरे नहीं कर सके। अब अगला प्रश्न।

विविध भारती यूनिट का दिल्ली से बम्बई स्थानान्तरण

*368. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विविध भारती यूनिट को बम्बई स्थानान्तरण कर दिया जायेगा ;

(ख) क्या आकाशवाणी का यह यूनिट पहले बम्बई में था और यदि हां, तो इस यूनिट को दिल्ली लाने और अब वापस बम्बई ले जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थानांतरण पर कितना व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). जी, हां। बम्बई के विविध भारती एकक का एक भाग वहां स्थान तथा विस्तार सुविधाओं के अभाव के कारण 1958 में अस्थायी रूप से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। बम्बई में नया प्रसारण भवन बन जाने से वहां समूचे विविध भारती एकक को स्थान देना सम्भव हो गया है। इससे संगठनात्मक दक्षता, प्रशासनिक सुविधा तथा व्यापारिक सेवा, जिसका मुख्यालय बम्बई में है, के साथ अच्छा तालमेल रखने में सुविधा मिलेगी।

(ग) लगभग 12 लाख 42 हजार रुपये। इसमें से 10 लाख 71 हजार रुपये स्टूडियो

के नवीकरण पर तथा अतिरिक्त उपकरणों, जो एकक के एक भाग के दिल्ली में रहने पर भी आवश्यक होते, पर खर्च किये जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : बंगला देश के शरणार्थियों के आगमन के कारण पैदा हुए आर्थिक बोझ को देखते हुए, क्या उक्त यूनिट के स्थानांतरण पर होने वाले खर्च को रोका जायेगा ताकि हर खर्च होने वाले रुपये को बचा सकें ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह योजना बहुत पहले आरम्भ की गई थी और वर्ष 1969 में खर्च किया जाना निश्चित किया गया था। अब क्योंकि सारे प्रबन्ध किये जा चुके हैं, इसलिए दिल्ली एकक को बम्बई भेजना बहुत जरूरी है ताकि विविध भारती का कार्य समुचित रूप से चल सके।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या सरकार को आशा है कि विविध भारती के कार्यालयों को बम्बई स्थानांतरित करने से कुछ अधिक राजस्व प्राप्त होगा ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी हां, बम्बई की व्यापारिक प्रसारण सेवाओं में और अधिक समन्वय होगा तथा अधिक अच्छे प्रबन्ध भी होंगे।

Shri Phool Chand Verma : I want to know from the hon. Minister whether in view of the Pakistani threat on us and also the problem of Bangla Desh refugees the Government is prepared to defer their deeision to shift this unit ?

Mr. Speaker : It has just now been replied to by her.

बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए प्रस्ताव

+

*371. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी और धीमी विकास दर की समस्या के हल के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

चौथी योजना में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सुलभ करने पर बल दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे क्रमिक वार्षिक योजनाओं के माध्यम से चौथी योजना के दौरान आरम्भ किये जाने वाले कार्यक्रमों को रोजगार अभिमुख करने के लिए कारगर कदम उठायें तथा कुशलता व मितव्ययिता का ध्यान रखते हुए समुचित श्रम-सघन तकनीकों को अपनायें।

यद्यपि रोजगार के रुझान वाले आर्थिक विकास के कार्यक्रम योजना अवधि के दौरान काफी मात्रा में रोजगार के अवसर सुलभ करेंगे। फिर भी योजना के अन्दर तथा बाहर ऐसे

विशिष्ट कार्यक्रम बनाना आवश्यक हो गया जो बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार से प्रभावित जनसंख्या के अत्यधिक निर्बल वर्गों तथा क्षेत्रों में अधिक प्रत्यक्ष एवं कारगार ढंग से काम कर सकें। समस्या के तात्कालिक आकार तथा कार्रवाई आरम्भ करने की आवश्यकता को समझते हुए, 1970-71 और 971-72 के बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है जिससे ऐसी योजनायें शुरू की जा सकें जो छोटे किसानों, नाम मात्र के कृषकों और कृषि श्रमिकों को लाभान्वित कर सकें तथा कतिपय क्षेत्रों की रोजगार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। सूखे से शीघ्र प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में निरन्तर बेरोजगारी तथा अल्प-बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कार्यों में रोजगार प्रदान करने के लिए एक ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 1971 से ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में एक द्रुत कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जो आशा है कि प्रत्येक जिले में लगभग 1000 लोगों को अतिरिक्त रोजगार सुलभ करेगा।

शिक्षित व्यक्तियों तथा प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों को अधिक संख्या में रोजगार देने के प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा का व्यवसायीकरण करने पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि आर्थिक और सामाजिक वातावरण की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप इन लोगों को ढाला जा सके। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायों के विविधीकरण और औजार और ठप्पा बनाने आदि नये उभरते हुए व्यवसायों में सुविधायें प्रदान करने पर बल दिया गया है। सिंचाई, बिजली, तथा योजना में शामिल किये गये औद्योगिक और परियोजनाओं के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्टें तैयार करने तथा अन्वेषण करने के बारे में कई योजनायें शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त परामर्श और डिजाइन की सेवाओं की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है जिनसे उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों को अधिक रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें। तकनीकी तथा अन्य सुयोग्य व्यक्ति उत्पादक कार्यकलापों में लग सकें, इस सम्बन्ध में अपनी निजी रोजगार करने वालों को सहायता प्रदान करने की योजनायें शुरू की गई हैं। स्टेट बैंक आफ इन्डिया उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना का संचालन कर रहा है जिसमें उद्यमी अपना छोटा-मोटा उद्यम आरम्भ कर सकें। इसी प्रकार की योजनायें कतिपय अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा कतिपय राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही हैं। औद्योगिक विकास मंत्रालय ने अपना निजी धंधा आरम्भ करने के लिए इन्जीनियर उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना का सूत्रपात किया है।

इन्जीनियरों और तकनीशियनों सहित शिक्षित बेरोजगारों तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुरूप विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के लिए 1971-72 के केन्द्रीय बजट में विशेष प्रावधान किया गया है जिस पर 25 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक वार्षिक खर्च होगा। इनकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आशा है कि ये कार्यक्रम आगामी दो वर्षों के दौरान भी जारी रहेंगे।

चौथी योजना में परिकल्पना की गई थी कि राष्ट्रीय आय में 5.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से वृद्धि होगी। परन्तु वृद्धि की वास्तविक दर 1969-70 में 5.3 प्रतिशत तथा 1970-71 में 4.8 प्रतिशत तथा दोनों वर्षों को एक साथ लेकर 5 प्रतिशत रही। यद्यपि विकास की दर में थोड़ी बहुत कमी आई है, फिर भी दो वर्षों की अवधि में क्षेत्रीय विकास में बहुत उतार-चढ़ाव देखने में आया है। अर्थ-व्यवस्था के कार्यान्वयन में वृद्धि की जिस समस्त दर

की मूलरूप में सम्भावना की गई थी उसके अनुसार 1971-72 से 1973-74 तक घरेलू उत्पादनों में वृद्धि की औसत दर 6.2 प्रतिशत प्राप्त करनी होगी । परन्तु 1971-72 की पहली छमाही में औद्योगिक विकास की दर में तेजी से कमी आई जो अब बढ़ने लगी है । परन्तु वर्तमान विश्लेषण से विदित होता है कि बाकी योजना अवधि के दौरान विकास की औसत दर 5.5 प्रतिशत से अधिक न बढ़ सकेगी । इसकी प्राप्ति के लिए भी :

(क) औद्योगिक वृद्धि का तेजी से पुनरुत्थान ;

(ख) कपास, पटसन, तिलहन, दालों और गन्ना आदि गैर-अन्न फसलों में तेजी से वृद्धि तथा

(ग) विनियोजन की दर में बढ़ोत्तरी करनी होगी ।

अन्य मंत्रालयों से विचार-विमर्श करने के लिए इस सम्बंध में अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं । बहरहाल, मूल्यांकन कार्य पूरा होने पर ही स्पष्ट स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।

श्री एच० एम० पटेल : इन योजनाओं से रोजगार के कितने अतिरिक्त अवसर दिये गये ।

श्री मोहन धारिया : हमने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में साक्षर और निरक्षर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अनेक योजनायें चालू की हैं परन्तु इस समय इनकी ठीक-ठीक संख्या बताना कठिन है ।

श्री एच० एम० पटेल : विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि नियत की जा चुकी है और उनमें से कुछ योजनायें गत दो वर्ष से चालू हैं अतः स्टेट बैंक जैसी एजेंसियों के लिये इन योजनाओं द्वारा रोजगार के अवसरों का हिसाब लगाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

श्री मोहन धारिया : मुझे भी सदस्य महोदय के साथ-साथ इसकी उतनी ही चिन्ता है । इसीलिए हमने योजना आयोग की सूचना व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया है । योजना के मूल्यांकन में हम विभिन्न राज्य सरकारों से जानकारी लेने के लिए मार्गोपायों की खोज भी कर रहे हैं ।

श्री के० सूर्यनारायण : जैसा कि सभा को विदित है, गत 2-3 मास से सूखे की स्थिति है फिर भी राज्य सरकारों ने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना आरम्भ नहीं की है । इसलिए, क्या सरकार उन्हें धन देकर जानकारी लेने के स्थान पर अपनी एजेंसी द्वारा जानकारी एकत्र नहीं कर सकती ?

श्री मोहन धारिया : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम अपनी सूचना व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं । वैसे यह राज्य सरकारों के प्रति अनुचित होगा यदि हम स्वयं योजनाएं चलाएं । अनेक योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं और पूरी की जा रही हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Every political party in the country has its own solution for eradicating unemployment. May I know whether Government considers them and implements them also ? Secondly, some States do not implement there employment-Oriented Schemes even today. May I know what steps are being taken to ensure their implementation ?

श्री मोहन धारिया : इसीलिए तो हम विपक्षी दलों के सदस्यों से बातचीत करते रहे हैं । दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूँगा कि हम योजना आयोग को यह अधिकार देना

चाहते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि योजना अनुमोदन के बाद पूरी की जाये। इसीलिए हम सूचना व्यवस्था के साथ-साथ पर्यवेक्षी व्यवस्था पर बल दे रहे हैं। राज्य सरकारों से योजनाएं अनुमोदित कराने में मुझे सभी सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Second part of my question has not been answered. I wanted to know the steps being taken by Government to introduce employment Oriented Schemes in those districts where more than one thousand persons are jobless ?

Shri Mohan Dharia : I had stated that this Scheme has been approved and is being implemented in respect of 321 districts. In order to reinforce Information System, I request for your cooperation in addition to our effort.

Shri Ramavtar Shastri : May I know whether it is a fact that Government employees are retrenched off an on...

Mr. Speaker : Be relevant.

Shri Ramavtar Shastri : Yes, Sir. I want to know whether any Scheme is being formulated for the retrenched persons also ?

श्री मोहन धारिया : सभा यह बात तो समझेगी कि रोजगार देने का उद्देश्य उत्पादन या प्रशासनिक सुविधा होता है। फिर भी सरकार का सदा यही प्रयत्न होता है कि छंटनी हुए कर्मचारियों को पुन: रोजगार देते समय अधिमान दिया जाए।

श्री बी० वी० नायक : इन योजनाओं के अलावा, देश में रोजगार की काफी क्षमता उप्रयुक्त पड़ी है, जैसे रोजगार देने के सभी सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों में 25-30 प्रतिशत क्षमता उप्रयुक्त रहती है। तो क्या इसका प्रयोग करने के लिए क्या कोई स्पष्ट निर्णय लिया गया है ?

श्री मोहन धारिया : जैसा मैं बता चुका हूं, हम इस योजना का पुन: मूल्यांकन कर रहे हैं और इसमें इस क्षमता को भी जोड़ा जायेगा।

भुवनेश्वर-दिल्ली के मध्य डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

*372. **श्री राम कंवर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई संसद-सदस्यों से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था कायम की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों की राजधानियों का दिल्ली से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिये सम्बन्ध जोड़ने की बात सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है। इन स्थानों के बीच पर्याप्त संख्या में सर्किट उपलब्ध होने पर इसे उत्तरोत्तर कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है। आशा है कि 1974 में कलकत्ता और कटक के बीच कलकत्ता-मद्रास कोएक्सल प्रणाली के पूरा हो जाने पर दिल्ली का भुवनेश्वर से सम्बन्ध जोड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में सर्किट उपलब्ध हो जायेंगे।

Shri Ram Kanwar : In the absence of S.T.D. system between Bhubneshwar and and Delhi, people are experiencing considerable difficulty, In view of this may I know how soon this facility would be provided ?

Shri H. N. Bahuguna : As I said, we are making arrangement therefor.

Shri Ram Kanwar : By what time ?

Shri H. N. Bahuguna : By 1974-75.

राज्यपालों के मार्गदर्शी सिद्धान्त

+

*373. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राज्यपालों के लिए अपने संवैधानिक कृत्यों के निर्वहनों हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विषय में राज्यपालों की पांच सदस्यीय समिति के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या उक्त समिति ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि किसी सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के विषय में सन्देह के समाधान के लिए यथा सम्भव शीघ्र विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान। राज्यपालों की समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया गया है।

(ख) प्रतिवेदन के अध्याय V में समिति ने इस बात की विस्तृत जांच की है कि इस का निश्चय कैसे किया जाए कि विधान सभा ने मन्त्री परिषद से अपना विश्वास उठा लिया है।

(ग) प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर अपनी रिपोर्ट में इस विषय पर सिफारिश की थी और यह सिफारिश विचाराधीन है। इस विषय पर अपने विचारों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार राज्यपालों की समिति के प्रतिवेदन में व्यक्त विचारों को भी ध्यान में रखेगी।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मन्त्री महोदय ने पांच-सदस्यीय राज्यपाल की समिति की सिफारिशों के बारे में भी कोई आश्वासन नहीं दिया। उसने सिफारिश की थी कि मन्त्रिमंडल में बहुमत के बारे में सन्देह होने पर विधान सभा की बैठक तुरन्त बुलायी जाए। दूसरे क्या ऐसा निर्णय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी लिया गया था ? मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि पिछले अध्यक्ष ने इसी सभा में 1968 में हरियाणा के मामले पर चर्चा के समय कहा था कि विधान सभा की बैठक एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर बुलाई जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि तीन उच्च-शक्तिप्राप्त निकायों की सिफारिशों के बावजूद सरकार को इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लग जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार को अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व राज्यपाल समिति की सिफारिश की प्रतीक्षा थी, यद्यपि अन्य निकायों की सिफारिशें हमारे पास पहुंच चुकी थीं।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : निर्णय लेने में अब सरकार को क्या कठिनाई है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में कागज बनाने की मिल की स्थापना के लिए लाइसेंस

*361. **श्री ए० के० गोपालन : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में कागज बनाने का कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस देने का कोई आवेदन पत्र भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शर्तें क्या-क्या हैं ; और

(ग) क्या लाइसेंस दे दिया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोईनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने केरल राज्य में रासायनिक लुगदी, छपाई और लिखाई के कागज एवं गत्ते के निर्माण हेतु नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है । उपक्रम का नाम चेपर ऐण्ड बोर्ड्स (केरल) लि० रखाने का विचार है और इसका स्वामित्व एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के हाथों में रहेगा ।

प्रस्ताव की मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :

1. क्षमता

(i) रासायनिक लुगदी	1 लाख मी० टन प्रतिवर्ष
(ii) लिखाई, छपाई का कागज एवं गत्ता	1 लाख मी० टन प्रतिवर्ष

2. कच्चा माल

बाँस मुलायम लकड़ी तथा फटे पुराने वस्त्र परियोजना में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाएंगे ।

3. स्थल

स्थान के बारे में निर्णय निगम करेगा ।

4. वित्त व्यवस्था का ढंग

उपक्रम की इक्विटी पूंजी में पर्याप्त रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए हिन्दुस्तान विकास निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा जीवन बीमा निगम के अतिरिक्त केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम का विचार इक्विटी पूंजी में पर्याप्त हिस्सा लेने का है । निगम के अनुसार इन संस्थाओं के 60 से 75 प्रतिशत के बीच हिस्से होंगे । शेष इक्विटी पूंजी में भाग लेने के लिए जनता को भी आमन्त्रित किया जाएगा ।

5. परियोजना लागत

25 करोड़ रुपए के आयात अंश सहित लागत का अनुमान 60 करोड़ रुपए लगाया गया है।

6. निष्पादन

इसमें विदेशी सहयोग करने का विचार नहीं है। मे० शेषशायी इन्टरप्राइजेज (प्राइवेट) लिमिटिड को 'टर्न-की' के आधार पर परियोजना का निष्पादन करने का काम सौंपने का विचार है।

7. चालू होने की तिथि

अनुमान लगाया गया है कि इस परियोजना के कार्यान्वित होने में 3 से 4 वर्ष लग जायेंगे।

8. रोजगार की सम्भावना

इस परियोजना में लगभग 3,300 व्यक्तियों को रोजगार में सीधे लगाए जाने की अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त, लगभग 1000 से 1,250 व्यक्तियों को मिल में कच्चे माल इत्यादि का भंडार रखने तथा उसे क्रम में लगाने के लिए काम में लगाया जायगा।

यह आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का तैनात किया जाना

*363. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या गृह मंत्री सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को तैनात किए जाने के बारे में 4 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6893 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन अन्य उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को इस बीच तैनात कर दिया गया है ; और

(ख) सभी केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को तैनात करने के लिए अनुमानत: कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रावस्था-आधार पर तैनात किया जा रहा है। इस प्रकार, जबकि काफी यूनिटों में यह तैनाती पूर्णत: कर दी गई है और कुछ अन्य में अंशत:, सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अभी तैनात किया जाना है। इन उपक्रमों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण प्रावस्था-आधार पर हाथ में ले लिया गया है। ऐसे सभी उपक्रमों के बारे में ऐसे सर्वेक्षणों के पूरे होने के बाद ही सभी केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के लिए आवश्यक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के व्यक्तियों की कुल संख्या का पता लगेगा।

विवरण

(क) पूर्णत: तैनात

(1) हिन्दुस्तान कौपर लि०, खेतड़ी यूनिट (राजस्थान)

(2) ट्यूटीकारिन हार्बर प्रोजेक्ट ।

(3) राष्ट्रीय उपकरण लि०, जादवपुर ।

(4) भारतीय टेलीफोन उद्योग, नैनी ।

(ख) **अंशत: तैनात**

(1) विशाखापतनम बन्दरगाह ।

(2) भिलाई इस्पात संयंत्र ।

(3) राउरकेला इस्पात संयंत्र ।

(4) हल्दिया बन्दरगाह ।

(5) अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र, थुम्बा ।

कोयम्बतूर-ऊटी-कोजीकोड माईक्रोवेव रेडियो रिले सिस्टम

*369. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बतूर-ऊटी-कोजीकोड माईक्रोवेव रेडियो रिले सिस्टम के विस्तार के लिए यंत्र आदि लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ ।

(ख) माइक्रोवेव योजना का ब्यौरेवार इंजीनियरी और फिल्ड सर्वे पूरा कर लिया गया है । साज-सामान की सप्लाई के लिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को आर्डर भी दे दिया गया है । माइक्रोवेव स्टेशन लगाने के लिए स्थान अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जा रही है ।

नागालैंड और मेघालय में धर्म प्रचारक

*370. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड और मेघालय की सरकारें राज्य में ईसाई धर्म-प्रचारकों के अतिरिक्त, अन्य धर्म-प्रचारकों को कार्य करने की अनुमति नहीं दे रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नागालैंड तथा मेघालय की सरकारों ने किसी धार्मिक संस्था के कार्य करने अथवा किसी संस्था अथवा व्यक्तियों द्वारा किसी धर्म का प्रचार करने के अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटो कागज मिलों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन

*374. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पल्प एण्ड पेपर टैक्निकल एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि छोटी कागज मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) भारतीय लुगदी तथा कागज तकनीकी ऐसोसिएशन के शिष्टमण्डल ने सुझाव दिया है कि स्थापित होने वाली छोटी कागज मिलों को निरुत्साहित करने के बजाय इन्हें विशेष कागज बनाने के लिए उन्मुख करने के अभ्युपाय अपनाए जायें।

(ख) सरकार द्वारा जैसी भी संभव है दी जा रही है।

राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए आन्दोलन

*375. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1971 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें तमिल नाडु के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि वे राज्य की स्वायत्तता के लिए आंदोलन शुरू करेंगे ;

(ख) क्या कुछ अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी ऐसे ही वक्तव्य दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो मांगें किस प्रकार की हैं ; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). सरकार ने 20 सितम्बर, 1971 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार देखा है। समाचार पर तमिल नाडु सरकार की टिप्पणियां आनी है। किन्तु सरकार ने पहले सूचित किया था कि 19 सितम्बर, 1971 को मद्रास में एक सभा को सम्बोधित करते हुए तमिल नाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० करुणानिधि ने कहा था कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने पृथक् तमिल नाडु की मांग छोड़ दी है और यह अब राज्यों को अधिक शक्तियों के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगला देश की समस्या के कारण राज्य स्वायत्तता की मांग को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और यह कि इसका त्याग सदैव के लिए नहीं किया गया है। सरकार को किसी अन्य मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस प्रकार के वक्तव्य के बारे में कोई सूचना नहीं है।

प्रशासनिक सुधार आयोग और आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित प्रश्नों का गहन अध्ययन किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि "केन्द्र-राज्य संबंधों को निर्धारित करने वाले संविधान के उपबंध प्रत्येक स्थिति का सामना करने के प्रयोजन के लिए अथवा इस क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्येक समस्या के हल के लिए पर्याप्त है।" केन्द्र-राज्य संबंधों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार के विचार तथा प्रतिक्रियाएं भी मांगी गई हैं।

सीमेंट की कमी

*376. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्तूबर, 1971 के "न्यूजडे" (दिल्ली से शाम को प्रकाशित होने वाला एक दैनिक) में "सीमेंट की कमी और इस सम्बंध में सरकार द्वारा बड़े व्यापारियों से सहायता की मांग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसे बड़े व्यापार-गृहों के नाम क्या हैं जो सीमेंट के कारखाने लगाने के लिए सहमत हो गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). सरकार ने अखबार में छपा उल्लिखित समाचार देखा है। उसने सीमेंट की कथित कमी को दूर करने के लिए बड़े व्यापारियों से सहायता नहीं मांगी है।

सीमेंट की बढ़ती हुई मांग के साथ ही सप्लाई की स्थिति को देखते हुए ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया था कि 1975 तक मांग से सप्लाई लगभग 50 लाख मी० टन कम हो जायेगी। अतः सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सीमेंट का उत्पादन करने के लिए नई क्षमता स्थापित करने हेतु आवेदनपत्र मांगे हैं। इच्छुक उद्यमियों के आवेदन प्राप्त हुए थे। लगभग 35 लाख मी० टन की क्षमता के लिए पहले ही आशय-पत्र जारी किये जा चुके हैं। लगभग 90 लाख मी० टन की और क्षमता स्थापित करने के आवेदनों पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार किया जा रहा है। आशा है कि इससे पूर्वानुमानित कमी पूरी हो जाएगी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अर्जित लाभ

*377. **श्री सरजू पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगातार चार वर्षों तक हानि उठाने के बाद हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० ने लाभ अर्जित किया है ;

(ख) क्या इस प्रकार अर्जित लाभ से हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि० को हुई हानि पूरी हो गई है ; और

(ग) यह लाभ किन कारणों से हुआ ?

औगोगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के वर्षों में हानि उठ ने के बाद हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० को 1970-71 में 30.78 लाख रुपयों का लाभ हुआ। पहले भी इसको 1956-57 से 1966-67 तक के वर्षों में लाभ हुआ था।

(ख) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में हुई हानि की 1970-71 में हुए लाभ से तुलना करने पर हानि पूरी नहीं हुई है। किंतु हिंदुस्तान मशीन टूल्स के स्थापना वर्ष से पूरा विवरण देखने पर यह पता चलता है कि कंपनी को कुल 1253.70 लाख रुपयों का लाभ हुआ

है जबकि 1967-68 से 1969-70 की अवधि में हुई हानि केवल 154.52 लाख रुपए है।

(ग) 1969-70 के उत्पादन और बिक्री क्रमश: 16.42 करोड़ और 16.67 करोड़ रुपये के थे जबकि 1970-71 में क्रमश: 20.37 और 20.43 करोड़ रुपये के थे अतएव इस वृद्धि के परिणामस्वरूप कम्पनी को लाभ हुआ है।

मैसर्स ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध जांच

*378. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री मैसर्स ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता के विरुद्ध जांच के बारे में 25 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार द्वारा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि बंद होने के निम्नलिखित कारण थे।

(1) वित्तीय अव्यवस्था।

(2) खराब उत्पादन तथा बिक्री आयोजन।

(3) खरीद तथा वस्तु सूची संबंधी नीतियों में होशियारी न बरतना।

(4) पूरी क्षमता के उपयोग न होने के बावजूद पूंजीगत आस्तियों में वृद्धि करते रहना।

निष्कर्ष—

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि :

(1) उपक्रम का उत्पादन देश की आवश्यकता के लिए संकटपूर्ण नहीं है ; और

(2) एकक को पुन: चलाने के लिये उतने ही लाभ की संभावना के बिना 250 लाख रुपये का नया धन लगाने की आवश्यकता होगी।

अत: समिति ने, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इस कम्पनी के प्रबंध को अपने अधिकार में लिए जाने की सिफारिश नहीं की है।

सरकार ने समिति की प्रमुख सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं कि इस कम्पनी के प्रबंध को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अधिकार में न लिया जाये।

टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट बनाने का आधार

*379. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट किस आधार पर बनाया जाता है ;

(ख) क्या पटना टेलीफोन व्यवस्था के अंतर्गत दस हजार से अधिक टेलीफोन कनेक्शन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पटना टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट न बनाये जाने के क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय तदर्थ आधार पर टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट बनाने पर आम तौर पर तभी विचार किया जाता है जब उसमें साज-सामान की क्षमता और चालू कनेक्शनों की संख्या 10,000 से अधिक हो।

(ख) जी हां। हाल में यहां 10,000 से अधिक लाइनें हो गई हैं।

(ग) इस संबंध में अन्य मानक तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण यूनिट को लिखा गया है। इस बीच पटना को टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट बनाने का मामला तदर्थ फार्मले के आधार पर हाथ में लिया जा रहा है।

आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन

*380. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आर्थिक विकास में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन की जानकारी सरकार को है ; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय आर्थिक विकास में विद्यमान असंतुलन को समाप्त करने और प्रत्येक श्रेणी में उद्योग की रोजगार क्षमता के बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

योजना मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

क्षेत्रीय असंतुलन के निराकरण के लिए उठाए गए कदम

भारत सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान हैं, इन आर्थिक असंतुलनों के निराकरण तथा विभिन्न दिशाओं में रोजगार के अवसर सुलभ करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सहायता आवंटित करते समय विशेष समस्याओं वाले असम, नागालैंड और जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिए व्यवस्था कर बाकी वितरण के लिए उपलब्ध धनराशि का 10 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम प्रतिव्यक्ति आय वाले 6 राज्यों यानी बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तय प्रदेश को केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई है।

(2) नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा,

राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल) के संसाधनों की गैर-योजना कमी, जिसे चौथी योजना अवधि में 795.23 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, केन्द्र द्वारा पूरी की जा रही है ताकि वे उन सभी अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग कर सकें जिन्हें वे अपने विकास कार्यक्रमों के वित्त व्यवस्था के लिए चौथी योजना अवधि के दौरान जुटा सकते हैं।

(3) पहाड़ी तथा सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता का एक उदार आधार विकसित किया गया है। उनके विकास का पूरा व्यय सम्बन्धित प्रत्येक राज्य को दिए जाने वाली कुल केन्द्रीय सदायता की सीमांतर्गत भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। मेघालय, असम, नागालैंड, जम्मू-काश्मीर (लद्दाख) तथा हिमाचल प्रदेश (लाहौल, स्पीति तथा किन्नौर जिले) में इस पर होने वाला 90 प्रतिशत व्यय अनुदान के रूप में दिया जाता है। शेष 10 प्रतिशत अंश को ऋण माना जाता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी तथा सीमांत जिलों, दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल) तथा नीलगिरी (तमिल नाडु) में केन्द्रीय सहायता का आधार 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण है।

(4) असमानताओं को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है। पांड़े तथा वांचू समितियों की रिपोर्टों में निर्धारित कसौटियों के अनुसार राज्य सरकारों के सहयोग से उन जिलों का अभिनिर्धारण तथा उनको अधिसूचित कर दिया गया है, जिनपर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना को वरीयता दी जा रही है बशर्ते कि वे तकनीकी आर्थिक दृष्टियों से सम्भाव्य समझे जायें। लाइसेंस समिति भी पिछड़े क्षेत्रों से प्राप्त निवेदन पत्रों को प्राथमिकता देती है।

(5) एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 489 जनजाति विकास खण्डों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 32.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(6) कुछ राज्यों में जिला योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनसे पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाया जा सकेगा तथा इन समस्याओं के हल के उपाय ढूंढ़ने में भी ये सहायता करेंगी।

(7) वित्तीय तथा ऋण संस्थाओं से नए उद्योगों के लिए रियायती वित्त हेतु सारे देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 209 जिलों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश इन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में से प्रत्येक के चुने हुए दो जिलों में तथा शेष राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में से प्रत्येक के एक जिले में ऐसे नए एककों के स्थिर पूंजी निवेश के 10वें अंश के बराबर केन्द्रीय सरकार सीधा अनुदान या राज्य-सहायता देती हैं जिनका कुल स्थिर निवेश प्रत्येक के मामले में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

(8) ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्ग और शुष्क तथा अनुर्वर क्षेत्रों के विकास के लिए वृहद् आकार के विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इन विशेष कार्यक्रमों का स्वीकृति तथा कार्यान्विति केन्द्रीय समन्वय समिति के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस समिति के अध्यक्ष योजना आयोग के एक सदस्य हैं। 46 छोटे कृषक विकास अभिकरण परियोजनाएं, उप-सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए 41 परियोजनाएं और शुष्क क्षेत्रों में किसानों के लिए 24 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। 54 निरंतर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण के लिए समेकित कार्यक्रम शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(9) 50 करोड़ रुपये वार्षिक प्रावधान से ग्रामीण बेरोजगारी के लिए एक द्रुत कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

(10) हाल में ग्रामीण बिजलीकरण निगम का गठन किया गया है जो पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण बिजलीकरण कार्यक्रमों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता दे रहा है।

इसके अतिरिक्त, चौथी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन लगभग पूरा होने वाला है। इसका योजना को नया मोड़ देने के लिए उपयोग किया जा रहा है ताकि अर्थ-व्यवस्था के विनियोजन में तेजी लाई जा सके तथा उसका कारगर उपयोग किया जा सके। इसके अलावा क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को इस प्रकार पुनर्व्यवस्था की जानी है कि उत्पादन अभिमुख और श्रम-सघन योजनाओं और कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग के प्रत्येक वर्ग तथा आर्थिक कार्यकलाप के अन्य रूपों में अधिक रोजगार क्षमता पैदा करना है।

मोटर इण्डस्ट्रीज को लाइसेंस दिया जाना

381. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मोटर इन्डस्ट्रीज कम्पनी को नया लाइसेंस देने से मोटर गाड़ियों के फ्यूअल इंजेक्शन उपकरणों का अति-उत्पादन होने का एक नया संकट पैदा हो जायेगा ;

(ख) किन-किन मदों के लिए और कितनी-कितनी वार्षिक क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है ;

(ग) यदि लाइसेंस में किन्हीं शर्तों और प्रतिबन्धों का उल्लेख किया गया है, तो वे क्या हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में है, तो सरकार की उसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) वार्षिक क्षमता जिसके विस्तार के लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है निम्न प्रकार है :

(1) सिंगिल सिलेन्डर पम्प	4,02,000	संख्या
(2) डिस्ट्रीब्यूटर एवं मल्टीफ्यूल किस्म के पम्पों सहित मल्टी-सिलेन्डर पम्प	13,000	,,
(3) ऐलीमैंट्स	18,00,000	,,
(4) डिलीवरी वाल्वस	15,60,000	,,
(5) नोजल होल्डर्स	4,08,000	,,
(6) नोजल्स	22,80,000	,,

(ग) विस्तार के लिए लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया गया है :

(1) कम्पनी की इक्विटी पूंजी में मैं० राबर्ट बुथ और उनके सहयोगी के अंशों को 4 जून, 1971 से 2 वर्ष की अवधि के अन्दर 57 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये।

(2) मैं० माईको प्रतिवर्ष कम से कम 2.87 करोड़ रुपये तक के निर्यात की गारंटी देंगे जो मौटे तौर से उनके वर्तमान वार्षिक उत्पादन के पुस्तक मूल्य का लगभग 15 प्रतिशत होगा और विस्तार योजना के फलस्वरूप हुई अतिरिक्त उत्पादन के पुस्तक मूल्य का 25 प्रतिशत होगा। वे देश की आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपने वार्षिक उत्पादन का निर्यात 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की भी चेष्टा करेंगे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कन्नानूर में टेलीफोन तार और प्रधान डाकघर भवन समूह

*382. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानूर में टेलीफोन तार और और प्रधान डाकघर भवन समूह का निर्माण बहुत ही धीमी गति से हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त कार्य को शीघ्र करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) इस समय इनके निर्माण की प्रगति इस प्रकार है :

प्रधान डाकघर और विभागीय तारघर

पहले इनके निर्माण की गति धीमी थी, लेकिन अब इसमें संतोषजनक प्रगति हो रही है।

टेलीफोन एक्सचेंज

टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत बन कर तैयार हो गई है।

(ख) **प्रधान डाकघर और विभागीय तारघर**

(i) स्थानीय नगर आयोजन प्राधिकारियों ने आस-पास के क्षेत्रों में जो परिवर्तन किए हैं उनके कारण इस इमारत की डिजाइन बदलनी पड़ गई है।

(ii) इस्पात की कमी।

(iii) निर्माण-कार्य के लिए आवश्यक पानी की कमी।

(ग) **प्रधान डाकघर और विभागीय तारघर**

आवश्यक मात्रा में इस्पात की व्यवस्था कर ली गई है और अब कार्य की प्रगति संतोष-जनक है। इमारत बनाने में 85 प्रतिशत प्रगति हुई है। आशा है कि फरवरी 1972 तक यह कार्य पूरा हो जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सर्किटों पर अर्ध स्वचालित डायलिंग

*383. **श्री नरणजी भाई आर० विकेरिया** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष के मध्य से भारत में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सर्किटों पर अर्ध-स्वचालित ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान कर दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों/नगरों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा सकेगा ; और

(ग) इस पर कितना व्यय करने का अनुमान है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जिन देशों के साथ अर्ध-स्वचालित ट्रंक डायलिंग उपलब्ध होने की सम्भावना है वे हैं : ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देश।

(ग) अधिष्ठापनाधीन अर्ध-स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की लागत लगभग 52 लाख रुपये है।

कागज तथा गत्ते का निर्यात तथा देश में उनकी कमी

*384. **श्री वी० मायावन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 जी तुलना में चालू वर्ष में कागज तथा गन्ने का निर्यात संतो-ष जनक रहा ;

(ख) वर्ष 1969, 1970 तथा वर्ष 1971 में अब तक कागज तथा गन्ने के निर्यात के क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में लिखने तथा छपाई के कागज की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोईनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). विगत दो वर्षों में कागज तथा गत्ते के निर्यात के आंकड़े इस प्रकार हैं :

1969-70	3.84 करोड़ रु० (23,418 मी० टन)
1970-71	3.93 करोड़ रु० (23,825 मी० टन)
1971-72 (दो महीनों में)	0.55 करोड़ रु० (3,000 मी० टन)

छपाई तथा लिखाई के कागज का उत्पादन 1968 के 3.93 लाख मी० टन से बढ़कर 1970 में 4.45 लाख मी० टन हो गया है। यद्यपि छपाई तथा लिखाई के कागज का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है किन्तु कम ग्राम के छपाई तथा लिखाई के कागज की सप्लाई में कमी बताई गई है। छपाई तथा लिखाई के कागज की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) सरकार कागज की वर्तमान मिलों का पर्याप्त विस्तार करने और जहां कहीं भी कच्चे माल के साधन उपलब्ध हैं वहां नए कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

(2) सरकार ने सन्तुलन उपकरण की व्यवस्था करके कागज की वर्तमान मिलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक जोरदार कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है।

(3) सरकार कागज के कारखानों को यह निदेश दे रही है कि वे 52 से 56 ग्राम भार तक के लिखाई तथा छपाई के कागज का अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन करें। सभी नए लाइसेंस धारियों को इसका सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि कम से कम 60 प्रतिशत कागज लिखने-पढ़ने में काम आने वाले किस्मों का होता है।

(4) सरकार ने कागज उद्योग तथा अन्य विभिन्न उपभोक्ताओं के सहयोग से विभिन्न किस्मों के कागज की सप्लाई, वितरण आदि एक समिति की देख-रेख करने के लिए कार्यवाही की है।

साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के समर्थकों पर आक्रमण के बारे में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल तथा मजदूर संघों की ओर से ज्ञापन

*385. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के समर्थकों पर हुए आक्रमण के सम्बन्ध में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा 23 अक्तूबर, 1971 को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया गया ज्ञापन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन किस प्रकार का है ; और

(ग) उक्त ज्ञापन में कही गई बातों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

मानव स्वास्थ्य पर तथा रेडियो और टेलीविजन संकेतों पर जोर से बजाये जाने वाले रेडियो के शोरगुल का प्रभाव का अध्ययन

*386. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के बेतार योजना और समन्वय विभाग ने जोर से बजाये जाने वाले रेडियो के शोरगुल का सामान्य वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या मानव मन पर तथा विभिन्न रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों पर इसके प्रभावों के बारे में भी अध्ययन कर लिया गया है ; और

(ग) इसके विघ्नकारक तत्वों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (ग). संचार मंत्रालय का बेतार आयोजना तथा समन्वय स्कन्ध दूरदर्शन तथा रेडियो संग्रहण पर मनुष्य-कृत रेडियो कोलाहल के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। भारतीय परिस्थितियों के अधीन इस कोलाहल की संभाव्य दमन-सीमा का पता लगाने के लिए माप-कार्य किया जा रहा है। अध्ययन पूरा होने पर इस सम्बन्ध में विधायी या अन्य कार्यवाही करने की सम्भाव्यता पर विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य के पहलू का इस मंत्रालय में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

केरल आई० ए० एस०/आई० सी० एस० आफिसर्स एसोसियेशन द्वारा श्री सलाम की मुअत्तिली के बारे में पारित संकल्प पर केरल के मुख्य मंत्री की टिप्पणी

*387. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या श्री सलाम की मुअत्तिली के बारे में केरल आई०ए०एस०/आई०सी०एस० आफिसर्स एसोसियेशन द्वारा पारित संकल्प पर केरल के मुख्य मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) क्या इस विषय पर भारत सरकार और केरल सरकार के बीच कोई पत्र-व्यवहार हुआ है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) केरल सरकार ने सूचित किया है कि आई०ए०एस० एसोसियेशन ने श्री एम० अब्दुस-सलाम की मुअत्तिली का विरोध करते हुए ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया है, बल्कि एसोसिएशन ने अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सामान्य रूप से निन्दा करने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए एक संकल्प पारित किया था। इस संकल्प के बारे में मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि कोई भी अधिकारी जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध कार्य करता है, चाहे वह अखिल भारतीय सेवा का हो अथवा राज्य सेवा का, उसे दण्ड दिया जायेगा।

(ख) इस विषय पर भारत सरकार और केरल सरकार के बीच कोई अन्य पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है।

राज्यों की स्वायत्तता

*388. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 1971 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कुछ राज्यों द्वारा उन्हें अपने रोजमर्रा के प्रशासन में अधिक स्वायत्तता देने का सुझाव दिया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और केन्द्र के बीच एक गोल-मेज चर्चा का भी सुझाव दिया गया है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग). सरकार ने 3 अक्तूबर, 1971 के 'इंडियन एक्सप्रैस' के सम्बन्धित समाचार को देखा है। इस सदन में आज अतारांकित प्रश्न संख्या 375 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका की फाइलों का जब्त किया जाना

*389. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग तथा सतर्कता आयोग ने एक समन्वित छापे में नई दिल्ली नगर पालिका की सैकड़ों फाइलों को जब्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो छापा मारने तथा फाइलों को जब्त किये जाने का क्या कारण था ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 23 जुलाई 1971 के "टाइम्स आफ इंडिया" में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). सरकार ने प्रैस रिपोर्ट देखी है। इस प्रकार का न तो कोई छापा मारा था और न ही फाइलें पकड़ी गई थीं। तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाई जाने वाली कुछ परियोजनाओं की तकनीकी जांच करने की दृष्टि से, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सम्बन्धित मुख्य तकनीकी परीक्षक ने नई दिल्ली नगर पालिका के कार्यालय से सम्बन्धित अभिलेख एकत्रित किये थे।

इंजीनियरिंग उद्योग में कच्चे माल की कमी

*390. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक इंजीनियरी एककों में कच्चे माल, विशेषकर इस्पात की कमी के कारण पर्याप्त क्षमता अभी भी बेकार पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो पूरी क्षमता के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु इंजीनियरी उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) स्टेनलेस इस्पात सहित

इस्पात जैसे कुछ औद्योगिक कच्चे माल की आम कमी है। इस कमी के फलस्वरूप कुछ इंजीनियरी उद्योगों की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका है।

(ख) 1. इंजीनियरी उद्योग की क्षमता के समुचित उपयोग का सुनिश्चय करने के विचार से सप्लाई स्थिति की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय बरतें जाते हैं। 1970-71 की अवधि में कुल 5.5 लाख मी० टन इस्पात का आयात किया गया और करीब 200 करोड़ रुपये का इस्पात आयात करने के लिए लाइसेंस दिया गया जबकि 1969-70 में करीब 3 लाख मी० टन इस्पात का आयात किया गया था। अब मिल रही स्वीकृतियों और हिन्दुस्तान स्टील लि० को मिली स्वीकृतियों के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि वर्ष के शेष समय में और अगले वर्ष के शुरू में देश में पर्याप्त मात्रा में इस्पात का आयात किया जायेगा। हिन्दुस्तान स्टील लि० को मिली 6 लाख मी० टन की सामूहिक स्वीकृतियों में से 2 लाख मी० टन माल पहुँच चुका है। और 3.90 लाख मी० टन पहुँचने वाला एम० एम० टी० सी० ने भी 1 लाख मी० टन के लिये क्रयादेश दिया है जो रास्ते में है। 2.60 लाख मी० टन इस्पात के लिए भी क्रयादेश दे दिया गया है जिसके वित्तीय वर्ष के अन्त तक पहुँच जाने की आशा है। उदार आयात के परिणाम स्वरूप खुले बाजार भाव में कुछ नर्मी आई है आयात पूरा होने पर स्थिति सुधारने की आशा है।

2. औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1971 को देश में इस्पात की उपलब्धि स्थिति की संवीक्षा करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में यह निश्चय किया गया कि वास्तविक उपभोक्ताओं को संतुलन उपकरणों के लिए, आवंटित करने हेतु प्रथमतः 5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी जाये इसके लिए निश्चित प्रणाली के अपनाने की आवश्यकता नहीं है बैठक में और इस्पात के आयात की संभावनाओं को शीघ्रता से पता लगाने का भी निश्चय किया गया। नवम्बर 1971 और मार्च अप्रैल, 1972 के बीच करीब 50 करोड़ रुपये के मूल्य के इस्पात का आयात किये जाने की आशा है। इस्पात की उपलब्धता स्थिति को जताने वाली प्रणाली को भी सुप्रवाही बनाया जायेगा ताकि देश में इस्पात की उपलब्ध मात्रा का सरकार को पता चल सके। विशेष कर लघु उद्योग एककों से संबंधित वितरण प्रणाली की भी संवीक्षा की जा रही है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में यह भी निश्चय किया गया था कि योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल योजना की शेष अवधि की इस्पात आवश्यकताओं का पता लगायेगा। ताकि प्राथमिकताओं के आधार पर इस्पात की उपयोग स्थिति को नियोजित किया जा सके।

3. औद्योगिक कच्चे माल सम्बन्धी आयात नीति पर भी समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता हैं। 1971-72 की आयात नीति में ऐसी वस्तुओं की जिनकी विश्व में सप्लाई कम है के आयात के विषय में विशेष व्यवस्था की गई है। विश्व में कमी वाली वस्तुओं की अपर्याप्त सप्लाई के कारण जिन उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है उन्हें एक बार में छः महीने की आवश्यकता का आयात करने के लिए आवेदन देने की स्वीकृति दी जा रही है।

4. आयात नीति में वास्तविक उपभोक्ताओं की पात्रता की संवीक्षा करने की व्यवस्था है। वास्तविक उपभोक्ताओं के ऐसे आवेदनों के मामलों पर जिनके औद्योगिक उत्पादन पर वर्तमान आयात नीति के कार्यान्वियन स्वरूप अनुचित प्रभाव पड़ने की सम्भावना है मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात की उपसमिति द्वारा विचार किया जाता है।

5. निर्यात परक इंजीनियरी उद्योगों का प्रमुख उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात की वस्तुओं का सम्भरण इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा स्वीकृत प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। अपर्याप्त सम्भरण वाले वर्गों के सम्बन्ध में उदार आयात नीति अपनाई जा रही है। दिनांक 11.9.1970 को पब्लिक नोटिस सं० 140-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 द्वारा सितम्बर, 1970 में निर्यात परक इंजीनियरी उद्योगों सहित अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में एक विशिष्ट आयात नीति की घोषणा की गई।

मन्त्रियों से सम्बन्धित सूचना अधिकारियों का प्रचार के विभिन्न साधनों वाले अन्य पदों पर बदला जाना

2330. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन अधिकारियों की उनके पदनाम, कालावधि, वर्ष सहित सूची सभा पटल पर रखेगी जो प्रेस सूचना विभाग के मुख्यालय में पिछले दस वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) मंत्रियों से सम्बन्धित सूचना अधिकारियों के रूप में काम कर रहे केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों का अन्य अधिकारियों की तरह प्रचार के विभिन्न साधनों के अन्य पदों पर न बदले जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है।

(ख) केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न ग्रेडों के ऐसे अधिकारियों, जो एक ही संगठन में काफी समय से कार्य कर रहे हैं, का अन्तर्विभागीय स्थानांतरण करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। प्रस्तावित स्थानान्तरण में वे सूचना अधिकारी भी शामिल होंगे जो 10 वर्ष से अधिक समय से पत्र सूचना कार्यालय में काम कर रहे हैं।

विवरण

जो लगातर 10 वर्ष से अधिक समय से पत्र सूचना कार्यालय (नई दिल्ली) में काम कर रहे हैं।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	पत्र सूचना कार्यालय में तैनाती की तारीख
1.	श्री टी० ए० रमैया	उप-प्रधान सूचना अधिकारी	5-5-1960
2.	श्री आर० एन० महादेवन	सूचना अधिकारी	2-12-1954
3.	श्री वी० रघुराम अय्यर	सूचना अधिकारी	17-1-1957
4.	श्री बलवीर सिंह	सूचना अधिकारी	5-12-1947
5.	श्री जी० डी० चन्दन	सूचना अधिकारी	29-5-1948
6.	श्री एच० एल० कपूर	सूचना अधिकारी	25-2-1955

1	2	3	4
7.	श्री बी० एम० रेड्डी	सहायक सूचना अधिकारी	22-3-1954
8.	श्री एस० जी० लाल	सहायक सूचना अधिकारी	11-2-1957
9.	श्रीमती इन्दुमती सहगल	सहायक सूचना अधिकारी	22-12-1956

आकाशवाणी का विदेश सेवा कार्यक्रम

2331. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अक्तूबर, 1971 के "नैशनल हैराल्ड" में 'आल इंडिया रेडियो एक्सटरनल सर्विस' पर छपे लेख की ओर गया है जिसमें यह मांग की गई है कि विदेश सेवा कार्यक्रम पर विदेश मंत्रालय का अधिक नियंत्रण होना चाहिए ;

(ख) उनके मंत्रालय, विदेशी प्रचार डिवीजन और आकाशवाणी में विदेशों के लिए रेडियो कार्यक्रमों लिए सामान्यतया और विशेष कार्यक्रमों के लिए समन्वय की क्या व्यवस्था है ; और

(ग) ये व्यवस्थाएं किस प्रकार कार्य कर रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेश प्रचार प्रभाग के निदेशक आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग की कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग तथा अन्य प्रभागों से भी घनिष्ठ सम्पर्क रखता है ताकि वैदेशिक सेवाओं के प्रसारणों में भारत की विदेश नीति सही रूप से प्रतिबिम्बित हो सके । विदेश प्रचार प्रभाग विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से आकाशवाणी को विदेशों के लिये कार्यक्रमों के लिए सामग्री देता है तथा आकाशवाणी को विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारियों की भर्ती में भी सहायता देता है ।

(ग) समन्वय के प्रबन्ध सन्तोषजनक हैं ।

बड़ी फर्मों द्वारा छोटा नागपुर तथा पालामऊ के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

2332. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा, बिड़ला, साहूजैन और डालमिया बन्धुओं को सामान्य रूप से छोटानागपुर तथा विशेष रूप से पलामऊ के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए कोई अनुदेश दिया है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों में वहां के खनिज ससाधनों का लाभप्रद उपयोग करने हेतु बड़े

औद्योगिक गृहों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं और छोटानागपुर के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिभा पलायन

2333. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **विज्ञान प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 नवम्बर, 1971 के 'स्टेट्समैन' में 'ब्रेन ड्रेन इन इण्डिया' पर छपे लेख तथा प्रतिभा को आकर्षित करने सम्बन्धी व्यापक नीति सम्बन्धी 13 नवम्बर, 1971 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो क्या हमारी विज्ञान नीति इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है जैसी कि प्रेस समाचारों में बताई गई है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशों से भारतीयों को लौटने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) अपनी विज्ञान नीति में त्रुटियों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार ने लेखों को देखा है । भारत सरकार का विज्ञान नीति का प्रस्ताव (1958) नवम्बर, 1970 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति (कोस्ट) द्वारा आयोजित वैज्ञानिकों, टैक्नोलोजिस्टों और शिक्षाविदों के सम्मेलन में तृतीय बार मूल्यांकित किया गया था । सम्मेलन ने इसमें किसी संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को आवश्यक नहीं समझा ।

(ख) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की विदेशों से भारत वापिसी को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाये गये कुछ कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । प्रयत्न आगे भी जारी रखे जायेंगे ।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की भारत वापिसी को सुविधाजनक बनाने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) विदेशों से वापस लौटने पर, सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों को अस्थायी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए एक वैज्ञानिक पूल का निर्माण ।

(2) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्यक पदों का निर्माण जिन के लिये विदेशों में कार्य तथा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की अस्थायी नियुक्ति तुरन्त की जा सकती है ।

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग उन भारतीय

वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों को, जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते हैं, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए 'वैयक्तिक सम्पर्क' के रूप में उम्मीदवार मानने के लिए सहमत हो गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने, भारत में पदों के लिए, भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों का विदेशों में इंटरव्यू लेने की व्यवस्थाएं भी कर ली हैं।

(4) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों के नाम दर्ज करने के लिए तथा उनके नामों को सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्व-विद्यालयों, सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों तथा वृहत निजी क्षेत्र के परिष्ठानों में भेजने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर एक विशिष्ट अनुभाग का अनुरक्षण। ऐसे कर्मचारियों के नाम मासिक तकनीकी जन-शक्ति बुलेटिन (सी.एस.आई. आर.) में प्रकाशित किए जाते हैं, जो कि सारे भारत में लगभग 3,000 संस्थाओं को निःशुल्क बांटी जाती है।

(5) उन वैज्ञानिकों को यात्रा अनुदान देने की व्यवस्था, जो कि भारत में अनुसंधान संस्थान में चुने जाने पर उन संस्थानों में कम-से-कम तीन वर्षों तक काम करने को तैयार होंगे।

संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था

2334. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था को एक सांविधिक निकाय बनाने सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक पुरःस्थापित किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो बिलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक पुरःस्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). संयुक्त परामर्शदात्री और अनिवार्य माध्यस्थ व्यवस्था के अधीन स्थापित राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी-पक्ष के प्रतिनिधियों से संयुक्त परामर्श-दात्री व्यवस्था को एक सांविधिक निकाय बनाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर परामर्श किया जा रहा है। ज्योंहि ये परामर्श पूर्ण होंगे, कर्मचारी-पक्ष के विचारों पर पूर्णतः ध्यान देने के बाद ही, इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जायेगी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के नेशनल रजिस्टर में पंजीकृत वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी के आदान प्रदान के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के बीच समन्वय का अभाव

2335. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी पदों पर नियुक्तियों के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग के आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थियों के लिए यह संकेत करने के लिये व्यवस्था नहीं होती कि क्या उन्होंने

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के नेशनल रजिस्टर में अपना नाम पंजीकृत करा रखा है या नहीं ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप, किसी-गैर-पंजीकृत वैज्ञानिक को नेशनल रजिस्टर में पंजीकृत करने अथवा पहले से पंजीकृत किसी वैज्ञानिक को उसकी अर्हताओं के अनुरूप नौकरी दिलाने में सहायता करने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के नेशनल रजिस्टर सेल के बीच उक्त वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के लिये क्या समुचित समन्वय नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). अपनाई जा रही प्रक्रिया इस प्रकार है :—

(i) संघ लोक सेवा आयोग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अपने विज्ञापन, खाली प्रपत्रों तथा "अभ्यर्थियों के लिए सूचना" सम्बन्धी विवरण की प्रतिलिपियां भेजता है ।

(ii) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आवेदन प्रपत्र तथा सम्बद्ध 'अभ्यर्थियों के लिए सूचना' सम्बन्धी विवरण नेशनल रजिस्टर में दर्ज उन अभ्यर्थियों को भेजता है, जो विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अर्हतायें, अनुभव इत्यादि रखते हैं और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे विहित तिथि तक अपने आवेदन पत्र संघ लोक सेवा आयोग को भेज दें। साथ ही साथ, ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची, जिन्हें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आवेदन पत्र भेजे जाते हैं, उनकी पंजीकरण संख्या सहित आयोग को भेजी जाती है ।

(iii) भर्ती से सम्बन्धित साक्षात्कारों के पूरे होते ही आयोग उन अभ्यर्थियों के बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सूचित करता है, जो साक्षात्कार के लिए बुलाये गये थे तथा उनके बारे में भी जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हुए ।

(iv) जब कभी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेशनल रजिस्टर में पंजीकृत किया गया कोई अभ्यर्थी आयोग द्वारा किसी पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो उस विभाग को जिसने उसकी भेजने की सिफारिश की है, अभ्यर्थी को दिए जाने वाले नियुक्ति-पत्र की एक प्रति सूचना के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को भेजने के लिये कहा जाता है ।

2. उपर्युक्त प्रक्रिया के संबंध में, यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्रों में इस संकेत की विशिष्ट व्यवस्था की जाय कि, क्या अभ्यर्थी ने अपने को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेशनल रजिस्टर में पंजीकृत करवाया हुआ है । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि, हालांकि यह बतलाने के लिए कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है कि, क्या कोई वैज्ञानिक अभ्यर्थी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेशनल रजिस्टर में

पंजीकृत है अथवा नहीं, तो कोई भी ऐसा अभ्यर्थी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में अपने पंजीकरण सम्बन्धी तथा अपने प्रपत्र में कहीं भी अथवा 'अतिरिक्त टिप्पणी' शीर्षक कालम में बतला सकता है। उपरोक्त प्रक्रिया संतोषजनक पाई गई है।

कागज के मूल्य बढ़ाने की मांग

2336. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग ने कागज के मूल्य बढ़ाने की मांग की है और इसमें पूर्ण गतिरोध आ गया है तथा इसके परिणामस्वरूप देश में कागज का अकाल सा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कागज उद्योग की मूल्य वृद्धि की मांग को सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के विरोध में उद्योग द्वारा कागज का बनावटी अकाल पैदा करने के प्रयास को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) कागज की उक्त कमी को कैसे और कब दूर किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, नहीं। फिर भी, प० बंगाल में कागज के कुछ कारखानों ने वहां की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उनमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है देश में कागज की कुछ कमी है जो कागज के मूल्यों में वृद्धि करने की उपरिलिखित मांग के कारण न होकर अपितु देश में सम्पूर्ण रूप से हो रहे उत्पादन और मांग के बीच अन्तर के कारण हुई है।

(ख) सरकार ने कागज उद्योग के लिए एक तदर्थ समिति स्थापित की है, जो कागज के उत्पादन और मूल्यों पर निरन्तर निगरानी रखती है और उचित कार्रवाही करती है तथा इस पर भी ध्यान रखती है कि विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों में कागज का समान रूप से वितरण होता रहे।

(ग) जोरदार कार्यक्रम के माध्यम से तथा विद्यमान मिलों में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने के लिए लाइसेंस देने में उदारता बरतने के साथ साथ सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कागज की नई मिलें स्थापित करके कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र में एक निगम की स्थापना की गई है। आशा है कि इन उपायों से कागज की सप्लाई स्थिति धीरे-धीरे सुधरती जाएगी।

खामपुर-दिल्ली, स्थित उच्च शक्तिशाली ट्रांसमिटर पर एक मैकेनिक की मृत्यु

2337. **श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खामपुर, दिल्ली स्थित उच्च शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर कुछ इंजीनियररों की कथित लापरवाही के कारण एक मैकेनिक की अचानक मृत्यु की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम तथा निर्देशपद क्या हैं ; और

(ग) इसके द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक सरकार को प्रस्तुत कर दिये दिए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार के संकल्प की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें समिति का गठन उसके निर्देश पद तथा उस द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का सम्भाव्य समय दिया हुआ है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये** संख्या एल० टी०—1191/71] ।

दिल्ली में नये टेलीविजन टावर का निर्माण

2338. **श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन दर्शकों ने बार-बार शिकायतें की हैं कि जब से दिल्ली में नया टेलीविजन टावर चालू किया गया है तब से चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते और टेलीविजन के चित्रों में परछाइयां और लाइनें दिखाई देती है और बहुधा टेलीकास्ट करने में बार-बार अवरोध हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे इंजीनियर 'टेलीकास्टिंग' के इन दोषों को दूर नहीं कर सके हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने जर्मनी के ट्रांसमीटर सप्लाई करने वालों से कोई सहायता मांगी है ; और

(क) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त दोषों को दूर करने के लिए क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) प्रारम्भिक अवस्था में नगर के कुछ भागों में चित्रों के स्पष्ट रूप से दिखाई न देने की शिकायतें थीं । ट्रांसमिशन में कोई दोष नहीं था, परन्तु टेलीविजन सैटों में कुछ समंजन करना जरूरी पाया गया । टेलीविजन सैटों के मालिकों को तदनुसार कदम उठाने की सलाह दी गई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में वृद्धि

2339. **श्री राम चन्द्रा कडनापल्ली** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध परीक्षाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रविष्ट होने के लिए ऊपरी आयु-सीमा को बढ़ाकर 26 वर्ष तक करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश का सम्बन्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं से है और जो सरकार के पास विचाराधीन है।

संघ लोक सेवा आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है।

बिनौले की पेराई

2341. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिनौले से तेल निकालने के लिए राज्यवार कितनी मात्रा में बिनौले की पेराई होती है ; और

(ख) अधिक मात्रा में बिनौले की पेराई के लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) :

	राज्य	वर्ष 1970 में तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में दर्ज एककों द्वारा पेरे गए बिनौले की मात्रा (मी० टन लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.14
2.	गुजरात	0.73
3.	हरयाणा	0.14
4.	मध्य प्रदेश	0.24
5.	महाराष्ट्र	1.76
6.	मैसूर	0.47
7.	तमिलनाडु	0.04

(ख) सरकार ने, वनस्पति के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले बिनौले के तेल पर उत्पादन शुल्क में छूट के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं। रिफाइन्ड बिनौले का तेल उत्पादन शुल्क से मुक्त है। तल पेरने की प्रक्रिया से बिनौलों से तेल निकालने के लिए मशीनरी के निर्माण का और विलेयक निस्सारण प्रक्रिया से तेल निकालने की मशीनरी के निर्माण का देश में ही प्रबन्ध है।

Election of a Pakistani national to Chandpur Municipal Committee

2342. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have enquired into the fact that a person, named Shri

Amiruddin, who is a Pakistani national, has been elected to the Chandpur Municipal Committee in Bijnor District in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto, the future action proposed to be taken as also the necessary directions issued to the State Government in this regard ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) It is a fact that Shri Amiruddin, who earlier had been held by the Central Government to have voluntarily acquired the citizenship of Pakistan, has been elected as member of the Chandpur Municipal Board in Uttar Pradesh. Shai Amiruddin had been contesting the decision of the Central Government by going to courts and obtaining injunctions. Currently, his appeal is pending in the Supreme Court which had also passed stay orders against implementing Government orders pending disposal of the appeal. Shri Amiruddin claims himself to be an Indian citizen.

(b) A notice was issued to Shri Amiruddin by the Electoral Registration Officer on 21st August, 1971 as to why his name should not be removed from the voters list. Shri Amiruddin has given his reply to this notice which is under consideration of the electoral authorities.

निश्चित-आय वर्ग के लिए राज-सहायता प्राप्त दरों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

2343. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निश्चित आय वर्ग को कुछ राहत देने के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए राज-सहायता देने की वांछनीयता पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन ढांचा तृतीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय का एक अंग है । आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी धन के अनधिकृत प्रयोग के बारे में शिकायतें

2344. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** :

श्री क० लकप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उसके द्वारा प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को भवन निर्माण के लिए दिए गए ऋण के अनधिकृत प्रयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच कराई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). कम्पनी कार्य विभाग को, जिसने पी०टी०आई० का निरीक्षण कराया

था, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट उनके विचाराधीन है।

सेवलपुराई (तमिलनाडु) में साम्प्रदायिक तनाव

2345. **श्री बक्सी नायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 13 सितम्बर, 1971 के 'पेट्रियट' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि तमिलनाडु में अरकाट जिले में एक गांव सेवलपुराई में स्वर्ण हिन्दुओं और हरिजनों के बीच साम्प्रदायिक तनाव है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) हरिजनों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). राज्य सरकार से रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है, जो अभी आनी है।

केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों के दिल्ली में मकान तथा प्लाट

2346. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन मन्त्रियों के नाम तथा संख्या क्या है जिनके अपने नाम पर अथवा अपने परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों के नाम पर दिल्ली में मकान तथा प्लाट हैं ;

(ख) प्रत्येक मन्त्री के पास कितने प्लाट/मकान हैं ; और

(ग) उनके पास अथवा उनके परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों के नाम पर अनुमानत: कितने मूल्य की भूमि तथा मकान हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—1192/71**]

कैबरे डान्सर की रिहाई के बारे में निर्णय

2347. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 सितम्बर, 1971 के ब्लिट्स में "आब्सीन ? यैस एनाईगी" ? नंगी। (अश्लील ? हां, क्रोधजनक ? नहीं) शीर्षक प्रकाशित एक कैबरे डांसर की रिहाई के निर्णय के संबंध में छपे लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्णय की जांच की जा रही है।

शिमला में लक्कड़ बाजार का धंस जाना

2348. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि शिमला धीरे-धीरे धंसता जा रहा है ;

(ख) क्या लक्कड़ बाजार की ऊर्ध्व भूमि (रिज) और कुछ भाग दो फुट से अधिक धंस गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारी कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, भारी तथा निरन्तर वर्षा के कारण होने वाले स्खलन तथा धसन के बारे में दो विशेषज्ञों का एक दल 31-8-71 से 2-9-71 तक शिमला गया। दल इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उससे शिमला की पहाड़ियों की आधारभूत चट्टान संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और फिलहाल यह हलचल शिमला रिज के प्रभावित भाग के उत्तरी ढाल में अधिक-भार तक ही सीमित है।

(ग) विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट में कतिपय अन्वेषणात्मक कार्यक्रमों के बारे में सुझाव दिया है ताकि समस्या का समुचित वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग समाधान ढूंढ़ा जा सके। दल ने एक पहाड़ी क्षेत्र सुरक्षा समिति स्थापित करने की भी सिफारिश की है जो तैयार किये गये सुरक्षा उपायों के कार्यान्वियन पर निरन्तर नजर रखे और शिमला शहरी क्षेत्र के विकास को विनियमित करे। ये सिफारिशें हिमाचल प्रदेश सरकार के विचाराधीन हैं।

श्रीलंका में मंझले-उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण

2349. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीलंका में मंझले उद्योगों की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिये सर्वेक्षण करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इससे भारत को कहाँ तक लाभ होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). भारत तथा श्रीलंका के बीच सितम्बर, 1971 में हुई बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के विचार से जांच पड़ताल करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए निम्नलिखित पांच प्रकार के उद्योगों को निश्चित किया गया था :—

(1) ग्रेफाइट पर आधारित उद्योग

(2) श्री लंका में उपलब्ध सिलिकासैंड पर आधारित कांच (ग्लास शीट तथा आपथैस्मिक ग्लास)

(3) ऊष्मसह (रिफ्रक्टरियां)

(4) रबड़ की वस्तुएं टायर तथा ट्यूबों सहित।

(5) फालतू वैद्युत पुर्जे तथा बसों तथा चेसिसों के लिए मोटरगाड़ी के फालतू पुर्जे।

भारत ने उपर्युक्त उद्योगों के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा समान रूप से सम्भाव्यता अध्ययन के लिये परामर्शदायी सेवायें अर्पित की हैं।

आशा है कि निगम, औद्योगिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत बनायेगा और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ायेगा।

संसद् सदस्यों और विधायकों द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन जिसमें हरियाणा के मुख्य-मंत्री और मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं

2350. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद्-सदस्यों और हरियाणा राज्य के कुछ विधायकों ने भारत के राष्ट्रपति को हाल ही में कोई ज्ञापन दिया है जिसमें हरियाणा के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने किसी जांच का आदेश दे दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). श्री भगवत दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 को संसद् सदस्य श्री बी० डी० शर्मा तथा हरियाणा के कुछ विधायकों और अन्य व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था। ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसीलाल तथा अन्य के विरुद्ध दुराचार, शक्ति का दुरुपयोग, अनियमितताओं इत्यादि के कुछ आरोप निहित हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

दिल्ली नगर निगम में गबन

2351. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के दो कर्मचारियों द्वारा किये गये गबन के मामले में कोई जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). पशु चिकित्सा (मवेशी-घरों) तथा सम्पत्ति कर विभागों के लेखों की लेखा-परीक्षा के दौरान गबन के दो मामले ध्यान में आए थे। जांच-पड़ताल से क्रमश: 46,913 रुपए तथा 27,000 रुपए के दुरुपयोग होने का सन्देह है। जांच के लिए मामला विशेष पुलिस संस्थान के सुपुर्द कर दिया गया है।

पंजाब में संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

2352. **श्री एम० कल्याणसुन्द्रम** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में टाटा और दिल्ली क्लाथ मिल्स के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने सम्बन्धी अपने प्रस्ताव के लिए केन्द्र से मंजूरी मांगी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां। पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम ने कुछ परियोजनाओं जिनके लिए उसे आशय पत्र मंजूर किए गए हैं, की कार्यान्वित करने के लिए मै० दिल्ली क्लाथ मिल्स लि० तथा मै० टाटा आयल मिल्स लि० से सहयोग के लिये केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मांगी है।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या आंकने की सांख्यकी प्रणाली में परिवर्तनों के बारे में बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का सुझाव

2353. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के सभापति ने बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए अपनाई जा रही सांख्यकी प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या आंकने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जा रही विद्यमान प्रणाली में क्या त्रुटियां हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है और सरकार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अधिक वास्तविक ढंग से आंकने के लिए क्या विशिष्ट परिवर्तन करने जा रही है ; और

(घ) सरकार के वर्तमान अनुमान के अनुसार कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं और चौथी योजना के तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है और यह किस दर से किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). बेरोजगारी का अनुमान लगाने तथा रोजगार के अवसर सुलभ कराने के सम्बन्ध में रीति विधान सम्बन्धी पहलुओं के बारे में सलाह देने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित बेरोजगारी प्राक्कलन विशेषज्ञ समिति ने ये सुझाव दिये :—

(1) विकसित अर्थ व्यवस्था में अपनाई जाने वाली श्रम दल सम्बन्धी धारणायें तथा बेरोजगारी व अर्थ-रोजगारी सम्बन्धी मापदण्ड हमारी अर्थ व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहां पर स्वरोजगार पर तथा घरेलू उद्योग धन्धों पर निर्भरता पहले ही अधिक है : (2) एक ही मापदण्ड के आधार बेरोजगारी तथा अर्ध रोजगारी का आकलन न तो कोई अर्थ रखता है और

न ही यह आर्थिक स्थिति का उपयोगी चित्र ही प्रस्तुत कर सकता है ; (3) श्रम बल के विभिन्न भागों के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएं जिनमें क्षेत्र, ग्रामीण-शहरी निवास, कर्मचारियों के स्तर, शिक्षा, आयु, लिंग आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाय तथा (4) जन-गणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा रोजगार कार्यालय जैसे अभिकरणों द्वारा आंकड़े संकलित करने तथा उनको प्रस्तुत करने में अपनाई जाने वाली प्रणाली में विभिन्न प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए। रोजगार तथा जनशक्ति से सम्बन्धित कार्य में लगे हुये विभिन्न अभिकरणों से परामर्श लेकर समिति के सुझावों पर विचार किया गया। आंकड़े संकलित करने वाले अभिकरणों द्वारा कुछ सुझावों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। 1972-73 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था द्वारा एक व्यापक श्रम बल सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है। समिति की सिफारिशों के अनुसार रोजगार के क्षेत्र में कुछ चुनीदा अध्ययन प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त कारणों से चौथी योजना के तीन वर्षों में बेरोजगारी तथा इस दौरान रोजगार के सुलभ किए गए अवसरों के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित नहीं किए जा सके।

यह बात उल्लेखनीय है कि योजना आयोग देश में बेरोजगारी की गम्भीरता के सम्बन्ध में पूर्णतया सजग है। चौथी योजना के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम तैयार करते समय योजना आयोग ने इस पहलू को ध्यान में रखा। सभी कार्यक्रम अधिक रोजगार सुलभ कराने की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। कमजोर वर्गों तथा क्षेत्रों की, जहां कि यह समस्या अधिक है, विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये हैं तथा इन्हें 1970-71 से कार्यान्वित किया जा रहा है। जो विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं उनमें ये सम्मिलित हैं : लघु कृषक विकास अभिकरण (67.5 करोड़ रुपए), सीमान्तो किसानों तथा खेतिहर मजदूरों से सम्बन्धित अभिकरण (47.5 करोड़ रुपए), ग्राम निर्माण कार्यक्रम (100 करोड़ रुपए)। बारानी खेती कार्यक्रम (20 करोड़ रुपए) तथा क्षेत्र विकास स्कीमें (15 करोड़ रुपए)। इसके अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में जो तूफानी (क्रैश) स्कीम चालू वर्ष में प्रारम्भ की गई है, से आशा है प्रत्येक जिले में औसतन 1000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम के लिये 971-72 में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इंजीनियरों तथा तकनीशियनों सहित शिक्षित बेरोजगारों के लिये विशेष रूप से बनाई गई स्कीमों के लिए 1971-72 के केन्द्रीय बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जो मुख्य कार्यक्रम स्वीकृत हुए हैं वे इनसे सम्बन्धित हैं—प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण, कृषि सेवा केन्दों की स्थापना, लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों की सहायता, पाँचवी योजना में उठाये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों जांच, ग्रामीण जल-पूर्ति के लिपे डिजायन एककों की स्थापना तथा पेट्रोल डीलरशिप की स्थापना के लिए उद्यमियों को सहायता। अर्ध-कुशल तथा अकुशल कामगारों के अतिरिक्त इन कार्यक्रमों से कई शिक्षकों, इंजीनियरों, डिप्लोमा धारियों, नक्शानवीशों, स्नातकों तथा मैट्रिक पास लोगों को रोजगार मिलने की आशा है।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

2354. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स ने अपने जीवन में प्रथम बार कुछ लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लाभ सभी तीनों एककों द्वारा अर्जित किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो अन्य एककों में हानि के क्या कारण हैं ; और

(घ) सभी एककों में हानि रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा): (क) जी, हां, वर्ष 1970-71 में ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) एककों में उत्पादन अलग-अलग तारीखों में शुरू हुआ तथा निर्मित उत्पादों का प्रारम्भिक विकास काल भी भिन्न-भिन्न है ।

(घ) एक एकक में लाभ हुआ है एवं दूसरे में 1971-72 में लाभ होने की आशा है। विशेष प्रयत्नों से क्रयादेश प्राप्त करन की स्थिति में सुधार हुआ है तथा इस सम्बन्ध में प्रवीणता प्राप्त की जा रही है जिससे वर्ष 1975-76 तक तीसरा संयंत्र भी बराबरी पर आ जाय ।

Setting up of Industries in Uttar Pradesh in Collaboration with Foreign Countries

2355. **Skri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether some development countries are setting up big industries in India ;

(b) if so, the names of the States where these industries are likely to be set up in the first instance and whether any industry will be set up in Uttar Pradesh ; and

(c) the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) to (c). The Government has been receiving from time to time, proposals from Indian parties for collaboration with foreign industrialists for setting up industries in India. Besides this, some parties from the industrially advanced countries have also shown interest in transferring their industrial plants to India in order to set up export-oriented and labour intensive industries.

Details of industrial licences and letters of intent issued containing *inter alia* information in respect of location of factories, as well as the quarterly lists of foreign collaborations approved are published in the Journal of Industry and Trade, copies of which are available in the Parliament Library.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर

2356. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूरस लिमिटेड के एकक की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस एकक में भर्ती की क्या प्रक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का अजमेर में कोई एकक नहीं है । किन्तु अजमेर में मशीन टूल कारपोरे-

शन आफ इण्डिया लि०, अजमेर नामक एक एकक है। यह अनुमानित है कि माननीय सदस्य का प्रश्न इसी एकक से सम्बन्धित है।

इस एकक में उत्पादन अप्रैल, 1970 से प्रारम्भ हुआ है और 1970-71 में 28.71 लाख रु० के मूल्य का उत्पादन हुआ है।

(ख) 500 रु० तक वेतन वाले पदों पर भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है। रोजगार कार्यालय से अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात ही इन पदों पर विज्ञापन देकर भर्ती की जाती है।

500 रु० से अधिक वेतन पाने वाले पदों पर भर्ती प्रसिद्ध राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर खुले बाजार में की जाती है। सभी चयन समितियों में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि अधिकारी होता है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड भोपाल की उत्पादन क्षमता

2357. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल की कुल उत्पादन क्षमता क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : स्थापित सुविधाओं तथा विकसित प्रवीणता से वर्ष 1971-72 में हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल की उत्पादन क्षमता कुल 42 करोड़ की है।

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भनुआगंज शिविर में पुलिस गोलीकांड

2358. **श्री रतन लाल ब्राह्मण** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भनुआगंज शिविर में 3 सितम्बर, 1971 को पुलिस गोलीकाँड में बंगला देश के तीन निष्क्रान्त व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस गोलीकांड के क्या कारण थे ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

बंगाल बन्द

2359. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अगस्त, 1971 को पश्चिम बंगाल में, 'बन्द' आयोजित हुआ था ;

(ख) क्या इसको रोकने के लिए प्रयास किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ;

(घ) बन्द से कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ङ) इस प्रकार के बन्द को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (क) से (ग). कुछ वामपन्थी राजनैतिक दलों ने 13 अक्तुबर, 1971 जो बंगाल बन्द का आवाहन किया था । बन्द के दिन परिवहन सेवाएं सामान्य रूप से कार्य कर रही थी । सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों ने भी सामान्य रूप से कार्य किया । कलकत्ता बन्दरगाह और गोदियों पर एवं सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति सन्तोषजनक थी । अधिकतर स्थानों में दुकानें सिनेमाघर खुले रहे । कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने बन्द का समर्थन नहीं किया ।

(घ) बन्द के कारण हुई हानि का आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ङ) सरकार समझती है कि ऐसे बन्द राष्ट्र तथा सरकार के लिए अहितकर है । अतः सभी सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं ताकि ऐसे अवसरों पर लोग अपने सामान्य काम-काज करते रहें ।

देश में चोरी और अन्य अपराधों के आरोप में विदेशियों की गिरफ्तारी

2360. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोरी और अन्य अपराधों के आरोप में देश में गत एक वर्ष में कुल कितने विदेशियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न अपराधों के लिए 1970 से 366 विदेशी गिरफ्तार किये गये थे ।

(ख) उपयुक्त कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई है ।

विस्तार कार्यक्रमों के लिए औद्योगिक गृहों की ओर से आवेदन-पत्र

2361. **श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक गृहों की ओर से उनकी विद्यमान क्षमता का विस्तार करने के लिए गत तीन वर्षों में कुल कितने आवेदन-पत्र मिले हैं ;

(ख) इन कम्पनियों (कन्सर्नस) के नाम क्या हैं ; और

(ग) अब तक कुल कितने आवेदन-पत्रों पर अनुमति दे दी गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) ऐसा विश्वास है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध वृहत औद्योगिक गृहों से है जिनका उल्लेख औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में किया गया है । 18-2-1970 की घोषित नई लाइसेंस नीति के पश्चात ही इन गृहों के बारे में अलग से सूचना रखी गई है । 19-2-1970 से 31-10-71 की अवधि में इन गृहों से क्षमता बढ़ाने के लिए 130 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) आवेदनों का विस्तृत ब्यौरा जिस पर अभी निर्णय किया जाना है, सामान्य रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता है ।

(ग) बड़े औद्योगिक गृहों को अब तक एक लाइसेंस और 9 आशय पत्र जारी किये गये हैं। 22 आवेदन-पत्र रद्द कर दिये गये हैं जबकि 5 आवेदन-पत्र वापस ले लिये गये हैं, रद्द कर दिये गये हैं अथवा अन्यथा उनका निपटारा कर लिया गया है। 93 आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन हैं।

कोलगेट पाल्मोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

2362. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतकाल में कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कोलगेट पाल्मोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा 'टुथ पेस्ट' की ट्यूबें पूरी-पूरी नहीं भरी जा रहीं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उक्त कम्पनी दांत साफ करने के ब्रश स्वयं नहीं बनाती वरन् सस्ते दामों पर अन्य कम्पनियों से बनवाती है और उन पर अपना चिन्ह अंकित करने के पश्चात् अधिक दाम पर उन्हें बेचती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). इस प्रकार की शिकायतें सरकार के पास आई हैं। उनकी जांच की जा रही है।

Alleged Obstruction by Pak Saboteurs in Karimganj, Assam

2363. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** :
Shrimati Jyotsna Chanda :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether according to the press report published in the Daily Veer Arjun dated the 23rd October, 1971, well planned efforts were made by the Pakistani saboteurs to obstruct Railway traffic in Karimganj Sub-Division of Cuchar District in Assam ;

(b) whether Pak intruders have set up their bases in some villages in the said area and the inhabitants of these villages render various types of assistance to them against India ;

(c) whether an M.L.A. of the area is also in league with the Pakistani intruders ; and

(d) if so, the action taken by Government against those villagers and the M.L.A., and, if not the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Government have seen the press report.

(b) Attenstion is invited to the answer to the Lok Sabha unstarred question No. 573, dated the 17th November, 1971.

(c) and (d). Fact are being ascertained from the Government of Assam.

लघु उद्योग क्षेत्र में रसायनों का उत्पादन

2364. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से देश में भविष्य में रसायनों का उत्पादन करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). लघु क्षेत्र में जहां कहीं रसायन का निर्माण संभाव्य और वांछनीय है, वहां प्रत्येक उत्पादन प्रोत्साहन दिया गया है । देश में बहुत से लघु एकक स्थापित हुए हैं और यह विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनों एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन में लगे हैं । अखिल भारतीय उद्योग सर्वेक्षण, 1968 के अनुसार, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत लघु रसायन एककों की संख्या और उनके उत्पादन की कीमत नीचे दी जाती है :—

उद्योग	कारखानों की संख्या	उत्पादन की कीमत (रु० लाखों में)
1. रबड़ उत्पादन	394	2529.50
2. प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	281	1861.64
3. उर्वरक एवं भारी रसायन	235	2845.98
4. रंग सामग्री	73	900.72
5. वनस्पति तेल, विलेयित तेल सहित	76	1210.24
6. पेंट, वार्निश तथा प्रलाक्षारस	119	1476.05
7. कीटनाशक, फफूंदनाशी एवं खरपतवार नाशी	41	700.95
8. औषध तथा भैषज	434	4135.36
9. साबुन एवं ग्लैसरीन	73	756.11
10. इत्र, अंगराग तथा अन्य प्रक्षालक सामग्री	89	1009.38
11. अन्य रसायन उत्पाद	553	2782.89

दिल्ली नगर निगम पर बकाया ऋण

2365. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 को दिल्ली नगर निगम के विभिन्न विभागों, दिल्ली परिवहन उपक्रम, दिल्ली बिजली सप्लाई तथा मल निकास उपक्रम द्वारा केन्द्रीय सरकार को कितना ऋण लौटाना शेष था ; और

(ख) इन विभागों द्वारा अब तक उस ऋण में से जो कि मार्च, 1971 तक दिया जाना था, कितना ऋण अभी तक नहीं लौटाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रश्न	दिल्ली नगर निगम	दिल्ली बिजली सप्लाई उपक्रम	दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निकास उपक्रम	दिल्ली परिवहन निगम
	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)	(रु० लाखों में)
(क) 31-3-1971 को केन्द्रीय सरकार को भुगतान की जाने वाली ऋण की कुल राशि	447.02	6588	3165	1379.90
(ख) अब तक भुगतान की गई ऋण की कुल राशि जो मार्च, 1971 तक भुगतान के लिए देय थी।	163.84	—	484	822.40

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता के कस्टोडियन और मैनेजर को गिरफ्तार किया जाना

2366. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के कस्टोडियन और कलकत्ता स्थित इस बैंक के रीजनल मैनेजर को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बैंक के इन दो अधिकारियों पर क्या आरोप लगाये गये हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 4 (2) और 22 के अन्तर्गत अभिकथित उल्लंघन के सम्बन्ध में की गई जांच के दौरान उक्त कस्टोडियन और रीजनल मैनेजर को अगस्त, 1971 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चीफ प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया।

इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। कस्टोडियन को 1 सितम्बर, 1971 से उनके द्वारा कस्टोडियन के रूप में किये जा रहे कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। कलकत्ता स्थित इस बैंक के रीजनल मैनेजर को उनकी गिरफ्तारी की तिथि से अन्तरिम रूप से मुअत्तल किया गया है।

'एरिया आर्गेनाइजर' सुरक्षा महानिदेशक, कांगड़ा क्षेत्र, के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2367. **श्री विक्रम महाजन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा क्षेत्र के एरिया आर्गेनाइजर, सुरक्षा महानिदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मार्च, 1970 में भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किये गये थे ; और

(ख) जांच का क्या परिणाम रहा और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् । श्री वी०वी० मौंगिया, एरिया आर्गेनाइजर, धर्मशाला के विरुद्ध 6-4-1970 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक मामला दायर किया गया था ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट से पता लगता है कि श्री मौंगिया द्वारा यात्रा भत्ता का झूठा दावा किया गया था और प्राप्त किया गया था । उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सम्बन्धी सरकार समिति का प्रतिवेदन

2368. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **श्री बी० आर० शुक्ल** :
श्री रामचंद्र वी० वड़े :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सम्बन्धी सरकार जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन का दूसरा भाग प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां, 16 अगस्त, 1971 को ।

(ख) सरकार समिति के सप्रतिवेदन का दूसरा खंड लोकसभा के सभा पटल पर दिनांक 24 नवम्बर, 1971 को रख दिया गया था । प्रतिवेदन की एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) दिनांक 24 और 25 अक्तूबर, 1971 को पूना में हुए एक सम्मेलन में सरकार समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं के निदेशकों ने विचार किया था । उस अवसर पर उन्होंने अपने-अपने विचार भी व्यक्त किये थे । उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सम्बन्धी सरकारी समिति का प्रतिवेदन

2369. **श्री विश्वनाथ झुन्झुनवाला :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समिति ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने का सुझाव अपने प्रतिवेदन के पहले भाग में दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सी सिफारिशें लागू करने के लिए स्वीकार कर ली गई हैं ?

योजना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकार समिति ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड-2 में, न कि खण्ड-1 में, सी०एस०आई०आर० की व्यवस्था में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन की सिफारिशें की हैं :

(1) राष्ट्रीय प्राथमिकता की अनुसंधान परियोजनाएं, आयोजित अनुसंधान, आयातित तकनीकी को अपनाना और राष्ट्रीय महत्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन तकनीकी का विकास करना, सी०एस०आई०आर० के उद्देश्य और मुख्य कार्यकलाप होना चाहिए ।

(2) सी०एस०आई०आर० के अनुसंधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय समिति-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परामर्श से तैयार किए जाने चाहिएं ।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मण्डल (बोर्ड) समाप्त कर देना चाहिए और सामान्य आधार पर निदेशकों के सम्मेलन को औपचारिक आधार प्रदान किया जाना चाहिए ।

(4) प्रधान मन्त्री और सम्बन्धित मंत्री महोदय, जो सी०एस०आई०आर० की शासी सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, को इन पदों से अलग हो जाना चाहिए और उनको अपना सम्बन्ध इस संस्था से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के रूप में कायम रखना चाहिए। चूंकि उद्देश्य सी०एस०आई०आर० की व्यवस्था को अंदरुनी बनाना है इसलिए महानिदेशक को शासी सभा का पदेन चेयरमैन होना चाहिए और इसमें चार निदेशक तथा सरकार द्वारा मनोनीत चार विशेषज्ञ होने चाहिएं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को भी इसी सिद्धांत (तरीके) का अनुसरण करना चाहिए। उनका निदेशक, कार्यकारी समिति का चेयरमैन होगा और 3-4 परियोजना अध्यक्ष और 2-3 विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे ।

(5) सी०एस०आई०आर० की शासी सभा का प्रधान कार्यालय तकनीकी सचिवालय के रूप में घोषित होना चाहिए ।

(6) प्रयोगशालाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों और कार्यकलापों को एक-दूसरे के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में बांट देना

चाहिए। प्रत्येक समूह को समान कार्यकलापों से सम्बन्धित समन्वय परिषद के अंतर्गत संगठित करना चाहिए।

दिनांक 24 नवम्बर, 1971 को सरकार समिति के प्रतिवेदन का दूसरा खंड लोक सभा के सभा पटल पर रख दिया था। प्रतिवेदन की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) और (ग). दिनांक 24 और 25 अक्तूबर, 1971 को पूना में हुए एक सम्मेलन में सरकार समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं के निदेशकों ने विचार किया था और उस अवसर पर उन्होंने अपने-अपने विचार भी व्यक्त किये थे। उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए, सरकार समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

पश्चिम बंगाल में ट्रक और बस के टायरों और ट्यूबों की कमी

2370. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायरों और ट्यूबों की कमी के कारण पश्चिम बंगाल की परिवहन व्यवस्था संकट का सामना कर रही है ;

(ख) क्या 50 प्रतिशत ट्रक और बसें, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, टायरों और ट्यूबों की कमी के कारण अनिवार्य रूप से गैरेज में डाल दी गई हैं ; और

(ग) क्या यह कठिनाई टायरों और ट्यूबों की चोर-बाजारी के कारण हो रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी मांगी गई है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोटा

2371. **डा० रानेन सेन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रक्षित सभी स्थान भरे नहीं जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिक संख्या में लेने के लिए यदि कोई कदम उठाये गए हैं तो वे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). 1964 से आगे भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा और श्रेणी-I तथा II केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का पूरा कोटा इन सम्प्रदायों के उम्मीदवारों से भरा जा रहा है, जिसके लिए भर्ती भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की सम्बद्ध प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाती है। 1968 से आगे, भारतीय वन लेवा में भी इसी प्रकार आरक्षित रिक्तियों का पूरा कोटा भरा जा रहा है। तथापि, कुछ पदों, मुख्यत: विशेषज्ञ तथा तकनीकी पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां इन सम्प्रदायों के उम्मीदवारों से नहीं भरी जा सकीं, क्योंकि इन पदों के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं तथा/या अनुभव की कम से कम शर्तों की पूर्ति करने वाले उम्मीदवार प्राप्त नहीं थे ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अधिक संख्या में लेने के लिए उनके लिये आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) किसी सेवा या पद में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है ।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में योग्यता स्तर में छूट के मानदण्ड का पुनर्निर्धारण के आदेश 25 जुलाई, 1970 को जारी किये गये । इन अनुदेशों के अधीन आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए इन सम्प्रदायों के उम्मीदवार चुने जा सकते हैं, हालांकि वे योग्यता का सामान्य स्तर पूर्ण न करते हों, जब तक कि वे इन पदों में नियुक्ति के लिये अयोग्य न पाये जाएं ।

(iii) श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV के गैर-तकनीकी तथा अर्ध-तकनीकी सेवाओं/पदों में लिखित परीक्षा को छोड़कर, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिये योग्यता के मानदंड में छूट देने के बाद भी, अगर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो सके तो, ऐसी सेवा/पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यतायें पूरी करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपलब्ध श्रेष्ठ उम्मीदवारों की ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध भरने के लिये प्रवरित किया जायेगा । ऐसे उम्मीदवारों को आवश्यक न्यूनतम स्तर तक लाने के लिये एवं प्रशासन की कार्यक्षमता को कायम रखने के लिये उन्हें सेवा-कालीन प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ।

(iv) 31 जुलाई, 1970 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की विज्ञापन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है । प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षित रिक्तियां, अब जैसी भी स्थिति हो, सबसे पहले ऐसी रिक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मंगाकर विज्ञाप्ति की जायेंगी । अगर यह विज्ञापन निष्फल सिद्ध हो जाये, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों तथा साथ ही साथ सामान्य उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र मंगाकर दूसरा विज्ञापन जारी किया जायेगा । तथापि, ऐसी नियुक्ति के लिये, सामान्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में तभी विचार

किया जायेगा, अगर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार इसके लिये अयोग्य पाये जायें।

(v) अनुदेश जारी किये गये हैं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार या तो अलग दिन या प्रवरण समिति की अलग बैठक में किया जाना चाहिये।

(vi) आरक्षणों के अग्रेनीत करने की अवधि को 2 से 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि के समाप्त होने पर अनुसूचित जातियों के लिये की गई आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जनजातियों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है, और इसके विपरीत क्रम से (अनुसूचित जनजातियों के लिये की गई आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है) भी इस प्रकार आरक्षित रिक्ति समाप्त होने के अवसर कम हो सकते हैं।

Shortage of Baby Food

2372. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage of baby food in the country ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to meet its shortage ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) There has been reports of shortage of baby food in some parts of the country.

(b) Because of a sudden increase in the demand for whole-milk powder, there has been a reduction in the production of some brands of baby foods.

(c) Baby food manufacturers have been requested to increase their fluid milk collections so as to augment production of baby foods.

Propagation of views over A.I.R. by Political Parties in Forthcoming Elections

2373. **Shri Atal Bihari Vajpayee** :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide facilities to various political parties to propagate their views over the All India Radio for the coming Elections ; and

(b) if so, the main features thereof and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) No, Sir.

(b) Previous efforts by the Election Commission to obtain a consensus among the political parties regarding allocation of radio-time failed. In the absence of inter-party consensus, Government do not consider it appropriate to introduce a system of radio broadcasts by political parties during the coming Elections.

भारत में विदेशी निवेश और तकनीकी जानकारी का उपयोग

2374. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशों ने इस देश में उद्योगों के विकास के लिए पूंजी लगाने और सहयोग का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निवेश भारत सरकार की योजनाओं के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा या उनकी अपनी योजनाओं के अनुसार ;

(ग) इन उद्योगों की स्थापना से पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोगों की बेरोजगारी की समस्या कहां तक हल हो जायेगी ; और

(घ) इससे भारत की कितनी आय होने की आशा है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). सरकार को भारत में उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। सरकार विदेशी तकनीकी जानकारी और चयनात्मक आधार पर जटिल और आवश्यक क्षेत्रों में विनियोजन के निरन्तर आगमत की वांछनीयता को मान्यता देती है। प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा और भारत सरकार की नीति और निर्णयों के अनुसार उसको निपटाया जायेगा।

(ग) और (घ). यह ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है कि इन उद्योगों के स्थापित हो जाने के पश्चात कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और प्रत्याशित आय कितनी होगी। यह स्वीकृत किये गए प्रस्तावों की संख्या और वास्तविक रूप से स्थापित परियोजनाओं की संख्या पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र रूई (वसूली, परिष्करण और विपणन) अधिनियम, 1971 का रुई के मूल्यों पर प्रभाव

2375. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने राज्य में स्वदेशीय कपास की एकाधिकार खरीद के लिए हाल ही में एक अधिनियम बनाया है ;

(ख) क्या यह अधिनियम 1972-73 की आगामी रूई ऋतु से लागू होगा ; और

(ग) क्या यह अधिनियम बन जाने से 1971-72 की ऋतु में महाराष्ट में रूई के भाव से तेजी से गिर गए है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) महाराष्ट्र कपास (प्राप्ति, परिष्करण, और विपणन), विधेयक, 1971, जिसके द्वारा कपास का समस्त व्यापार राज्य के अभिकरणों द्वारा किया जायेगा, राज्य विधान मंडल ने पारित कर दिया है और अब राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

(ख) राज्य सरकार इसको 1 जुलाई, 1972 से क्रियान्वित करने का विचार कर रही है।

(ग) दूसरे राज्यों की कीमतों में कमी को भी नोट कर लिया गया है और यह कमी देशी उत्पादन में वृद्धि होने के कारण हो सकती है।

केरल के समाचार-पत्रों के पास अखबारी कागज की कमी

2376. **श्री ए० के० गोपालन :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के समाचारपत्रों को अखबारी कागज की कमी के कारण अनुभव हो रही कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो केरल को पर्याप्त अखबारी कागज सप्लाई करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग). अखबारी कागज कम मात्रा में उपलब्ध है और इसको एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। इसका आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता। प्रत्येक समाचार पत्र को अखबारी कागज का आबंटन देशी अखबारी कागज की अनुमानित उपलब्धि तथा उपलब्ध किए जाने वाले विदेशी मुद्रा स्रोतों के अंतर्गत आयात की जाने वाली इसकी प्रस्तावित मात्रा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रति वर्ष बनाई जाने वाली नीति के अनुसार किया जाता है। नीति के अंतर्गत केरल के समाचारपत्रों को देय मात्रा के अन्दर अखबारी कागज की कमी के बारे में उनसे कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। तथापि सप्लाई की प्राप्ति में देरी के बारे में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं जिनपर आवश्यक कार्यवाही की गई है।

औद्योगिक विकास की कमी

2377. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास की कमी के कारण आयोजक बड़े चिन्तित हैं और योजना आयोग ने चौथी योजना के शेष ढाई वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी-निवेश तथा उत्पादन की संभावनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय मन्त्रालयों से विस्तृत जानकारी मांगी है ; और

(ख) क्या योजना आयोग ने पहले दो वर्षों में अनेक क्षेत्रों में हुई कमी को गम्भीर माना है और मन्त्रालयों से इस सम्बन्ध में अपने विचार बताने को कहा है कि क्या शेष योजनावधि में ये उत्पादन-गति योजना के लक्ष्यों के अनुरूप सिद्ध होगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). निस्सन्देह, औद्योगिक विकास की वर्तमान निम्नदर, योजना आयोग के लिए चिन्ता का विषय रही है।

योजना आयोग ने मन्त्रालयों से अनुरोध किया था कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए वे चौथी योजना की बाकी अवधि के दौरान वांछित परिव्ययों के बारे में सूचना उपलब्ध करें। आयोग ने मन्त्रालयों से यह भी अनुरोध किया था कि वे चौथी योजना की पूर्व सम्भावनाओं की तुलना में विभिन्न उद्योगों द्वारा प्राप्त की जाने वाली उत्पादन क्षमता का भी मूल्यांकन करें।

उपर्युक्त सूचना तथा इसके बाद इस विषय में मन्त्रालयों से हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए बाकी योजना अवधि की संभावित उपलब्धियों के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने के उपायों तथा विनियोजन का भी मूल्याँकन किया जा रहा है।

डाकघर बचत बैंकों सम्बन्धी धोखाधड़ी के मामले

2378. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश के विभिन्न डाक-सर्किलों में डाक-घर बचत बैंकों सम्बन्धी धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) बचत बैंक में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जायें इसकी जांच करने के लिए एक विशेष अध्ययन दल बनाया गया था। इसकी सिफारिशों पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) शाखा डाकघरों, एक कर्मचारी वाले उप डाकघर में खोले गए बचत बैंक खातों की ऐसी पास बुकों की सूचियां, जिन्हें ब्याज दर्ज करने और बकाया रकम का सत्यापन करने के लिए प्रधान डाकघर नहीं भेजा जाता, डाकघर निरीक्षकों को भेजी जायेगी जिससे कि वे वास्तव में जमाकर्त्ताओं से मिल कर जांच कर सकें।

(ii) ग्रामीण डाकघरों और एक कर्मचारी वाले उप डाकघर का हर बार दौरा करते समय डाक ओवरसियर या दूसरे निरीक्षण अधिकारी को यदृच्छया क्रमशः 15 पास बुकों और 10 पास बुकों की बकाया रकमों की जांच करनी होती है। प्रत्येक दौरे के समय जांच के लिए पासबुकों का एक अलग सैट लिया जाएगा ताकि वर्ष के दौरान, जहां तक हो सके, डाकघर में खोली गई सभी पास बुकों का सत्यापन कर लिया जाए।

(iii) जांच के लिए जब कोई पास बुक न मिले तो जमाकर्त्ता को रजिस्ट्री डाक द्वारा अंग्रेजी/हिन्दी/क्षेत्रीय भाषा में एक नोटिस भेजना होता है जिसमें उसके नाम बकाया जमा रकम सूचित की जाती है। इस बकाया जमा रकम की पुष्टि उसे साथ भेजे गए एक विभागीय लिफाफे द्वारा करनी होती है जिसपर कोई डाक टिकट नहीं लगाना पड़ता।

(iv) प्रत्येक पास बुक पर लाल स्याही में एक नोटिस छपा होता है जिसमें जमा-कर्त्ता से पास बुक में ब्याज दर्ज करने और बकाया रकम के सत्यापन के लिए हर वर्ष पास बुक प्रधान डाकघर भेजने की मांग की जाती है। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे पास बुक बिना उचित रसीद लिए डाकघर में न छोड़ें।

(v) बचत बैंक खाता खोलने के लिए पेश की गई रकम की प्रारम्भिक रसीद हिन्दी में और क्षेत्रीय भाषा में छापी जानी है।

(vi) डाकघर द्वारा पास बुक के लिए जारी की जाने वाली रसीद संख्या लगे फार्मों में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा में छापी जानी है।

(vii) बचत बैंक सम्बन्धी धोखाधड़ी से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियात बरती जाए ; इसके बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए एक पोस्टर तैयार किया गया है। यह पोस्टर देश के सभी शाखा डाकघरों में स्थानीय भाषा में लगाया जायेगा।

(viii) बचत बैंक की धोखाधड़ी से बचने के लिए एहतियात बरतने के लिए देहाती जमाकर्त्ताओं के हित में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वार्ताएं प्रसारित की जायेंगी।

(ix) जिन डाक ओवरसियरों को बचत बैंक पास बुकों के उत्पादन का काम सौंपा जाता है, उन्हें इस बारे में कदम उठाने के सम्बन्ध में एक पुस्तिका दी जायेगी।

विभिन्न सर्वे एजेन्सियों के कार्यों को समन्वित करने हेतु एक केंद्रीय बोर्ड की स्थापना

2379. **श्री पी० गंगादेव :** **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी 25 सदस्यीय मार्गदर्शी ग्रुप ने विभिन्न सर्वे-एजेंसियों के कार्यों को समन्वित करने हेतु एक केन्द्रीय बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) खनिज और जल संसाधनों की तात्कालिक एव दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विश्लेषण कर उनके दोहन के लिए उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग ने 25 सदस्यों का एक संचालन दल (स्टेयरिंग ग्रुप) गठित किया है। विभिन्न सर्वेक्षण अभिकरणों के कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में दल ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) फिलहाल यह प्रश्न नहीं उठता। संचालन दल जब अपनी रिपोर्ट दे देगा उसके बाद स्थिति पर विचार किया जा सकता है।

कोपनहेगन, डेनमार्क में विकासशील देशों में औद्योगिक अनुसंधान संबंधी सेमिनार

2380. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा कोपनहेगन, डेनमार्क में आयोजित विकासशील देशों में औद्योगिक अनुसंधान की उपयोगिता सम्बन्धी सेमिनार में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए ; और

(ग) क्या सेमिनार में भारत ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याभ ओझा) : (क) जी नही। "विकासशील देशों में औद्योगिक अनुसंधान का और प्रभावी उपयोग" संबंधी विशेषज्ञ दल की बैठक के अतिरिक्त सरकार को ऐसी किसी संगोष्ठी की सूचना नहीं है । यह बैठक डेनमार्क, कोपेनहेगेन में 2 ' से 27 अगस्त, 1971 तक हुई थी और यह भी मालूम हुआ है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भूतपूर्व महानिदेशक डा० आत्माराम ने जिन्हें उनकी व्यक्तिगत क्षमता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था बैठक में भाग लिया।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Recovery of Government Money Paid to Avantika for Publication of Advertisement

2381. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it has been found after enquiry that the Hindi Daily 'Avantika' published from Ujjain has shown exaggerated figures of its circulation ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government for recovering the money over paid to the said newspaper on the basis of exaggerated figures of circulation for publishing Government advertisements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Payments for Government advertisements are made on the basis of rates offered by newspapers and accepted on behalf of Government. In accepting advertisement rate-Government take into account the latest information available on the circulation of news paper concerned. In case of this paper the rate was revised sometime back and the whole thing is being looked into again. There is, however, no question of recovering any part of the payment already made by Government to a newspaper on the basis of rates accepted by them for the advertisements published.

'कोटेशन्ज फ्रांम माओ-से-तुंग" पुस्तक का जब्त किया जाना

2382. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कोटेशन्ज फ्रांम माओ-से-तुंग" शीर्षक से गुजराती भाषा में प्रकाशित एक पुस्तक को जब्त करने के गुजरात सरकार के आदेश को गुजरात उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने रद्द कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् । गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 क के अन्तर्गत पुस्तक की प्रतियों को जब्त करने का आदेश रद्द कर दिया गया है ।

(ख) इस निर्णय के विरुद्ध एक अपील करने का प्रश्न गुजरात सरकार के विचाराधीन है ।

विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के लिए एक-समान आजीविका सम्बन्धी ढांचा

2383. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अक्तूबर, 1971 को भारतीय विज्ञान अकादमी द्वारा आयोजित वैज्ञानिकों के सम्मेलन में विश्व-विद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक समान आजीविका सम्बन्धी ढांचे के मामले पर चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य बातों की चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1971 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा वैज्ञानिकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था । 'भारत में विश्व-विद्यालयों, राष्ट्रीत प्रयोगशालाओं, सरकारी विभागों के मध्य अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय' विषय पर विचार-विमर्श करने के दौरान कुछ वक्ताओं ने विश्व-विद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में एक समान वेतनमानों को अपनाने की आवश्यकता के बारे में जिक्र किया था जिससे वैज्ञानिकों का पारस्परिक आदान-प्रदान सुविधाजनक हो सके । सम्मेलन द्वारा इस संदर्भ में कोई ठोस सिफारिश नहीं की गयी ।

पश्चिमी बंगाल को कच्चे माल की सप्लाई

2384. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए उस राज्य के कच्चे माल की सप्लाई बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : सरकार ने पश्चिम बंगाल के उद्योगों में जीवन संचार करने के उद्देश्य से राज्य में कच्चेमाल की सप्लाई करने के लिए विशेष उपाय किये हैं । लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से पश्चिमी बंगाल में स्थित उत्पादन करने वाले एककों की इस्पात की मांग को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है । पश्चिम बंगाल से प्राप्त कच्चे माल के लाइसेंस आवेदनों को भी प्राथमिकता दी जा रही है । सरकार दुर्लभ माल के लिए पश्चिम बंगाल में एक कच्चा माल बैंक स्थापित करने की संभावनाओं का भी पता लगा रही है ।

संयुक्त सचिव (प्रसारण) की विदेश-यात्रा

2385. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सचिव (प्रसारण) ने हाल में अमेरिका तथा समुद्र पार अन्य देशों का दौरा किया था ; और

(क) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) (क) जी, हां।

(ख) भारत-अमेरिका उपग्रह टेलीविजन प्रयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा एन० ए० एस० ए० के अधिकारियों के सम्मिलित रूप से कार्य करने वाले समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए।

डाक जीवन बीमा के लिए नये प्रस्ताव

2386. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार डाक जीवन बीमा में कार्यान्वित किये गये नये प्रस्ताओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) यदि उनको अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). डाक जीवन बीमा के सम्बन्ध में निम्नलिखत नये प्रस्तावों का 1970-71 की रिपोर्ट (डाक तार विभाग के कार्याकलाप) में उल्लेख किया गया है। इन प्रस्तावों की मुख्य बातें और जहां यह क्रियान्वित नहीं किये गये हैं, इनके क्रियान्वित न होने के कारण इस प्रकार हैं :—

(क) **गैर चिकित्सा कारोबार आरम्भ करना** :—(i) इस योजना में ऐसी व्यवस्था करने का विचार है कि डाक जीवन बीमा से बीमा कराने के पांच व्यक्ति का अधिक से अधिक 3500 रुपये या उसकी मासिक कुल आय का 24 गुना (इसे रकम को 100 रुपयों में कर लिया जाये), इनमें से जो भी कम हो, का बीमा कराया जा सकता है, जिसके लिए परीक्षा नहीं ली जायेगी। अगले जन्म दिन पर उसकी आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत केवल बन्दोबस्ती बीमा पालिसी ही जारी की जायेगी जो कि 40-45, 50-55 और 58 तथा 60 वर्ष की आयु पर पूरी होती हों। इस योजनाओं में महिलाओं और विभागेतर कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) सरकार ने इस योजना की स्वीकृति दे दी है और 1-4-1972 से यह लागू होगी।

(ख) **परिवर्तनीय पूर्ण जीवन पालिसियां जारी करना** :—

(i) इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में पूर्ण जीवन पालिसी के तौर पर पालिसी जारी की जाती है जिसका प्रीमियम 70 वर्ष की आयु तक देय होता है। अलबत्ता, पालिसी धारक को यह विकल्प है कि प्रारम्भ से 5 वर्ष पूरे होने पर इसे बन्दोबस्ती बीमा में बदल सकता है जिसके पूरा होने की आयु 50, 55, 58, या 60 वर्ष है ; यह कार्य वह स्वेच्छा से समुचित बढ़ा हुआ

प्रीमियम अदा करके कर सकता है। यदि वह इस विकल्प का प्रयोग नहीं करता तो पालिसी पूर्ण जीवन पालिसी के तौर पर चलती रहेगी जिसका प्रीमियम 70 वर्ष की आयु तक देना होगा।

(ii) यह योजना 1-9-1971 से लागू हो गई है।

(ग) **रजिस्टर्ड प्राइवेट चिकित्सक नियुक्त करना** :—

(i) आजकल प्रस्तावों के डाकघर बीमानिधि द्वारा स्वीकार करने से पूव बीमा कराने वालों की परीक्षा सरकारी चिकित्सक करते हैं। प्रस्तावित योजना में यह विचार था कि बीमा कराने वालों की परीक्षा करने के लिए रजिस्टर्ड प्राइवेट चिकित्सकों को प्राधिकृत किया जा सकता है।

(ii) इस प्रस्ताव के विस्तृत जाँच करने के बाद इसे अव्यवहारिक पाया गया। इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया है।

(घ) 35 **वर्ष की आयु में पूरी होने वाली बन्दोबस्ती बीमा पालिसियाँ जारी करना** :—

(i) पहले डाकघर बीमा निधि से 40, 45, 50, 55 और 60 वर्ष की आयु की बन्दोबस्ती बीमा पालिसियां जारी की जाती थीं। ऐसा पाया गया कि भारतीय सेना के कुछ जवान 35 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं और वे रिटायर होने के बाद प्रीमियम अदा नहीं कर सकते। वे चाहते थे कि पालिसियां 35 वर्ष की आयु पर पूरी हो जाएं। इस जरूरत को पूरा करने के लिए डाकघर बीमा निधि से अब 35 वर्ष की आयु पर पूरी होने वाली पालिसियां जारी की जाती हैं।

(ii) यह योजना 25-8-71 से लागू की गई हैं।

(ङ) **व्ययगत पालिसियां फिर से चालू करना** :

(i) इस समय कोई डाक जीवन बीमा पालिसी उस स्थिति में व्ययगत मानी जाती है है यदि बीमादार लगातात 12 महीने तक प्रीमियम अदा न करे। यदि वह प्रीमियम की सभी बकाया रकम और उस पर देय ब्याज एकमुश्त अदा कर देता है तो यह पालिसी फ़िर से चालू की जा सकती है। कुछ मामलों में बीमादर के लिये प्रीमियम की बकाया रकम और ब्याज एकमुश्त देना मुश्किल होता है। यह प्रस्ताव है कि बीमादार को प्रीमियम की बकाया रकम किस्तों में अदा करने की अनुमति दे दी जायेगी। यह सुविधा देने के बाद पालिसियों के व्ययगत होने की घटनायें कम हो जायेंगी।

(ii) इस योजना की जांच अन्तिम चरण में हैं।

(च) **गैर जमा दिखाए प्रीमियम को असमायोजित रकमों की जगह समायोजित करना** :—

(i) मौजूदा व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम की वसूली बीमादार के वेतन से की जाती है और पहालेखापालों को इन जमा रकमों को डाकघर बीमा निधि में भेजना होता है। कुछ मामलों में ये रकमें जिन बीमादारों से वसूल की जाती हैं उन रकमों और बीमादार का ब्यौरा निधि को नहीं दिया जाता। इसलिए, इन्हें उन पालिसी धारकों के व्यक्तिगत लेखाओं में चढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा पाया गया है कि ऐसे बहुत सी एकमुश्त जमा राशियां और गैर जमा दिखाई राशियां हैं और मार्च, 1965 से पहले के तत्सम्बन्धी रिकार्ड की छटनी कर दी गई है। इस

प्रस्ताव के मुताबिक, ऐसा विचार किया जा रहा है कि क्या एकमुश्त जमा राशियां गैर जमा दिखाई राशियों की जगह समयायोजित की जा सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि दावों का फैसला तुरत हो जाय।

(ii) इस प्रस्ताव के विस्तृत संभावित परिणामों की जांच की जा रही है।

(छ) **कार्यविधि को युक्तियुक्त बनाना :—**

(i) आजकल सर्किल कार्यालयों में डाक जीवन बीमा सम्बन्धी कार्य एक ऐसी नियम पुस्तक के मुताबिक किया जा रहा है जो दसियों वर्ष पहले जारी की गई थी। सारी की सारी कार्यविधि का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ii) संशोधित और सुधरी हुई कार्य विधि लागू करने के लिए एक नियम पुस्तक तैयार की जा रही है।

दिल्ली और मद्रास के बीच सीधी एस० टी० डी० सेवा

2387. **श्री ई० आर० कृष्णन्** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मद्रास मार्ग पर सीधी एस० टी० डी० सेवा का कार्य यथा योजित पूरा हो गया है ; और

(ख) मद्रास टैक्स के साथ अब तक 4 दक्षिणी राज्यों के कितने नगरों को जोड़ा गया है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आशा है कि दिल्ली और मद्रास के बीच सीधी एस० टी० डी० सेवा की व्यवस्था योजनानुसार वर्ष 1972-73 की समाप्ति से पहले हो जायेगी।

(ख) तीन स्थानों-मद्रास (स्थानीय टेलीफोन प्रणाली), बेंगलूर और कोयम्बतूर का मद्रास ट्रंक आटो एक्सचेंज से अब तक सीधा सम्बन्ध जोड़ा जा चुका है।

बंगलौर-सेलम कोयम्बतूर कोएक्सियल योजना

2388. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर सेलम कोयम्बतूर के बीच नई कोएक्सियल योजना को क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) बंगलूर-सेलम-कोयम्बतूर कोएक्सल योजना कार्यान्वित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। इसका विस्तृत सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। केबल और साज-सामान की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी योजना है कि यह प्रणाली 1973-74 में चालू कर दी जाए।

बम्बई-मद्रास-त्रिवेन्द्रम माइक्रोवेव रेडियो रिले व्यवस्था

2389. **श्री ई० आर० कृष्णन्** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-मद्रास-त्रिवेन्द्रम माइक्रोवेव रेडियो रिले व्यवस्था के सम्बन्ध में इन्जीनियरी तथा स्थापना स्थल सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) बम्बई-मंगलूर खण्ड का इन्जीनियरी और स्थल सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और शेष योजना का कार्य चल रहा है । यह 2400 किलोमीटर लम्बे मार्ग की एक प्रमुख योजना है । आशा है कि इसका सर्वेक्षण कार्य अप्रैल, 1972 तक पूरा हो जाएगा ।

बलियाघाट कलकत्ता में कथित बम विस्फोट

2390. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अक्तूबर, 1971 को बलियाघाट कलकत्ता में उस समय एक बम का विस्फोट हुआ था जबकि कुछ व्यक्ति बम बना रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना में कितने व्यक्ति मारे गये, कितने घायल हुए और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में आतंकवादियों के लिए अलग जेलें तथा उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए अलग अदालतें

2391. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आतंकवादियों के लिए अलग जेलों और उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए अदालतों की व्यवस्था की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय पश्चिम बंगाल में कितने आतंकवादी नजरबन्द हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (ख) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तिहाड़ जेल, नई दिल्ली से एक दोषसिद्ध व्यक्ति का गायब हो जाना

2392. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री एच० के० एल० भगत :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 24 अक्तूबर, 1971 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ सप्ताह पूर्व तिहाड़ जेल, नई दिल्ली से जिस दोष सिद्ध व्यक्ति के भाग निकलने की घोषणा की गई थी, वह जेल के अहाते में ही पाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को दिल्ली प्रशासन से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). मामले की जांच के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक जांच-अधिकारी की नियुक्ति की गई है और उसकी रिपोर्ट अभी आनी है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखानों में घड़ियों का उत्पादन

2394. **श्री सूरज पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और श्रीनगर स्थित दि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के घड़ियों के कारखानों में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ; और

(ख) इन कारखानों का प्रतिवर्ष घड़ियों का अनुमानित उत्पादन क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स वाच फैक्टरी 1961-62 से ही साधारण घड़ियां बना रही है और 1970-71 की अवधि में इस प्रकार की 3,45,000 घड़ियों का उत्पादन हुआ है। कंपनी श्रीनगर में भी प्रतिवर्ष 3 लाख साधारण घड़ियां बनाने के लिए एक एकक स्थापित कर रही है तथा बंगलौर एकक का 2 लाख स्वचालित दिन और तिथि यन्त्रों से युक्त घड़ियां बनाने की क्षमता तक विस्तार कर रही है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, पिंजोर में ट्रैक्टरों का उत्पादन

2395. **श्री सरजू पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिंजोर स्थित दि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के ट्रैक्टर के कारखानों में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(ख) ट्रैक्टरों का प्रति वर्ष का अनुमानित उत्पादन क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० पिंजौर को 25-7-1970 को 12,000 ट्रैक्टरों की वार्षिक क्षमता के लिए जेटर-2011/2511 (20 एच० पी०) ट्रैक्टरों के उत्पादन हेतु आशय पत्र जारी कर दिया है। आशा है कि अगले दो वर्षों की अवधि में नियमित उत्पादन शुरू हो जायेगा।

नागरवाला कांड में जांच के लिए संसद सदस्यों की मांग

2396. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नागरवाला कांड" में जांच के लिए कुछ संसद सदस्यों ने एक उच्च स्तरीय आयोग की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्। 28 मई, 1971 को राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस के दौरान अदालता जाँच की मांग की गई थी।

(ख) बहस के दौरान वित्त मन्त्री कोई अदालती जांच कराने को सहमत नहीं हुए और ना कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन है।

ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी करने वाले प्रकाशनों पर प्रतिबंध

2397. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अन्तर्गत ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी करने वाले प्रकाशनों पर पाबन्दी लगाने के लिए जो लोगों में अकारण चिन्ता और आतंक फैला देते हैं ; कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किदवईपुर पी० एण्ड टी० कालोनी, पटना में स्कूल भवन के निर्माण में हुई प्रगति

2398. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री 9 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1704 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किदवई पुर पी० एण्ड टी० कालोनी, पटना में स्कूल भवन के निर्माण के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : अधीक्षक इंजीनियर, डाक-तार (सिविल) सर्कल नं 111, कलकत्ता ने इस कार्य के ब्यौरेवार प्राक्कलन की मन्जूरी दे दी है। कार्यकारी इंजीनियर, डाक-तार सिविल, पटना ने इसके लिए टेंडर भी मंगा लिए हैं और वही इनकी छानबीन कर रहे हैं। यदि टेन्डर अनुकूल पाए गए तो काम शीघ्र ही सौंप दिया जाएगा।

पटना टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन

2399. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना टेलीफोन सलाहकार समिति को इस बीच पुनर्गठित किया गया है, और यदि हां, तो उस उक्त टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त टेलीफोन सलाहकार समिति सम्भवतः कब तक पुनर्गठित की जायेगी।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। आशा है कि एक महीने के भीतर नामजदगियों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

आसाम मेल के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण डाक सेवा के लिए ट्रांजिट सेक्शन्ज का खोला जाना

2400. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम मेल का मार्ग दिल्ली से बरौनी की बजाय नई दिल्ली से नई जल-

पाईगुड़ी कर देने के परिणामस्वरूप डाक सेवा की सुविधा के लिए क्योल से इलाहाबाद और क्योल से जलपाईगुड़ी तक ट्रांजिट सेक्शन खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। रेलवे ने आसाम मेल का मार्ग बदल कर उसे क्योल फरक्का के मार्ग से भेजने का प्रस्ताव फिलहाल समाप्त कर दिया है और यह बरौनी मार्ग से ही चलती रहेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा केन्द्र को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया जाना

2401. **श्री राजदेव सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा 3 नवम्बर, 1971 को चण्डीगढ़ में दिए गए भाषण की जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि "राज्यों की अपनिहित प्रभुसत्ता के कारण पैदा होने वाली विघटनकारी प्रवृत्तियों का एकमात्र समाधान" यह है कि केन्द्र को शक्तिशाली बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कठिन तथा जटिल प्रश्नों पर विचार किया जिनमें संविधान के मूल तत्व निहित हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग तथा आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रश्नों का गहन अध्ययन किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि "केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को नियंत्रित करने वाले संविधान के उपबन्ध इस क्षेत्र में किसी स्थिति का मुकाबला करने अथवा किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए पर्याप्त हैं।" केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के निक्षेप

2402. **श्री राजदेव सिंह** :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में यूरेनियम के नये निक्षेपों का पता चला है ; और

(ख) क्या इन निक्षेपों के कारण सरकार अपनी परमाणु-नीति को बदलेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह-मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पूर्वेक्षण, गहराई तक भू-छेदन तथा अन्वेषी खनन करने के एक व्यापक कार्यक्रम की सहायता से परमाणु खनिज प्रभाग यूरेनियम के विद्युत भंडारों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है। बहुत से ऐसे क्षेत्रों की जहां धातुक प्राप्त होने की सम्भावना है जांच की जा रही है। तथापि, फलस्वरूप, ऐसे निक्षेप जिनसे यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में निकाला जा सकता है केवल मात्र सिंहभूम क्षेपक्षेत्र में ही पाये गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

कारखाने स्थापित करने हेतु आशय-पत्रों का जारी किया जाना

2403. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा ब्लेडों, बल्बों तथा स्कूटरों के निर्माण के लिए तीन कारखानों की स्थापना हेतु आशय-पत्र जारी किये गये थे ;

(ख) क्या उक्त आशय-पत्र जारी करते समय उक्त तीन कारखानों के लिए हरदोई जिले के संडीला, उन्नाव तथा लखनऊ, इन तीन स्थानों का, जिक्र तथा संकेत किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य के अन्य दो दर्जन अत्यधिक पिछड़े जिलों की उपेक्षा करके केवल इन्हीं स्थानों का नाम देने के क्या कारण हैं और उक्त नाम किस मानदण्ड के अनुसार किये गये ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को दो परियोजनाओं अर्थात् स्कूटर तथा ब्लेडों के लिए आशयपत्र जारी कर दिये गये हैं। बल्ब परियोजना के लिए आशयपत्र अभी जारी नहीं किया गया है।

(ख) स्कूटर परियोजना उन्नाव या हरदोई जिले के संडीला में स्थापित करने का प्रस्ताव है। रेजर ब्लेड परियोजना को उत्तर प्रदेश में किसी पिछड़े जिले में स्थापित करने का विचार है।

(ग) राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के स्थान के बारे में निर्णय मुख्यरूप से संबंधित राज्य सरकार की स्वेच्छा से किया जाता है। यह मंत्रालय ऐसे मामलों में सामान्यरूप से राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कार्य करता है।

Per Capita Income in States

2404. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the *per capita* income of each State and of the whole country *vis-a-vis* 1951 and 1961 Census ;

(b) the *per capita* income of U.P. and of each District of U.P. *vis-a-vis* 1951 and 1961 Census ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to remove on the one hand the disparity between the *per capita* income of one State and the other and on the other hand between one district of U.P. and the other ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Statement I is laid on the Table of the House which incorporates the information available with the Central Statistical Organisation. It will be seen therefrom that information regarding *per capita* income—All India and for the various States—for the year 1960-61 is available for all States except Jammu & Kashmir. Similar information for the year 1950-51 is available for only Assam, Bihar, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh.

(b) Information regarding *per capita* income of Uttar Pradesh for the year 1960-61 has been given in reply to part (a) of the question in Statement I, laid on the Table of the House. Information in respect of the year 1950-51 is not available. Information as to the *per capita* income of each district of Uttar Pradesh is not available.

(c) Statement II is laid on the Table of the House showing the steps taken with a view to removing the disparity in *per capita* income over different parts of the country. No other steps are under consideration for the present. [*Placed in Library. See* No. LT—1193/71]

इण्डियन सिविल सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारों की समाप्ति

2405. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** **श्री चिंतामणी पाणिग्रही :**
श्री राजा कुलकर्णी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन सिविल सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के क्या-क्या विशेषाधिकार हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन विशेषाधिकारों की समाप्ति के लिए संविधान में कोई संशोधन लाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संविधान के अनुच्छेद 314 के अन्तर्गत, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे भारतीय सिविल सेवा में नियुक्त किया गया है, यदि उसे भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन सेवा में बनाए रखा जाता है, तो वह भारत सरकार तथा राज्य सरकार से, जिसकी सेवा वह समय-समय पर कर रहा हो, वेतन, छुट्टी तथा पेंशन के सम्बन्ध में वही सेवा की शर्तें तथा अनुशासनात्मक मामलों के सम्बन्ध में वही अधिकार अथवा बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल भी उसी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उसे संविधान के लागू होने के एकदम पहले प्राप्त थे। इस व्यवस्था के अधीन रहते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों, जिसमें वे भी शामिल हैं, जो ऐसे सदस्य बनने से पहले भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, की सेवा की शर्तें अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 तथा उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होती हैं। एक तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है, जिसमें (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन सदस्यों, जो ऐसे सदस्य बनने से पहले भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे तथा (ii) उन भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों, जो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य नहीं थे, की सेवा की शर्तों के अन्तर की मुख्य-मुख्य बातें बतलाई गयी हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी०—1194/71]

(ख) तथा (ग). संविधान के अनुच्छेद 314 का विलोपन तथा आवश्यक प्रासंगिक अनुपूरक एवं अनुवर्ती कार्रवाई करने का मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

तेलंगाना समस्या का हल

2406. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलगांना समस्या को हल कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समाधान की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) तेलंगाना की समस्या अनिवार्य रूप से क्षेत्र के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने तथा इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने की है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 11 अप्रैल, 1969 को सदन में प्रधान मंत्री के वक्तव्य के अनुसरण में और बाद में आन्ध्र प्रदेश क्षेत्रीय समिति आदेश संशोधन द्वारा क्षेत्रीय समिति के कार्यों को बढ़ाकर अनिवार्य संस्थागत प्रबन्ध किये गए थे।

क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों पर शीघ्र विचार तथा ऐसी सिफारिशों पर किये गये निर्णय के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को उपयुक्त प्रशासनिक उपाय करने की भी सलाह दी गई है। उनसे अगामी वर्षों के लिए राज्य के सामान्य विकास-खर्च में तेलंगाना का भाग निर्धारित करने तथा क्षेत्रीय समिति के परामर्श से विस्तृत चौथी पंच वर्षीय योजना बनाने की भी सलाह दी गई है। सेवाओं के क्षेत्रीयकरण की योजना पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया है तथा उन्हें केन्द्र सरकार के विचार के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई है।

Exhibition of Foreign Films in India

2407. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether there are more than hundred cinema houses in the country at present which exhibit foreign films only ;

(b) whether more than half of them are located in South India ;

(c) the amount spent by these Cinema houses on the import of foreign films every year ; and

(d) the percentage of the films imported from the USA, Britain, Italy, France and Rumania separately to the total number of films so imported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b). There are about 96 cinema houses in the country which mainly exhibit foreign films. Of there, about 50 are located in South India.

(c) Nil. Cinema Houses do not import films direct.

(d) The Central Board of Film Censors, Bombay certified 176 imported feature films, during the year 1970. Out of these films, 106 were from the USA, 11 were from the U.K. 12 were from Italy, 11 were from France and 1 was from Rumania.

"Subversive Activities of Pak Infiltrators in Eastern Part of the Country"

2408. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the broad outlines of various subversive activities of the Pakistani infiltrators, agents and spies in the eastern part of India during the last nine months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : According to information collected from the State Governments forty cases of sabotage/attempted sabotage have so far taken place in Assam and Meghalaya, eightyone in Tripura and ten in West Bengal. In connection with such cases sixtynine persons have been arrested in Assam and Meghalaya and sixteen in West Bengal. They are being dealt with according to law. Information in regard to the persons arrested in Tripura is awaited. All our agencies concerned are fully vigilant in regard to this threat. All precautionery measures including strengthening of arrangements for the collection of advance intelligence, guarding of vital installations and vulnerable points, regulation of entry into vulnerable places, patrolling of railway tracks and important road links surveillance of persons likely to give shelter to Pak saboteurs, etc. have been taken.

Development of Backward Areas of Bihar

2409. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme for the removal of backwardness of Bihar ; and

(b) *if so, the action proposed to be taken for its implementation ?*

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) and (b). Certain districts/areas have been seleeted for the grant of a Central subsidy amounting to 1/10th of the fixed capital investment in respect of new units, or substantial expansion of existing units upto a fixed capital investment not exceeding Rs. 50 lakhs. The details of the scheme have been published in the Gazette Extraordinary dated the 26th August, 1971. Two districts, namely, Darbhanga and Bhagalpur, from Bihar qualify for this subsidy.

Finance at concessional rates is available from financial institutions for industries to be set up in about 200 districts designated as backward in different parts of the country. The following districts from Bihar qualify for this concession :

Santal Parganas, Bhagalpur, Palamu, Champaran, Saran, Darbhanga, Purnea, Muzaffarpur and Saharsa.

Besides, Government are also operating a rural industries project programme for small industries in certain backward areas including areas in Bihar.

The Industrial Development Bank of India has carried out a survey of the State and a report has been submitted to the State Government.

It is expected that the State agencies and enterpreneurs would take advantage of these facilities/concessions and set up industries in various parts of Bihar.

दम दम रोड, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) के निकट गुंडों द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के समर्थक का गोली से मार दिया जाना

2410. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 सितम्बर, 1971 को दम दम रोड हावड़ा के निकट चिन्तपुर पुलिस स्टेशन के अधीन सी० आई० डी० क्वार्टर्ज में कुछ गुंडों द्वारा श्री रतन नंदी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एक समर्थक को गोली से मार दिया गया था ; और

(ख) हत्या के लिए उत्तरदायी अपराधियों को सजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्वर्गीय श्री रतन नंदी को बी० के० पाल लेन पर 9 सितम्बर, 1971 को कुछ नक्सलवादियों द्वारा एक पाइप गन से गोली मारी गई। उन्हें हस्पताल ले जाया गया, जहां वे मृत घोषित कर दिये गये। 9 सितम्बर, 1971 को चितपुर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ व्यक्ति, जिनका इसमें उत्तरदायी होने का सन्देह है, फरार हैं।

दीनानाथ घोष स्टेशन, हावड़ा में भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के एक कार्यकर्त्ता की हत्या

2411. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल्ली पुलिस स्टेशन हावड़ा (पश्चिम बंगाल) के अन्तर्गत आने वाले दीनानाथ घोष स्टेशन पर 15 सितम्बर, 1971 को भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के एक कार्यकर्ता श्री दलीप मुखर्जी की कुछ समाज-विरोधी तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा हत्यारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार श्री दलीप मुखर्जी की हत्या कुछ बदमाशों द्वारा की गई थी और उनका शव 16 सितम्बर, को सायं 5 बजकर 30 मिनट पर बरामद किया गया था ।

(ख) और (ग). 3 व्यक्ति, जिनके नक्सलवादी होने का सन्देह है, गिरफ्तार किये गए हैं और मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एक कर्मचारी की जी० टी० रोड, हावड़ा, (पश्चिम बंगाल) पर कथित हत्या किया जाना

2412. **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अगस्त, 1971 को हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में जी० टी० रोड और फारका सिद्धांत लेन के मोड़ पर कुछ गुंडों द्वारा सांभा साहनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एक कर्मचारी को छुरा घोंप कर मार दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को सजा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार श्री सांभा साहनी को अगस्त, 1971 की पहली और दूसरी तारीख के बीच की रात को कुछ बदमाशों द्वारा मार दिया गया था । घटना पर 2 अगस्त, 1971 को बेली पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गगा और उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है । एक व्यक्ति बन्दी बनाया गया है । बन्दी बनाये गए व्यक्ति समेत आक्रमणकारियों के नक्सलवादी होने का सन्देह है ।

गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी एजेंटों और जासूसों से हथियार और गोलाबारूद बरामद होना

2413. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** :

श्री हरी सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में गत दो वर्षों में कितने पाकिस्तानी एजेंटों और जासूसों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में तथा उन्हें गिरफ्तार करते समय उनसे कितनी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया गया था ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख). भेजी गई सूचना के अनुसार चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । इनसे कोई हथियार तथा गोलाबारूद बरामद नहीं हुए । गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर राज्यों तथा अन्डेमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर व नागर हवेली, गोवा, दमन व दीव, लक्कादीव, मिनिकाय व अमिनदीव

द्वीप समूह, मणीपुर, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों तथा नेफा से किसी ऐसी गिरफ्तारी की खबर नहीं है ।

शेष राज्यों तथा संग राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

संयुक्त क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण

2414. **श्री वी० मायावन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में स्कूटरों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) आवश्यक विनियोजन का निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेयान ग्रेड पल्प का उत्पादन

2415. **श्री वी० मायावन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयान ग्रेड पल्प का उत्पादन करने वाले नए कारखानों की स्थापना सम्बन्धी योजनाएं क्रियान्वित हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश तथा जम्मू-काश्मीर राज्य में रेयन ग्रेड लुगदी का निर्माण करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के लिए दो फार्मों को आशय पत्र जारी किये गये हैं ।

योजनाओं की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

क्र०सं०	फर्म का नाम	बनाया जाने वाला उत्पाद तथा स्थान	स्वीकृत क्षमता (प्रतिवर्ष मी० टन)	आशय पत्र जारी करने की तिथि
1.	मे० सूरज इण्डस्ट्रियल पैकिंग्स लि०, लखनऊ	लखनऊ में रेयन ग्रेड लुगदी	30,000	26.8.70
2.	मे० मोदीपोन लि०, मोदीनगर	जम्मू तथा काश्मीर में रेयन ग्रेड लुग्दी	30,000	23-3-71

हिप्पियों द्वारा श्रीनगर में आयोजित शिवर

2416. **श्री विनेश जोरदार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 सितम्बर, 1971 के "अमृत बाजार पत्रिका" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ हिप्पियों ने, अगस्त के अंतिम सप्ताह में श्रीनगर (जम्मू व काश्मीर) में डल झील के समीप एक नग्नवादी शिविर आयोजित किया था जिसमें नग्न-नृत्य किये गए थे ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में हिप्पियों की इस प्रकार की अश्लील गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). जम्मू व कश्मीर सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना, जिसका उल्लेख समाचार में किया गया है, नहीं आई है वह हिप्पियों की गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखे हुये है ।

जिला मालदा (पश्चिम बंगाल) में अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी

2417. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मालदा जिले को इस समय अगस्त-सितम्बर में बाढ़ से हुई तबाही के कारण अत्यावश्यक वस्तुओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अत्यावश्यक वस्तुओं की उपयुक्त सप्लाई सुनिश्चित करके, स्थिति में सुधार करने के लिए, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जामनगर में टेलीफोन कनेकशन

2418. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामनगर में इस समय कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं ;

(ख) नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र इस समय विचाराधीन हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार जामनगर टेलीफोन एक्सचेंज में स्वचालित टेलीफोन प्रणाली चालू करने का है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) 1675.

(ख) 941.

(ग) जी हां । जामनगर में मौजूदा एक्सचेंज की जगह आटो एक्सचेंज लगाने का निर्णय

कर लिया गया है । इस एक्सचेंज का निर्माण-कार्य 1972 में शुरू हो जाएगा और 1975-76 में आटो एक्सचेंज चालू कर दिया जायेगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जामनगर का डाक व तार विभाग के दूसरे वर्ग में शामिल किया जाना

2419. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर जिले को डाक व तार विभाग के दूसरे वर्ग में शामिल करने पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) क्या गुजरात सर्किल में कच्छ क्षेत्र का दर्जा बढ़ा दिया गया है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस प्रस्ताव की जांच करने पर यह पाया गया है कि निर्धारित मानकों के अनुसार फिलहाल जामनगर जिले के लिए अलग डाक डिवीजन बनाने का औचित्य नहीं है ।

(ख) अनुमान है कि माननीय सदस्य कच्छ डाक डिवीजन के बारे में पूछ रहे हैं । यह अब श्रेणी II का चार्ज है । उसका दर्जा बढ़ा कर इसे श्रेणी-I का बनाने का फिलहाल औचित्य नहीं है ।

दार्जिलिंग में लघु उद्योग

2420. **श्री सरोज मुखर्जी** :

श्री रतन लाल ब्राह्मण :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई और कुटीर तथा लघु उद्योग निदेशालय, पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव संयुक्त रूप से दार्जिलिंग जिले (पश्चिम बंगाल) में लघु उद्योगों को प्रारम्भ करने का है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वायरलैस आपरेटरों का प्रशिक्षण

2421. **श्री के० लकप्पा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री और हवाई सेवाओं में वायरलैस आपरेटरों को प्रशिक्षण के लिये देश में इस समय क्या प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ख) इन श्रेणियों के वायरलैस आपरेटरों की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है ; और

(ग) बहुत बड़ी संख्या में वायरलैस आपरेटरों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). समुद्री और वैमानिक चल सेवाओं के बेतार प्रचालकों के प्रशिक्षण के लिए देश में राज्य सरकारों तथा निजी संघटनों द्वारा बहुत से संस्थान चलाये जा रहे हैं। बेतार प्रचालकों को प्रवीणता के प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिये, संचार मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार केवल परीक्षायें आयोजित करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुये उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है :—

	1968-69	1969-70	1970-71
प्रथम श्रेणी (समुद्री तथा वैमानिक चल सेवा)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
द्वितीय श्रेणी (समुद्री)	50	58	92
विशेष श्रेणी (समुद्री)	19	14	19
रेडियो टेलीफोनी (समुद्री)	25	25	17
रेडियो टेलीफोनी (वैमानिक चल सेवा)	216	410	273

समुद्री तथा वैमानिक चल सेवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष कितने बेतार प्रचालकों की आवश्यकता पड़ेगी इस सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नही है।

चौथी योजना में विद्युत क्षेत्र में केरल की नई योजनाएं शामिल न किया जाना

2422. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल सरकार से, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र में नई परियोजनायें शामिल न करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केरल सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग ने केरल सरकार को यह सुझाव नहीं दिया है कि वे चौथी योजना अवधि में बिजली क्षेत्र में कोई नई परियोजना शामिल न करें। बहरहाल, किसी नई प्रमुख योजना को चौथी योजना में शामिल करने के लिये राज्य की संसाधन स्थिति तथा अन्य सम्बद्ध मामलों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमिक तालिका में प्रतिनिधित्व के लिए श्रमिक संघों के नेताओं का अनुरोध

2423. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संघों के नेताओं ने उनको योजना आयोग की श्रमिक तालिका में प्रतिनिधित्व दिये जाने का अनुरोध किया है जो मजूरी मूल्य लाभ तथा आय सम्बन्धी विभिन्न नीतियों पर विचार करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). औद्योगिक सम्बन्धों में किस प्रकार सुधार किया जाय तथा औद्योगिक विकास एवं आर्थिक प्रगति के अनुरूप वेतन, आय और मूल्य नीति का निर्धारण करने की सम्भाव्यता पर अनौपचारिक विचार-विमर्श करने के लिये योजना आयोग ने 10 सितम्बर, 1971 का मजदूर संघ के नेताओं और प्रबन्ध विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी। विचार-विमर्श के दौरान सुझाव दिया गया कि योजना आयोग श्रम पैनल या संचालन दल (स्टेयरिंग ग्रुप) के रूप में एक सलाहकार संगठन की स्थापना करें जिसमें श्रम तथा प्रबन्ध के प्रतिनिधि हों तथा यह संगठन आयोजना प्रक्रिया के अंग के रूप में श्रम सम्बन्धी मामलों में विचार-विमर्श के मंच के रूप में काम करे। यह सुझाव विचाराधीन है।

छोटी कार का निर्माण करने के लिए आशय-पत्र/लाइसेंस जारी करना

2424. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की कितने एककों को छोटी कार का निर्माण करने के लिए लाइसेंस या आशय-पत्र दिये गये हैं ;

(ख) उनमें प्रत्येक की अधिकृत और अभिदत्त पूंजी कितनी-कितनी है ;

(ग) उनके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(घ) क्या कच्चे माल और पुर्जों के सम्बन्ध में मूल अनुबन्ध में किसी मामले में कोई परिवर्तन हुआ है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) गैर सरकारी क्षेत्र में यात्री कार बनाने के लिये तीन एककों को औद्योगिक लाइसेंस के लिए आशय पत्र जारी किये गये हैं और एक को पंजीकरण के लिए स्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग). सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) दो पार्टियों को जारी किये गये आशय-पत्रों की मूल शर्तों में इस सीमा तक संशोधन किया गया था कि अक्सर देश में उपलब्ध कच्चे माल की सप्लाई में कमी के समय, ऐसे कच्चे माल के बारे में आयात के लिए प्राप्त किसी प्रार्थना पर देशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और उस समय लागू आयात नीति के अन्तर्गत, उपयुक्त समय पर ध्यान दिया जायेगा। कच्चे माल के बारे में उपर्युक्त तरीकों से संशोधित शर्तें बाद में जारी किए गए अन्य दो आशय पत्रों में भी सम्मिलित की गई है।

सी० आई टी० यू० के नेतृत्व वाली हिंदुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन, दुर्गापुर के एक कर्मचारी की मृत्यु

2425. **श्री कृष्ण चंद्र हाल्दार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समाज विरोधी तत्वों ने 31 जुलाई, 1971 को सी० आई० टी० यू० के

नेतृत्व वाली हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन, दुर्गापुर के श्री एस० सान्तिकारी नामक कर्मचारी की छुरा घोंप कर हत्या कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिये कोई कार्यवाही की थी ;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर "नहीं" में है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील प्लांट दुर्गापुर के एक कर्मचारी तथा हिंदुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन (सी० आई० टी० यू०) के एक सदस्य श्री एस० सान्तिकारी की कुछ अज्ञात बदमाशों ने 31 जुलाई, 1971 को छुरा घोंप कर हत्या कर दी थी। उसी तारीख को घटना के सिलसिले में दुर्गापुर पुलिस थाने में एक मामला आरम्भ किया गया और जांच-पड़ताल जारी है अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। यह बताया जाता है कि मामले की जांच-पड़ताल में कोई प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि मृतक के निकट सम्बन्धी तथा मित्रों का सहयोग नहीं मिल रहा है।

उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद की स्थायी समिति की सिफारिशें

2427. **श्री पी० के० देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद की स्थायी समिति की हाल ही की बैठक में विदेशी सहयोग के बारे में विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं, और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 21 अक्तूबर 1971 को नई दिल्ली में हुई उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद की स्थायी समिति की 14 वीं बैठक में विचारित विषयों में विदेशी सहयोग का क्षेत्र और शर्त भी एक विषय था।

(ख) बैठक में जो विचार-विमर्श हुआ वह कार्यसूची में सम्मिलित विषयों से सम्बंधित विचारों के सामान्य आदान-प्रदान से संबंधित था। जहां तक "विदेशी सहयोग का क्षेत्र और शर्तों" विषय का सम्बन्ध है, बैठक में हुई महत्वपूर्ण बातों में से कुछ ये भी, विदेशी सहयोग के करारों की स्वीकृति देने में होने वाले विलम्ब को दूर करना, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन वाले सहयोग के प्रस्तावों को प्रोत्साहन, सहयोग करारों की पांच वर्ष की वैधता की अवधि की औद्योगिक उपक्रम द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से गिनती करना और ऐसी अवधि को उपयुक्त मामलों में बढ़ाना आदि। बैठक में दिए गए सुझावों को सरकार ने नोट कर लिया है और जहां आवश्यक समझा जायेगा उचित कारवाई की जायेगी।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद

2429. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आगे और क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो दोनों राज्यों के सीमा विवाद को तय करने के बीच क्या कठिनाइयां हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) तथा (ख). सरकार यथाशीघ्र इस समस्या को हल करना चाहती है। किन्तु मैसूर राज्य में सामान्य संवैधानिक व्यवस्था बहाल हो जाने के पश्चात ही इस विषय में सक्रिय रूप से कार्य करना सम्भव होगा।

टेलीफोन मीटर

2430. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन के ग्राहकों से अधिक शुल्क लेने के बारे में सरकार को बहुत सी शिकायतें मिली थीं ;

(ख) क्या टेलीफोन विभाग के कुछ कर्मचारी ग्राहकों से टेलीफोन शुल्क प्राप्त करने में कदाचार करते पाये गए थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस सिलसिले में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। इनमें से दो तो दिहाड़ी पर लगाए गए मजदूर थे, जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। तीसरा लाइनमैन है। उसे मुअत्तल कर दिया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) इस मामले की तफ्तीश कर रही है।

टेलीफोन केन्द्रों की अप्रयुक्त क्षमता

2431. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीफोन केन्द्रों की वर्तमान क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) 30 सितम्बर 1971 को 10.9 प्रतिशत तक की क्षमता को उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिसमें आमतौर पर बचा कर खाली रखी जाने वाली 6 प्रतिशत क्षमता भी शामिल है।

(ग) विभाग ने इसके अनुरूप जमींदोज टेलीफोन केबिल और कुछ आवश्यक सामान जैसे कि लोहे के तारों और इन्सूलेटरों आदि की भी व्यवस्था की है। वर्तमान एक्सचेंज क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने की आवश्यकता के प्रति सजग होने के कारण डाक-तार बोर्ड क्षमता के अपर्याप्त उपयोग की समस्याओं की समय-समय पर समीक्षा करता रहा है और इसके परिणामस्वरूप पिछले 18 महीनों में क्षमता का उपयोग 79.5 प्रतिशत से बढ़कर 83.1 प्रतिशत हो गया है।

दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

2432. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों से 1 नवम्बर, 1971 को सामान्य प्रतीक्षा सूची में से प्राथमिकता के आधार पर किस तारीख तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जा चुके हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में दिल्ली और नई दिल्ली में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों से सामान्य प्रतीक्षा सूची से कितने लोगों को और अन्य वर्गों के लोगों को वर्गवार, कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं ; और

(ग) लम्बी सामान्य प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) वर्ष	अपना टेलीफोन योजना	सासान्य	विशेष
1969-70	5650	1480	1490
1970-71	5887	989	981

(ग) अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था की जा सके इसके लिए दूरसंचार उपस्कर और केबलों के मौजूदा उत्पादन यूनिटों को विस्तार करने और नए उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा, बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुये कुछ उपस्कर और टेलीफोन केबल आयात भी किये जा रहे हैं।

विवरण

एक्सचेंज का नाम	किस तारीख तक सामान्य प्रतीक्षा सूची में टेलीफोन दिए जा चुके हैं
1. शाहदरा	22-5-64
2. तीस हजारी	23-5-58
3. दिल्ली गेट (लेबल्स 26 और 27)	13-3-58
4. सेक्रेटेरिएट	20-8-71
5. राजपथ	20-8-71
6. दिल्ली कैन्ट	16-5-64

1	2
7. कनाट प्लेस	20-7-57
8. करोल बाग	
लेबल 56	12-9-58
लेबल 58	7-7-59
9. जोरबाग (लेबल्स 7,61, और 62)	22-1-59
10. ओखला	11-11-59
11. फरीदाबाद	30-9-66
12. बदरपुर	10-10-62
13. बहादुरगढ़	20-1-67
14. गाजियाबाद	18-8-65
15. नजफगढ़	6-10-69
16. नागलोई	30-9-71
17. बल्लभगढ़	23-11-66
18. नरेला	1-8-67
19. बादली	16-12-66

Kidnapping of Civilians Armed Personnel by Pak. Soldiers

2433. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the number of civilians and Armed Forces personnel kidnapped from Indian borders by the Pakistani soldiers during the last six months ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : Ten members of the Border Security Force were kidnapped from Indian territory by the Pakistani soldiers during the last six months.

Information regarding Civilians kidnapped is being collected and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

Investigations by C.B.I. Against Government Employees

2434. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total numbers of Government Officers and employees against whom the Central Bureau of Investigation has made investigations from 1st January 1969 to date ; and

(b) the number of Gazetted Officers out of them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) During the period 1st January, 1969 to 22nd November, 1971 the Central Bureau of Investigation have made investigations against 9175 Government Servants.

(b) 2170.

Recovery of Explosive Material near Gauhati

2435. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether huge quantity of explosive material was recovered from a motor car on Jagi Road near Gauhati in September, 1971 ; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House when received.

Arrest of Pak Spies in Jammu and Kashmir

2436. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals and agents arrested in Jammu and Kashmir during the year 1970-71 ; and

(b) the material recovered from them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) According to the information supplied by the Government of Jammu and Kashmir, 17 Pakistani nationals and agents were arrested in the State during the period from the 1st April, 1970 to the 31st March, 1971.

(b) Some papers containing information about the Indian Army were recovered from one of these persons.

गोवा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2437. **श्री दशरथ देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गोवा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) उसके बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गोवा दमन तथा दीव के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगे किसी आरोप की जांच-पड़ताल नहीं की है ।

राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री को अगस्त, 1970 में गोवा के कुछ प्रमुख नागरिकों से गोवा, दमन और दीव के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोपों को समाविष्ट करने वाला एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था । ज्ञापन पर मुख्य मंत्री के मत मांगे गए जो प्राप्त हो चुके हैं । इन पर जांच की जा रही है ।

कार मूल्य जांच आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना

2439. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार मूल्य जांच आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने कार निर्माताओं को कारों का मूल्य बढ़ाने की अनुमति दे दी है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). कार मूल्य जाँच आयोग, जिसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर की गई थी, की

रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में कार निर्माताओं द्वारा दायर की गई समादेश-याचिका की सुनवाई 1969 में पुनः आरम्भ हुई। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में एक ओर सरकार और दूसरी ओर कार निर्माताओं के अनुरोधों और तर्कों की सुनवाई के पश्चात तीन प्रकार की कारों के भावी विक्रय मूल्य नियत करने के विषय में विस्तृत सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 24-11-71 को अपना निर्णय दिया। सरकार निर्णय का अध्ययन कर रही है और उसमें निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार कारों का संशोधित मूल्य नियत करने के बारे में कदम उठा रही है।

हावड़ा में दो अध्यापकों की कथित हत्या

2440. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज विरोधी तत्वों ने हावड़ा स्थित पाल चौधरी हाई स्कूल के श्री अवेदनन्दा मुखर्जी तथा विवेकानन्द संस्थान के श्री अशोक लाल कुण्डु नामक दो अध्यापकों की 12 अगस्त, 1971 को निर्दयता से हत्या कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ बदमाशों द्वारा, जिनके नक्सलवादी होने का संदेह है, सर्वश्री अवेदनन्दा मुखर्जी तथा अशोक लाल कुण्डु की क्रमशः 12 और 13 अगस्त, 1971 को छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं पर पुलिस ने दो मामले दर्ज किये हैं। अग्रतर सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है।

पश्चिम बंगाल के लिए योजना आयोग

2441. **डा० रानेन सेन** :

श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लिए राज्य योजना निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा उसके क्या कृत्य होंगे ; और

(ग) उसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य योजना बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन है। अन्य राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल सरकार को भी योजना आयोग ने सलाह दी थी कि वे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस प्रकार का अभिकरण स्थापित करें।

(ख) और (ग). इसके कार्य या गठन अथवा किस तिथि को यह स्थापित किया जायेगा के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया।

विदेशी सहयोग के लिए आवेदन-पत्र

2442. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन क्षेत्रों में विदेशी सहयोग बढ़ाने का सरकार का विचार है और क्या विदेशी सहयोग कर्त्ताओं को कोई प्रोत्साहन दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, और कितने आवेदन-पत्र मंजूर कर लिये गए हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) सामान्य नीति के रूप में भारत सरकार जटिलतम और आवश्यक क्षेत्रों में, जिनमें भारतीय तकनीक पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई है, प्रगतिशील तकनीकी के आगमन को वांछनीय समझती है। विदेशी विनियोजन और सहयोग पर सरकार की नीति के वृहत्त ढांचे के अन्तर्गत विदेशी विनियोजकों को अनेक सुविधायें तथा प्रोत्साहन पहले से ही प्राप्त हैं। इस प्रकार की सुविधाओं में, देश में एक बार विदेशी पूंजी के लग जाने के बारे उसके साथ भेदभाव हीन नीति लाभ और लाभांश के प्रेषण की स्वतन्त्रता, आम और विभिन्न सुविधाओं पर दुगुने कराधान से निवृत्ति विदेशी विनियोजकों और कम्पनियों को लाभाँश, रायल्टी और जानकारी की फीस पर कराधान में छूट शत प्रतिशत निर्यात करने वाले उद्योगों को संयंत्रों और मशीनों का आयात करने पर लगे प्रतिबंध में ढील, तकनीशियनों को आयकर में छूट आदि सम्मिलित हैं।

(ख) 1971 में 30-9-71 तक विदेशी सहयोग के 335 आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से 207 आवेदनों की इसी अवधि में स्वीकृति दी गई है।

बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उद्योगों का प्रसार

2443. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अगस्त, 1971 को नई दिल्ली में युवा उद्यमकर्त्ताओं के राष्ट्रीय संघ की क्षेत्रीय सम्मेलन में भाषण करते हुए वित्त मन्त्री द्वारा दिए गये इस सुझाव पर विचार किया गया है कि देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर उद्योगों का प्रसार किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). सरकार ने देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से औद्योगिक रूप से पिछड़े कई जिलों का चयन पहले ही कर दिया है, जहां उद्योगपतियों को नये औद्योगिक एककों की स्थापना करने या अपने विद्यमान एककों में पर्याप्त विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं से कुछ विशेष रियायतें/सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, योजना आयोग ने 1972-73 की वार्षिक योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को जारी किये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह कहा है कि रोजगार के अतिरिक्त अवसर

पैदा करने पर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शिक्षित व्यक्तियों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के बीच और जनता के विभिन्न वर्गों के बीच विषमता मिटाने पर अधिकतम बल देते हुए 1972-73 की वार्षिक योजना तैयार की जानी चाहिए।

सरकार विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों के लिये एक ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम भी चला रही है।

बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में हुई प्रगति

2444. **श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग चौथी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में बेरोजगारी के आंकड़े नहीं दे सका था ;

(ख) क्या पंचवर्षीय योजनाओं में बेरोजगारों के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है जो कि करोड़ों रुपये का है लेकिन उनके परिणाम ज्ञात नहीं हो सके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). योजना आयोग, योजना के आरम्भ में बेरोजगारी का वर्तमान अनुमान तथा तैयार की गई योजना को क्रियान्वित करने में अतिरिक्त रोजगार की संभावनाओं का एक प्राक्कलन प्रस्तुत किया करता था। नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी (अन्डर एम्प्लायमेंट) की परिभाषा तथा उसे मापने के समुचित मापदण्ड के सम्बन्ध में पर्याप्त विभिन्न दृष्टिकोणों तथा जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एवं रोजगार के कार्यालयों के आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गये बेरोजगारी के आकार की विभिन्नता में व्यापक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया कि इसके विभिन्न पक्षों की सूक्ष्म जांच की आवश्यकता है। तदनुसार इन पक्षों की जांच पड़ताल तथा समुचित सिफारिशें करने के लिए योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की। समिति ने मार्च 1970 में अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी। समिति ने ये सुझाव दिये :—

(1) जैसा कि विकसित अर्थ-व्यवस्था में श्रम शक्ति संकल्प तथा बेरोजगारी एवं अपूर्ण बेरोजगारी का माप मानव वर्षों (मैन ईयर्स) के रूप में अपनाया जाता है वह भारी जैसी अर्थ व्यवस्था, जो कि स्वमेय रोजगार तथा घरेलू उद्यमों द्वारा उत्पादन प्रधान के उपयुक्त नहीं थे।

(2) एक पक्षीय बेरोजगार तथा अपूर्ण रोजगार के आकार को एक पक्षीय अनुमान रूप से प्रस्तुत किया गया न तो कोई अर्थ रखता है और न आर्थिक स्थिति का कोई उपयोगी सूचक है।

(3) क्षेत्रीय, ग्रामीण तथा नगरीय निवास, मजदूरों का स्तर, शैक्षणिक उपलब्धि, आयु, लिंग, आदि प्रमुख प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए श्रम शक्ति के विभिन्न भागों के आंकड़ों को उपलब्ध करने के लिए अध्ययन आरम्भ किया जाना चाहिए।

(4) जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, रोजगार कार्यालय जैसे अभिकरणों के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करने तथा प्रस्तुत करने में विभिन्न सुधार किये जाने चाहिये ।

समिति के द्वारा की गई सिफारिशों की, रोजगार तथा मानव शक्ति से सम्बन्धित कार्यों में जुटे हुए विभिन्न अभिकरणों के परामर्श में, परीक्षा की गई । कुछ सुझावों को आंकड़ा एकत्रित करने वाले विभिन्न अभिकरणों के द्वारा पहिले ही से क्रियान्वित कर दिया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा 1972-73 में एक व्यापक श्रम शक्ति सर्वेक्षण आरम्भ करने का प्रस्ताव है । समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, रोजगार के क्षेत्र में चयनात्मक अध्ययन आरम्भ करने के प्रस्ताव हैं । उपयुक्त स्थिति के कारण बेरोजगारी अथवा चौथी योजना में रोजगार के अवसरों की कोई विश्वसनीय अनुमान तैयार करता सम्भव नहीं हो सका ।

एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार के अवसरों को बनाने पर अधिकतर बल दिया गया तथा इन योजना अवधियों में विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किये गये जिसके फलस्वरूप ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर बने हैं । जैसा कि पहिले इंगित किया जा चुका है कि संकल्पनात्मक समस्या तथा अन्य कठिनाइयों के कारण इसका अनुमान करना सम्भव नहीं है कि इन उपायों के कारण कितने अतिरिक्त कार्य के अवसर (नौकरियां) बन सकते थे ।

योजना आयोग देश की बेरोजगारी की स्थिति के प्रति पूर्णत: सजग है और चौथी योजना के विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम तैयार करने में उन्होंने इस पहलू को ध्यान में रखा है । चौथी योजना को अधिक रोजगार के अवसर सुलभ करने की दिशा में नया मोड़ दिया गया है कमजोर वर्ग और उन क्षेत्रों, जिनमें यह समस्या बहुत गम्भीर है की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कतिपय विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये हैं और 1970-71 वर्ष से उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । इस प्रकार तैयार किए गये विशेष कार्यक्रमों में लघु कृषक विकास अभिकरण (67.5 करोड़ रु०), नाममात्र के किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए अभिकरण (47.5 करोड़ रुपये), ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (100 करोड़ रुपये) बारानी खेती कार्यक्रम (20 करोड़ रुपये) और क्षेत्र विकास योजनायें (15 करोड़ रुपये) शामिल हैं । इसमें अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम शुरू किया गया है जो आशा है कि प्रत्येक जिले में औसतन 1000 लोगों को रोजगार देगा । इस कार्यक्रम के लिए 1971-72 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है । इंजीनियरों तथा तकनीशियनों सहित शिक्षित बेरोजगारों के अनुरूप विशेषरूप से तैयार की गई योजनाओं के लिये 1971-72 के केन्द्रीय बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है । स्वीकृत मुख्य कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्त ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, लघु उद्योगों की स्थापना के लिये उद्यमियों को सहायता, पांचवी योजना में आरंभ किये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों का अन्वेषण, ग्रामीण जल पूर्ति के लिये डिजाइन एककों की स्थापना और पैट्रोल डिलरशिपें स्थापित करने के लिये उद्यमियों को सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित है । अर्ध कुशल तथा अकुशल कामगारों के अलावा इन कार्यक्रमों द्वारा अध्यापकों, इंजीनियरों, डिप्लोमा होल्डरों ड्राफ्ट्समैनों, स्नातकों तथा मैट्रिक पास व्यक्तियों को काफी मात्रा में रोजगार मिलने की सम्भावना है ।

आगरा को पृथक राज्य बनाने की मांग

2445. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोगों ने आगरा को पृथक राज्य बनाने की आवाज उठाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) बृज क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध राज्य सरकार से है ।

नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना

2446. **श्री राजा कुलकर्णी :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में, राज्यवार कितने नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : एक विवरण संलग्न है जिसमें चौथी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में दी जा रही अतिरिक्त प्रसारण सुविधायें दर्शाई गई है। योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के परिणामस्वरूप मूल योजना प्रस्तावों में किये गये संशोधनों का भी इसमें ध्यान रखा गया है ।

विवरण

1. **आसाम तथा नेफा**
   (1) तेजपुर
   (2) सिल्चर
   (3) तावांग
   (4) डिब्रूगढ़
   (5) एजल
2. **आन्ध्र प्रदेश**
   विशाखापतनम
3. **बिहार**
   दरभंगा
4. **गुजरात**
   राजकोट
5. **हरियाणा**
   रोहतक

6. हिमाचल प्रदेश
   शिमला
7. जम्मू तथा काश्मीर
   (1) लेह
   (2) श्रीनगर
   (3) जम्मू
8. केरल
   एल्लेप्पी
9. मध्य प्रदेश
   (1) छत्तरपुर
   (2) रेवा
   (3) जगदलपुर
   (4) अम्बिकापुर
   (5) ग्वालियर
   (6) रायपुर
   (7) इन्दोर
10. महाराष्ट्र
   (1) जलगांव
   (2) रत्नागिरी
   (3) नागपुर
11. मैसूर
   मंगलौर
12. नागालैंड
   कोहिमा
13. उड़ीसा
   (1) कटक/भुवनेश्वर
   (2) जैपुर
   (3) सम्बलपुर
14. राजस्थान
   (1) सूरतगढ़
   (2) जोधपुर
   (3) उदयपुर
   (4) बीकानेर
15. तमिलनाडु
   कोयम्बत्तूर

16. उत्तर प्रदेश

(1) अलीगढ़
(2) गोरखपुर
(3) नजीबाबाद
(4) रामपुर
(5) वाराणसी

17. पश्चिम बंगाल

(1) कलकत्ता
(2) सिलीगुड़ी

18. मणिपुर

इम्फाल

19. त्रिपुरा

अगरतला

20. अण्डमान तथा निकोबार

पोर्ट ब्लेयर

सरकार द्वारा संकटग्रस्त उद्योगों को अपने अधिकार में लेने पर होने वाला व्यय

2447. श्री राज राजसिंह देव : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश के संकटग्रस्त उद्योगों को अपने अधिकार में लेने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने पर कितना-कितना व्यय होगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1971 जारी करके संकटग्रस्त तथा बन्द औद्योगिक उपक्रमों को अपने अधिकार में लेने से सम्बन्धित कुछ बातों की व्यवस्था की है। अध्यादेश की एक प्रति पहले ही सभापटल पर रखी जा चुकी है। अध्यादेश के अन्तर्गत सरकार ने जो शक्तियां ग्रहण की हैं वे समर्थकारी किस्म की हैं। सरकार प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी और वह अध्यादेश की शर्तों के अनुसार और आगे कार्रवाई कर सकती है बशर्ते कि वह उससे संतुष्ट हो जाती है कि सामान्य आर्थिक स्थिति, औद्योगिक एकक के लाभ पर पुनः चलाये जाने की क्षमता लोकहित की दृष्टि तथा सरकार को उपलब्ध साधनों को भी ध्यान से रखते हुए ऐसा करना न्यायोचित होगा।

(ख) इस पर कितना व्यय होगा इसका हिसाब लगाया जा रहा है और इसकी व्याख्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1971 में, जब वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जायेगा, के साथ संलग्न किये जाने वाले वित्तीय ज्ञापन में की जायेगी।

रानीगंज (पश्चिम बंगाल) में बंगाल पेपर मिल कम्पनी का बन्द होना

2449. **श्री राबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1971 में रानीगंज, जिला वर्दवान (पश्चिम बंगाल) में बंगला पेपर मिल कम्पनी का कारखाना बन्द हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कारखाना बन्द हो जाने के कारण कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) इस मिल को पुनः खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जांच आयोगों के प्रतिवेदन

2450. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद, इलाहाबाद, भिवंडी और इन्दौर में हुए साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में स्थापित किये गये जाँच आयोगों के प्रतिवेदन सरकार को इस बीच प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में जांच आयोगों के प्रतिवेदनों के अनुसरण में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) दंगों के लिये जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). उस आयोग का प्रतिवेदन जिसने सितम्बर, 1969 के गुजरात दंगों की जांच की थी, गुजरात सरकार द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। इलाहाबाद के किसी साम्प्रदायिक दंगे की जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कोई जांच नहीं की गई है। मई, 1970 में महाराष्ट्र के दंगों के बारे में जांच अभी चल रही है। जांच आयोग का प्रतिवेदन, जिसने 1969 के इन्दौर के दंगों की जाँच की, मध्य प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।

(ग) तथा (घ). उस आयोग के निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना अलग से दी जायेगी जिसने गुजरात के दंगों की जांच की थी।

इंटरनेशनल तम्बाकू लिमिटेड का विस्तार

2451. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०मेक्रोपोलो की सहायक कम्पनी इण्टरनेशनल तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड को विस्तार की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो कितने विस्तार की अनुमति दी गई है और उसकी वर्तमान क्षमता कितनी है ; और

(ख) उनके विस्तार कार्यक्रम के लिये उन्हें कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये हैं और उनकी अधिकतम मांग क्या है ; और

(ग) विस्तार करने की अनुमति देने और लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). मैं० इण्टरनेशनल टोबैको कम्पनी लि० को प्रतिवर्ष 6000 लाख सिग्रेटों के बनाने के लिये तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत किया गया है। चालू उदारीकृत लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 30000 लाख नग की अतिरिक्त क्षमता के लिये पंजीकरण हेतु उन्होंने प्रार्थना की है। इस प्रस्ताव में 4,96,577 रुपयों की कीमत की मशीनरी का आयात भी शामिल है।

पंजीकरण के लिये और मशीनरी को आयात के लिये उसका प्रार्थनापत्र विचाराधीन है।

नई दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का सम्मेलन

2452 **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में नई दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें भाग लेने वाले 1,000 प्रतिनिधियों में अधिकांश व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयं सेवक-संघ के नेता थे ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार को मालूम है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का 19वां वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में 31 अक्तूबर, 1971 से 2 नवम्बर 1971 तक हुआ था। इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था।

(ख) इस सम्मेलन के दौरान हुई गोष्ठी में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा भाग लिये जाने की सूचना है।

दिल्ली में गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिए एक विधेयक का पुरःस्थापित किया जाना

2453. **श्री निहार लास्कर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिये एक विधेयक का प्रारूप तैयार करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस विधेयक को लोक सभा के चालू सत्र में पुरःस्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). एक विधेयक मसौदा तैयार किया जा रहा है और सरकार का इरादा संसद के चालू सत्र में इसे पुरःस्थापित करने का है।

अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना

2454. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं के देने की आयु सीमा को बढ़ाने की प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) निर्णय कब लागू किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं, उठता ।

महानगरों में कैबरे नाच

2456. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री धर्मराज अफजलपुरकर :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि अश्लील और भद्दे कैबरे नाच जैसे दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता महानगरों और अन्य बड़े नगरों में बढ़ते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कुछ बड़े नगरों में ऐसे कैबरे नाचों के मामले ध्यान में आये हैं ।

(ख) किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा दूसरों को परेशान करने वाले किसी अश्लील कार्य के करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अन्तर्गत तीन महीने तक के कारावास का दण्ड, अथवा जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं कि ऐसे नृत्य सार्वजनिक भावनाओं को ठेस न पहुँचाएं ।

सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयु सीमा का बढ़ाया जाना

2457. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की आयु सीमा को बढ़ा कर 28 वर्ष तक करने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस निर्णय को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा को 28 वर्ष तक बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, संयुक्त परामर्श व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद की हाल में हुई बैठक में कर्मचारी-पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव के परिणामस्वरूप, लिपिक-वर्गीय श्रेणी-III अराजपत्रित पदों में सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा को 21 से बढ़ाकर 25 वर्ष करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

2. प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'कार्मिक प्रशासन' सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में गैर-तकनीकी उच्च सेवाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। आयोग ने लिखा है कि भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवारों के लिए लागू वर्तमान आयु सीमाएं 20 से 24 वर्ष तक है और अन्य गैर-तकनीकी उच्च सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमायें 21 से 24 वर्ष तक है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार ऊपरी आयु-सीमा ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होने पर बुरा प्रभाव डालती है, जिन्होंने अपनी डिग्री लेने के बाद अनुसंधान का पाठ्यक्रम आरंभ किया हो या इंजीनियरी, चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्रों में विशिष्ट अध्ययन किया हो। तदनुसार, ऐसे उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं का प्रतियोगी बनने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार आयोग की राय में सभी उम्मीदवारों की ऊपरी आयु-सीमा को 26 वर्ष तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग की वास्तविक सिफारिश, अर्थात सिफारिश संख्या 14(1), नीचे उद्धृत की जाती है :—

"प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा 26 वर्ष तक बढ़ा दी जाये।"

यह सिफारिश भी विचाराधीन है।

दिल्ली के लाल किले में धूम्र हथगोले मिलना

2458. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रविवार 7 नवम्बर, 1971 की शाम को दिल्ली के लाल किले में 'दो धूम्र-हथगोले' मिले थे;

(ख) क्या गेंद जैसे हथगोले जिनका व्यास 2 इंच था, फ्यूज के साथ घास के मैदान में पड़े थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) इस प्रकार बरामद किये गये दोनों ग्रिनेड सैनिक प्राधिकारी को दे दिए गए थे। वे उन परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं जिनके अन्तर्गत ये ग्रिनेड सैनिक अधिकार से बाहर निकले।

समाज विरोधी तत्वों द्वारा कथित गोलाबारी

2459. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 से 15 अक्तूबर के बीच समाज विरोधी तत्वों द्वारा विक्रमगढ़ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कैम्प से राजेन्द्रनगर और अन्य कालोनियों पर रोजाना गोलाबारी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजेन्द्रनगर और पास की कालोनियों के निहत्थे निवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई उपाय किये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

दक्षिणदरी, दमदम (पश्चिम बंगाल) की दो कालोनियों में समाज विरोधी तत्वों द्वारा मकानों का जलाया जाना

2460. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणदरी, दमदम (पश्चिम बंगाल) की नेहरू और शास्त्री कालोनियों में बसे गरीब लोगों के अनेक मकान समाज विरोधी तत्वों ने जला दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने मकान जलाए गए और इससे कितने लोग प्रभावित हुए ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है और अपराधियों को दण्ड दिया है और इन मकानों के पुनर्निमाण के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 13 अक्तूबर, 1971 को कुछ बदमाशों ने दक्षिणदरी, दमदम की नेहरू कालोनी बस्ती तथा शास्त्री कालोनी बस्ती की कई झोंपड़ियों में आग लगा दी । एक पुलिस दल तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचा । इस पर भारी पथराव किया गया, पटाखे फैंके गये और पाईपगनों से बार बार गोलियां चलाई गई । पुलिस ने आत्म-रक्षा में गोली चलाई । जब भीड़ तितर-बितर हो गई तो पुलिस ने बदमाशों को मिट्टी के तेल के टिनों, तलवारों, लाठियों, चोरी किए गये बर्तनों इत्यादि समेत पकड़ा । आग फायर ब्रिगेड द्वारा बुझा दी गई थी । किन्तु चूंकि अधिकांश झोंपड़ियां घास-फूस तथा बांसों से बनी हुई थी अतः आग से उपरोक्त दो बस्तियों में 40 झोंपड़ियाँ तुरन्त नष्ट हो गई । एक वृद्ध महिला भी झुलसकर मर गई । दमदम पुलिस थाने में एक मामला दायर कर दिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है । अग्रेतर सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है ।

स्थानीय सहयोग से भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशों से प्रस्ताव

2461. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशों ने स्थानीय सहयोग से भारत में अपने कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार से बातचीत की है ;

(ख) जिन देशों ने अपने प्रस्ताव रखे हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में बात करने के लिए सरकार ने उन देशों को प्रतिनिधि मण्डल भेजे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : क) और (ख). सरकार को समय समय पर भारतीय पार्टियों से विदेशी उद्योगपतियों के सहयोग से भारत में उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों की कुछ पार्टियों ने भी निर्यात परक और श्रमिक प्रधान उद्योगों की स्थापना के लिए अपने उद्योगों को भारत में स्थानान्तरित करने में रूचि दिखाई है। इस प्रकार के सभी आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विदेशी सहयोग, विदेशी विनियोजन और निर्यात प्रधान तथा अन्य उद्योगों के लिए पूंजीगत माल की आयात संबंधी सरकारी वर्तमान नीति के संदर्भ में विचार किया जाता है। ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी से प्राप्त इस प्रकार के दो प्रस्ताव सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रैक्टरों के उत्पादन में कमी

2463. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-सितम्बर, 1971 में लगभग 7,000 ट्रैक्टरों का उत्पादन हुआ जबकि इसी अवधि में 1970 में 10,500 ट्रैक्टरों का उत्पादन हुआ था ;

(ख) क्या यह कमी पूर्जों के उपलब्ध न होने और उनके अधिक मूल्य पर ही उपलब्ध होने के कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) अप्रैल-सितम्बर, 1971 की अवधि में कृषि ट्रैक्टरों का उत्पादन 7361 था जब कि इसी अवधि का 1970 का उत्पादन 10,472 था।

(ख) और (ग) उत्पादन में कमी निम्नलिखित कारणों से है न कि पुर्जों के उपलब्ध न होने के स्वरूप :—

(1) मै० हिन्दुस्तान ट्रैक्टरस लि० बड़ौदा, ने जिन्होंने अप्रैल-सितम्बर 1970 की अवधि में 879 ट्रैक्टरों का निर्माण किया था, 1971 की इसी अवधि में वित्तीय कठिनाइयों के कारण केवल 117 ट्रैक्टरों का निर्माण किया है।

(2) मै० एस्कोर्टस् लि०, फरीदाबाद में, जिन्होंने अप्रैल-सितम्बर, 1970 की अवधि में 5450 ट्रैक्टरों का निर्माण किया था, 1971 की इसी अवधि में उनके उत्पादन में कमी करने के कारण केवल 1716 ट्रैक्टरों का निर्माण किया है।

उत्पादन की कमी कुल खारीद के घटने के कारण से है जिसके लिए उत्पादकों का कहना है कि यह आयातित ट्रैक्टरों की बड़ी संख्या में आ जाने की वजह से है।

अन्य तीन उत्पादकों से अप्रैल-सितम्बर, 1971 की अवधि में 1970 की इसी अवधि में हुए उत्पादन से अधिक उत्पादन किया है।

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड का बन्द होना

2464. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड इस वर्ष के प्रारम्भ से बन्द हो गया है ;

(ख) क्या यह इस कारण हुआ है कि कोई आयात उसके द्वारा नहीं किया गया था और यदि आयात उनके द्वारा नहीं किया गया होता तो अन्य कारखाने भी बन्द हो जाते ; और

(ग) अक्तूबर, 1970 से प्रत्येक कारखाने ने कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया और उसी समयावधि में प्रत्येक कारखाने ने कितने आयातित ट्रैक्टरों के पुर्जे जोड़ कर निर्माण किया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) कारखाना बन्द नहीं हुआ है, बल्कि इस वर्ष के आरम्भ से ही उत्पादन प्राय: नहीं हो रहा है।

(ख) जी, नहीं। इस एकक को पुर्जे जोड़कर ट्रैक्टर बनाने के लिए आयात हेतु भी लाइसेंस दिया गया था किन्तु इसने अपने लाइसेंस का उपयोग नहीं किया है। अन्य एकक, यदि उन्हें आयात की अनुमति न दी गई होती तब की वे बन्द न होते।

(ग) अक्टूबर, 1970 से हर एकक में बनाये गये और जोड़ कर तैयार किये गये ट्रैक्टरों की संख्या इस प्रकार है :—

फर्म का नाम	नियमित उत्पादन कार्यक्रम के अधीन बनाये गए ट्रैक्टरों की संख्या	आयात किए गये ट्रैक्टर जिन्हें जोड़ कर तैयार किया गया की संख्या
1. मे० ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लि०, मद्रास	4,015	1,012
2. मे० इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स कं० आफ इंडियन लि० बम्बई	7,473	198
3. मे० एस्कार्ट लि० फरीदाबाद	5,298	4,453
4. मे० ईयर ट्रैक्टर्स इंडिया लि०, फरीदाबाद	998	एक भी नहीं
5. मे० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लि०, बड़ौदा 50 अ०श०	195	एक भी नहीं
35 अ०श०	253	एक भी नहीं
6. मे० एस्कार्ट्स ट्रैक्टर्स लि०, फरीदाबाद	615	198

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज लिमिटेड, मद्रास

2465. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 के लिये हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज लिमिटेड, मद्रास का उत्पादन लक्ष्य क्या है ;

(ख) उस वर्ष कितनी बिक्री हुई ;

(ग) विदेशों से कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुये हैं ;

(घ) उपरोक्त अवधि में कम्पनी द्वारा कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया ; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के लिए घोषित लाभांश की दर क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1970-71 के लिए हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर, लिमिटेड का उत्पादन लक्ष्य पूरी तरह जोड़ी गई 5,500 अदद मशीनों औट 40 लाख रुपये के फालतू पुर्जों का था।

(ख) 345.49 लाख रुपये।

(ग) 6.53 लाख रुपये।

(घ) कर तथा विकास छूट आरक्षित के लिये व्यवस्था करने के बाद 52.36 लाख रुपे।

(ङ) चुकता पूंजी पर 12½ प्रतिशत।

अनुश्रवण स्टेशनों में दिशा ज्ञात करने की चल सुविधा

2466. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न अनुश्रवण स्टेशनों में दिशा ज्ञात करने की चल सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त प्रत्येक स्टेशन में यह सुविधा कब उपलब्ध करवाई जायेगी ?

सचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). ग्यारह अनुश्रवण केन्द्रों में से पांच केन्द्र चल दिशा बोध सुविधा से लैस हैं। अन्य केन्द्रों में भी चल दिशा बोध सुविधा की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है और अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक इन केन्द्रों में उक्त सुविधाओं की व्यवस्था हो जाने की सम्भावना है बशर्ते कि इसके लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाये।

अनुश्रवण उपकरण का विकास

2467. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुश्रवण, उपकरण देश में ही बनाये जा रहे हैं अथवा इनका विदेशों से आयात किया जाता है ; और

(ख) इलैक्ट्रानिक अनुश्रवण उपकरणों का भारत में विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिये अनुश्रवण का विकास देश में ही किया जा रहा है। अत्यंत विशिष्ट तथा तात्कालिक प्रकार की मदों के उपकरण आयात किये जा रहे हैं।

(क) विभिन्न प्रकार के विशिष्ट इलैक्ट्रानिक उपस्करों का विकास जिसमें रेडियो अनुश्रवण उपकरण भी सम्मिलित हैं पहले से ही प्रगति पर है। इलैक्ट्रानिक कमीशन जिसकी स्थापना विस्तृत अधिकारों सहित सरकार ने की है, इस विषय को पूर्ण रूप से संभाल लिया है और इस क्षेत्र में शीघ्र प्रगति पाने के लिए इसका गूढ़ अध्ययन कर रहा है। घटकों का अधिक से अधिक उत्पादन जिसकी आवश्यकता ऐसे विशेष उपस्करों के लिये पड़ती है, देश में ही स्थापित किये जा रहे हैं।

ट्रांसमिशन फैक्टरी, नैनी में उत्पादन

2468. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नई ट्रांसमिशन फैक्टरी, नैनी में उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) नई फैक्टरी में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है ; और

(ग) इस कारखाने के लगाने में कुल कितना खर्च होगा और इस नये कारखाने पर अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) नैनी के नये पारेषण उपस्कर कारखाने में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के कारखाने से प्राप्त हिस्से-पुर्जों की जुड़ाई के साथ उप्पादन शुरू हो चुका है।

(ख) दूरसंचार प्रणाली के लिए लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर।

(ग) नैनी पारेषण उपस्कर कारखाने की कुल प्राक्कलित पूंजीगत लागत 258.60 लाख रुपये है। सितम्बर, 1971 के अन्त तक इस कारखाने पर खर्च की गई रकम 56.24 लाख रुपये है।

धूम्रपान के प्रति हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न साधनों से प्रचार

2469. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धूम्रपान के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण उसके प्रति हतोत्साहित करने के लिये विभिन्न साधनों द्वारा प्रचार अभियान प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) फ़िलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव मत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में पिस्टन के रिंग बनाने की फैक्टरी की स्थापना

2470. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसूर में पिस्टन के रिंग और अन्य समान बनाने की एक फैक्टरी स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में परमाणु शक्ति केंद्र स्थापित करने की मांग

2471. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **प्रमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि राज्य में 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने हेतु परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए यदि तत्काल उपाय न किये गये तो राज्य में कृषि-क्रांति और औद्योगिकीकरण की गति बिल्कुल रुक जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री और गृह-मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) बिजली की जबरदस्त कमी को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने पंजाब में एक परमाणु बिजलीघर स्थापिर करने का अनुरोध किया है ।

(ख) नये परमाणु बिजलीघर की स्थापना के लिए उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों की जांच करने के उद्देश्य से सितम्बर, 1970 में तकनीकी विशेषज्ञों की एक स्थल-चयन समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उस पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के बाद ही यह निर्णय किया जा सकेगा कि भविष्य के परमाणु बिजलीघर कहां-कहां स्थापित किये जायें ।

केरल में उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव

2472. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्लास बोल्टिंग यूनिट, स्कूटर, फैक्टरी, कीटनाशक निर्माण करने के कारखाने और घड़ियां, चश्में के शीशे बनाने के कारखाने बड़े औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसपर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). केरल सरकार ने हाल ही में राज्य में बेराजगारी की स्थिति का सामना करने के अभ्युपायों का पता लगाने के लिये एक अध्ययन किया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का विचार कांच की बोतलें बनाने, स्कूटर का कारखाना लगाने, घड़ियां, रसायन बिजली के पुर्जे, शक्तिचालित करघा बनाने आदि के एककों/उद्योग स्थापित करने का है। इन प्रस्तावों के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के अन्य प्रस्ताव भी योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

केरल में टेलिविजन सेट बनाने के कारखाने की स्थापना

2473. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से चौथी योजना के दौरान उस राज्य में एक टेलीविजन सेट बनाने के कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). प्रश्न स्पष्ट नहीं है कि क्या इसका अर्थ टी०वी० ट्रांसमिशन केन्द्र अथवा टी०वी० सेट निर्माण यूनिट की स्थापना से सम्बन्धित है।

केरला में टी०वी० सेट निर्माण यूनिट स्थापना के बारे में अन्य आवेदन पत्रों के साथ केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से प्रतिवर्ष 1,00,000 टी० वी० सेट निर्माण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है जो सरकार के विचाराधीन है प्रार्थना-पत्र में ऐसे टी०वी० सेटों के उत्पादन का प्रस्ताव है जिसका मूल्य 1,000 तथा 1,200 रुपयों के मध्य होगा।

जहां तक केरला में टी०वी० ट्रांसमिशन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव का प्रश्न है राज्य सरकार के संदर्भ में उन्हें सूचित कर दिया है कि सीमित साधनों के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तर्गत ऐसा कोई केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं है।

पंजाब पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध आरोप

2474. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के भूतपूर्व विधान सभा के सदस्यों और अन्य लोगों ने वर्तमान पुलिस महा निरीक्षक को जो हाल ही में हुई हत्याओं को रोकने में असफल रहे हैं, बदलने की मांग की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त महानिरीक्षक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की कोई जांच की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पंजाब पुलिस के महा-निरीक्षक के पद से वर्तमान व्यक्ति को हटाने के लिए एक भूतपूर्व विधायक और दो संसद-सदस्यों द्वारा मांग की गई है। किन्तु यह कहना सच नही है कि पिछले कुछ समय में हत्याएं बेरोक-टोक की गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गर्वनमेंट कालेज, मुक्तसर (पंजाब) के विद्यार्थियों की कथित मारपीट

2475. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अगस्त में गर्वनमेंट कालेज मुक्तसर (पजाब) के विद्यार्थियों की अत्याधिक मारपीट और उन्हें दी गई यातना की तत्काल जांच के लिए केन्द्रीय अधिकारी भेजे गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). क्योंकि घटनाओं की मजिस्ट्रेट जांच के पश्चात अग्रेतर जांच की मांग का अनुरोध किया जाता रहा, अज: पंजाब सरकार ने गृह मन्त्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एम० गोपाल मेनन की सेवाएं जांच कराने के लिए प्राप्त की थी। जब श्री मेनन जांच आरम्भ करने वाले थे तो उनके ध्यान में यह लाया गया कि इस घटना के सम्बन्ध में एक फौजदारी मुकदमा न्यायाधीन है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने महसूस किया कि इस अवस्था में जांच करना उचित नहीं होगा। तदनुसार जांच स्थगित कर दी गई। पंजाब सरकार ने अब यह अध्ययन करने का अनुरोध किया है कि क्या शर्तों को बदल कर श्री मेनन द्वारा ऐसी जांच फिर से आरम्भ की जा सकती है जिससे न्यायालय की कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का कोई डर न हो।

केन्द्रीय सूचना सेवा में पदोन्नतियाँ

2477. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा में हाल ही में की गई कुछ पदोन्नतियों के बारे में जांच शुरू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन अनियमितताओं का पता लगा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). कुछ अधिकारियों जिनके बारे में हाल ही में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा केन्द्रीय सूचना सेवा के जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर स्केल) के लिये विचार किया गया था, से प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच करते समय यह देखा गया है कि कुछ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टों का पुनर्विलोकन/प्रतिहस्ताक्षर करने में प्रक्रिया सम्बन्धी दोष था। इस तथ्य को संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाया गया है और उसकी इस मामले में सलाह की प्रतीक्षा की जा रही है। कोई जांच शुरू नहीं की गई है, और न ही सरकार ऐसी किसी जांच की आवश्यकता अनुभव करती है।

जासूसी करने के अपराध में पूर्वी राज्यों से पाकिस्तान भेजे गये व्यक्ति

2478. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जासूसी करने के अपराध में आसाम, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों से कितने व्यक्तियों को पाकिस्तान भेजा गया ; और

(ख) भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के अपराध में मार्च, 1971 से 15 नवम्बर, 1971 तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन जासूसों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों में, असम का एक व्यक्ति और मेघालय के सात व्यक्ति पाकिस्तानी जासूस होने के सन्देह में गिरफ्तार किये गये और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। 1 मार्च से 15 नवम्बर 1971 तक की अवधि में इनमें से किसी को पुनः प्रवेश करते हुए नहीं पाया गया।

बिहार, मणिपुर तथा नागालैंड से किसी व्यक्ति को निष्कासित नहीं किया गया।

पश्चिम बंगाल तथा नेफा के बारे में सूचना आनी है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Effect of Screening of Crime-Provoking Foreign Films in India

2479. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether 95 per cent of the foreign films screened in India during the period from January, 1970 to November, 1971 were crime-provoking : and

(b) if so, Government's assessment of the ill effects of the above films on the people of the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Informarion and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पाकिस्तानी घुसपैठियों को छोड़ कर अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का भारत में निश्चित अवधि से अधिक समय तक ठहरना

2480. **श्री हरी सिंह** :

श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी घुसपैठियों को छोड़कर कितने अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिक सरकार की अनुमति के बिना भारत में अनिश्चित अवधि से अधिक समय तक ठहरे ; और

(ख) उनको वापस भेजने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) 30 जून, 1971 को 7978। इस आंकड़े में जम्मू व काश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल और नागालैंड से संबंचित सूचना सम्मिलित नहीं है, जो एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ख) विदेशियों से सम्बन्धित कानून के अनुसार, अभियोजन तथा निष्कासन समेत, जो भी कार्यवाही उचित हो, की जाती है। उन व्यक्तियों के बारे में, जो छुप जाते हैं, खोजने के नोटिस जारी किये जाते हैं और उन्हें ढूंढने के प्रयत्न किये जाते हैं तथा उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

Special Foreign Training for TV Employees

2481. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Television Department had deputed some of its employees to the United States of America and United Kingdom for receiving special training in Television during 1970-71 ; and

(b) if so, the names and designations of those employees before they were deputed for the said training ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) and (b). The following six officers of All India Radio were deputed in TV to the United Kingdom in 1970-71. None was deputed to the United States of America.

S. No.	Name	Designation before deputation for training
(i)	Smt. Sudha Chopra	Production Assistant, Delhi TV Centre.
(ii)	Shri S. C. Parashar	Director, Listener Research, All India Radio.
(iii)	Dr. G. S. Gunthey	Translator-cum-News Reader, All India Radio.
(iv)	Shri P. C, James	Assistant Engineer, Delhi TV Centre.
(v)	Shri S. N. Sadhu	Extension Officer, Radio Kashmir, Srinagar.
(vi)	Kumari Suneeta Vir Singh	Producer, External Services Division, All India Radio.

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के बारे में मोरारका समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही

2482. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका को वित्तीय सहायता और उन्हें दिये जा चुके ऋणों को एक समेकित ऋण में बदलने के सम्बन्ध में मोरारका समिति की सिफारिशों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) मोरारका आयोग की सिफारिशों की जांच अभी चल रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

2483. **श्री समर गुह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या पिछले बजट सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि उन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के प्रश्न पर, जो पाँच से अधिक वर्षों तक जेलों में रहे, सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या गृह मंत्रालय के बजट पर चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में भी यह आश्वासन दोहराया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने की कोई योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक अन्तिम रूप में स्वीकार कर ली जायेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) बजट पर हुई बहस का उत्तर देते हुये प्रधान मंत्री ने कहा था कि क्रांतिकारियों के लिए जितना किया जाना था, उतना नहीं किया गया और यह कि सरकार इसकी जांच कर रही है ।

(ग) और (घ). सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा ।

ग्वालियर रेयन फैक्टरी, नागदा लुग्दी की कमी

2484. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर रेयन फैक्टरी, नागदा लुग्दी की अत्यन्त कमी का सामना कर रही है ;

(ख) क्या नागदा फैक्टरी के प्रबन्धों ने केरल स्थित लुग्दी बनाने वाली अपनी सहायक फैक्टरी में हड़ताल और तालाबन्दी होने को दृष्टि में रखते हुये भारत सरकार से फिर से उत्पादन चालू करने के लिए लुग्दी का आयात करने की अनुमति देने की अपील की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और केरल स्थित सहयोगी फैक्टरी में हड़ताल और तालाबन्दी समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मे० ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग), कं० लिमिटेड, नाग्दा स्टेपल फाइबर का निर्माण करने के लिए केरल स्थित अपने कारखाने से अपनी वुड पल्प की आवश्यकतायें पूरी करता है । क्योंकि अगस्त-नवम्बर में केरल स्थित कारखाने में तालाबन्दी थी इसलिए नाग्दा स्थित एकक को वुड पल्प की कमी का सामना करना पड़ा । कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने पल्प का आयात करने के लिए आवेदन किया है । इसी बीच केरल स्थित कारखानों में तालाबन्दी समाप्त कर दी गई और यह आशा है कि स्थिति सामान्य हो जायेगी ।

'मदर इन्डिया' के सम्पादक की भर्त्सना

2485. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने "मदर इण्डिया" के सम्पादक की भर्त्सना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). जी, हां। सम्पादक की भर्त्सना करते हुए, प्रेस परिषद ने निम्न प्रकार टिप्पणी की है :—

"यह पहला अवसर नहीं है जबकि "मदर इंडिया" के सम्पादक परिषद् के सम्मुख आए हों और वे जिस प्रकार बराबर साम्प्रदायिक प्रचार में रत हैं उसको देखते हुए परिषद् यह महसूस करती है कि भर्त्सना से कम कोई और बात स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी।"

बहराइच (उत्तर प्रदेश) में माचिस बनाने का कारखाना

2486. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अन्य जिले बहराइच तथा अन्य पड़ोसी जिलों में माचिस बनाने के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध है ;

(ख) क्या बहराइच जिले की सीमा पर ही नेपाल सरकार ने माचिस बनाने का कारखाना चला रखा है और यह माचिस पड़ोसी जिलों में बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बहराइंच में माचिस बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में अनियमित डाक-तार सेवायें

2487. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा में विद्यमान अनियमित डाक-तार सेवाओं की ओर दिलाया गया है जिनके कारण सभी वर्ग के लोगों को असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। तथापि त्रिपुरा में डाक और दूरसंचार सेवाओं में रुकावटें जरूर पैदा होती रहती हैं। डाक सेवा में गड़बड़ी हवाई सेवाओं के रद्द होने के कारण होती हैं और दूरसंचार सेवाओं में गड़बड़ी तांबे के तारों की बार-बार चोरी होने और रिपीटर स्टेशनों और टेलीफोन एक्सचेंजों को विद्युत सप्लाई अनियमित होने की वजह से होती है।

(ख) इस सिलसिले में निम्नलिखित कदम उठाने के विचार हैं :

(i) तांबे के तार की जगह अल्यूमीनियम के तार और तांबे से झले तार का प्रयोग करना।

(ii) रिपीटर स्टेशनों और टेलीफोन एक्सचेंजों को विद्युत सप्लाई करने के लिए सीधी लाइनों की व्यवस्था करना।

(iii) वोल्टता सप्लाई की घटा-बढ़ी पर काबू पाने के लिए समुचित वोल्टता रेगुलेटरों की व्यवस्था करना।

(iv) विद्युत तारों को इन्डक्शन के असर से बचाने के लिए फिल्टर लगाना।

दिल्ली के गुरुद्वारों के नियंत्रण पर अकालियों द्वारा आन्दोलन

2488. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के गुरुद्वारों के नियत्रण के प्रश्न पर सन्त समुदाय के अकालियों ने दिल्ली में आन्दोलन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मामले का इस बीच निपटारा हो गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग). अकाली दल (सत गुट) ने दिल्ली में गुरुद्वारों के प्रबन्ध में तथा कथित हस्तक्षेप के विरुद्ध एक आन्दोलन चलाया है। तथ्य यह है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) अधिनियम, 1971, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न विषमता से निपटने के लिए पारित करना पड़ा। सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया है कि इस अधिनियम का स्थान एक उपयुक्त कानून ले लेगा जिसमें सिख सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों द्वारा गुरुद्वारों के प्रबन्ध की व्यवस्था होगी। दिल्ली में सिख सम्प्रदाय के नेताओं से परामर्श करने के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मण्डल द्वारा तैयार किया विधेयक का प्रारूप विचाराधीन है। अतः यह देखा गया है कि आन्दोलन एक ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके बारे में सरकार ने बार-बार तथा पर्याप्त आश्वासन दिए हैं तथा आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।

1971-72 के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2489. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **योजना** मन्त्री राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के बारे में 16 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2285 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कतिपय राज्यों को 1971-72 के लिए उनके द्वारा वस्तुतः केन्द्र से मांगी गई सहायता से बहुत कम देने के क्या कारण हैं ;

(ख) अन्य राज्यों को उनके द्वारा वस्तुतः मांगी गई सहायता से अधिक राशि देने का क्या कारण है ; और

(ग) 1971-72 में प्रत्येक राज्य की केन्द्रीय सहायता देने का आधार क्या रहा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए, सम्पूर्ण चौथी योजना अवधि में केन्द्रीय सहायता की राशि 3500 करोड़ रुपये निश्चित की गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए संघ शासित क्षेत्रों के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत सूत्र के अनुसार प्रत्येक राज्य को सम्पूर्ण योजना अवधि में जितनी कुल केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी, ठीक उसके अनुपात में वर्ष 1970-71 के दौरान कुल केन्द्रीय सहायता का 1/5 भाग यानी 700 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्यों को आवंटित की जा चुकी है। राज्यों को उनके अनुरोध के आधार पर केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती। अतः राज्यों ने जितनी सहायता मांगी है कुछ राज्यों को उससे ज्यादा और कुछ को कम मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

2490. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दण्डित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संसद सदस्य को इस सरकारी कर्मचारी के मामले में प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है जो कि उसके निर्वाचन क्षेत्र का मतदात्री है ; और

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने सम्बन्धी सम्बद्ध नियमों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). केन्द्रीय सिविल सेवायें (आचरण) नियम, 1964 के नियम 20 में निर्धारित है कि कोई सरकारी सेवक, सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बद्ध विषयों की बाबत अपने हितों में वृद्धि करने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य असर न डालेगा और न डालने का प्रयत्न करेगा । अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सम्बंध में भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, 1968 के नियम 18 में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है । इन नियमों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं । इन नियमों को ध्यान में रखते हुए, सामान्यत: किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने वैयक्तिक मामले के प्रयोजन के लिए किसी संसद सदस्य के पास पहुंचने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का खतरा मोल लेना है ।

विवरण

केन्द्रीय सिविल सेवायें (आचरण) नियम, 1964 के नियम 20 की प्रतिलिपि—

20—**अशासकीय या अन्य असर की उपार्थना करना** :—कोई सरकारी सेवक, सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बद्ध विषयों की बाबत अपने हितों में वृद्धि करने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य असर न डालेगा और न डालने का प्रयत्न करेगा ।

अखिल भारतीय सेवायें आचरण नियम, 1968 के नियम 18 की प्रतिलिपि—

18—**उपार्थना** :—सेवा का कोई सदस्य सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बद्ध विषयों की बाबत अपने हितों में वृद्धि करने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य असर न डालेगा और न डालने का प्रयत्न करेगा ।

संगीत और नाटक डिवीजन के कलाकारों को ठेका समाप्त करने की धमकी देना

2491. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत और नाटक डिवीजन के कुछ कलाकारों को उनके ठेके समाप्त करने की धमकी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ग) क्या संगीत और नाटक डिवीजन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से भेंट की है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं । किसी भी कलाकार को उसका ठेका समाप्त करने की धमकी नहीं दी गई है, परन्तु फरवरी 1971 में पूना में तीन कलाकारों के ठेके समाप्त किये गये थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). जी हां, उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मामले के बारे में मामला विचाराधीन है ।

राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकीय उच्च निकायों की स्थापना

2492. **श्री के० बालतन्डायुतम** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे मुख्य-मन्त्रियों के अधीन विज्ञान और प्रोद्योगिकी के लिए एक उच्च निकाय स्थापित करें ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सदस्य कौन-कौन हैं तथा उनके कृत्य क्या हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी हां, । दिनांक 18 सितम्बर, 1971 को राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के सदृश्य अपने-अपने राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति के निर्धारण के लिये एक सर्वोच्च संस्था बनाएं । जहां तक संस्था के निर्माण का सम्बन्ध है, राज्य सरकारें जैसे चाहें, उस तरह से उनका निर्माण कर सकती हैं। यह पूर्णतया उनके अधिकार-क्षेत्र की बात है । किन्तु केंद्रीय सरकार को ऐसी आशा है कि इन संस्थाओं में विविध वैज्ञानिक विषयों को, जिनका राज्य के औषधीय, कृषि, सार्वजनिक निर्माण कार्य, सिंचाई, विश्व-विद्यालय, प्रौद्योगिकी, महा-विद्यालयों से सम्बन्धित विकास योजनाओं से सम्बन्ध है, स्थान दिया जाएगा । यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो, केंद्रीय सरकार उनकी ओर से उसकी प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से इस बात का अनुरोध करेगी कि वे इन समितियों के कार्य में सदस्य अथवा सलाहकार के रूप में पूरा-पूरा सहयोग करें ।

परमाणु इंजीनियरी के लिये भूमिगत परमाणु परीक्षण

2493. **श्री समर गुह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में रूस, अमरीका और फ्रांस ने अनेक भूमिगत परमाणु परीक्षण किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परीक्षण किस प्रकार के थे और उनकी विस्फोटक क्षमताएं क्या थीं ;

(ग) क्या परमाणु इंजीनियरों के उद्देश्यों के लिये भारत का विचार भी भूमिगत परमाणु परीक्षण करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो भारत में परमाणु इंजीनियरी क्षमता का विकास करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). 1 जून, 1971 तथा 6 नवम्बर 1971 के मध्य सोवियत रूस तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा किये गये भूमिगत परमाणु परीक्षणों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। इस अवधि में फ्रांस में कोई भूमिगत परीक्षण नहीं किया है।

(ग) तथा (घ). परमाणु ऊर्जा आयोग उन अवस्थाओं का अध्ययन कर रहा है जिनके अन्तर्गत किये गये शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोट आर्थिक दृष्टि से भारत के लिये लाभप्रद हो सकते हैं तथा वह इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करता रहता है।

विवरण

तालिका-I

1 जून, 1971 को सोवियत संघ द्वारा किये गये भूमिगत परमाणु विस्फोटों का ब्यौरा देने वाली सूची।

क्रम संख्या	दिनांक	विस्फोट-स्थल का नाम	अनुमानित शक्ति
1.	6-6-1971	सेमीपलाटिस्क	20 से 40 किलोटन टी०एन०टी के बराबर
2.	19-6-1971	,,	,, ,,
3.	30-6-1971	,,	,, ,,
4.	10-7-1971	यूराल पर्वत	15 से 30 ,,
5.	19-9-1971	,,	10 से 20 ,,
6.	27-9-1971	नोवाया जैमालिया	500 से 1000 ,,
7.	4-10-1971	यूराल पर्वत	20 से 30 ,,
8.	9-10-1971	सेमीपलाटिस्क	20 से 40 ,,
9.	21-10-1971		30 से 50 ,,
10.	22-10-1971	यूराल पर्वत	20 से 30 ,,

तालिका-II

1 जून, 1971 के बाद अमरीका संघ द्वारा किये गये भूमिगत परमाणु विस्फोटों का ब्यौरा देने वाली सूची।

क्रम सं०	दिनांक	विस्फोट-स्थल का नाम	अनुमानित शक्ति
1.	16-6-1971	दक्षिणी नवाडा	10 से 20 किलोटन टी०एन०टी के बराबर
2.	23-6-1971	,,	,, ,,
3.	24-6-1971	,,	15 से 30 ,,
4.	8-7-1971	,,	20 से 40 ,,
5.	18-8-1971	,,	,, ,,
6.	6-11-1971	अमचितका द्वीप	5 मेगाटन टी०एन०टी० के बराबर

दिल्ली के लिए औद्योगिक नीति

2494. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली के औद्योगिक विकास हेतु क्या विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं और उसको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या दिल्ली से उद्योगों को निकटवर्ती राज्यों को स्थानान्तरण किया जा रहा था क्योंकि दिल्ली में सरकार की वर्तमान नीति उद्योगों की वृद्धि और विकास के लिए सहायक न थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) दिल्ली में ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास के लिए चतुर्थ पंचपर्षीय योजना 1969-74 के अन्तर्गत आयोजित योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. **हथकरघा उद्योग**

(क) बुनकरों की सहकारी समितियों को छूट और ऋण :—यह एक निरन्तर चालू रहने वाली योजना है और जिसके अन्तर्गत हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा निर्मित हाथ के बने हुये वस्त्रों की बिक्री पर छूट की अनुमति बिक्री पव्यशालाओं द्वारा दी जाती है और बुनकरों की सहकारी समितियों की उन्नत औजारों के खरीदने के लिए ऋण भी दिए जाते हैं।

(ख) **बुनकरों की बस्ती** :—बुनकरों की बस्ती स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत बुनकरों को काम करने के शेड प्रदान किये जायेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की लागत का पहले से ही भुगतान कर दिया गया है और स्वीकृति के बाद नक्शे कार्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिये गये हैं।

2. **लघु उद्योग**

(क) **ब्लाक ऋण** :—यह एक जारी रहने वाली योजना है और इसके अन्तर्गत अधिकतम 50,000 रु० तक ऋण लघु एककों को अपने उद्योगों का विकास करने के लिए दिए जाते हैं।

(ख) उद्योगों का स्थानान्तरण करने के लिये ऋण के रूप में सहायता :—यह भी एक जारी रहने वाली योजना है और इसके अन्तर्गत लघु एककों को भूमि खरीदने और भवन निर्माण करने के लिये ऋण दिया गया है ताकि वे अपने उद्योगों को उचित स्थान पर स्थानान्तरित कर सकें।

(ग) **इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र** :—इस योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिये एक सामान्य सुविधा केंद्र की पहले से ही स्थापना की गई है, यह उन लघु इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लाभ के लिए परीक्षण कार्य में सहायता करता है जिनकी अपनी प्रयोगशाला नहीं है।

(घ) **खेल कूद सामग्री उद्योगों के लिये सामान्य सुविधा केंद्र** :—इस योजना के अन्तर्गत खेलकूद सामग्री उद्योगों की सहायता के लिए श्रमिक प्रधान और निर्यात परक सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। केन्द्र इन उद्योगों को उचित तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में

सहायता करता है और अच्छी किस्म का माल तैयार करने के लिये मूल्यवान उपकरणों के प्रयोग की सुविधा प्रदान करवाता है।

(ङ) **चमड़ा सामग्री उद्योग** :—इस योजना के अंतर्गत चमड़े का सामान बनाने में लगे हुये लघु उद्योग एककों की सुविधा के लिये सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। लेकिन जमीन जो अब उपलब्ध कराई जा रही है उपलब्ध न होने के कारण यह योजना कार्यान्वित न की जा सकी। जमीन मिल जाने पर यह योजना कार्यान्वित की जायेगी।

(च) **घरेलू बिजली के सामान पर क्वालिटी चिन्हांकित करने सम्बन्धी योजना** : इस योजना के अन्तर्गत घरेलू बिजली का सामान बनाने में लगे लघु उद्योग एककों को उनके द्वारा बनाये गये माल की क्वालिटी जांचों में सहायता देने की व्यवस्था है। यह प्रारम्भिक तौर पर एक ऐच्छिक योजना है।

(छ) **लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना करना** :—इस निगम की स्थापना पहले ही की जा चुकी है और यह लघु उद्योगों के सहायतार्थ कच्चे माल की व्यवस्था देखेगा तथा एककों की उनके उत्पादों का निर्यात करने में भी सहायता करेगा।

(ज) **निर्यात सम्वर्धन प्रकोष्ठ** :—लघु उद्योग एककों के लिये उनके उत्पादों के निर्यात कार्य में तेजी लाने के लिए लाभप्रद मार्गदर्शन करने और उनकी सहायता करने के विचार से एक प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(झ) बेकार इंजीनियरों को अपना लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता देना।

इस योजना की स्थापना तकनीकी दृष्टि से सुयोग्य व्यक्तियों की उनके अपने लघु उद्योग लगाने में सहायता करने के लिये की गई हैं। पर यह योजना इंजीनियरों की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा व्यापारिक दर पर लिया जाने वाला भूमि का मूल्य दे सकने में अनुभव की जा रही आर्थिक कठिनाईयों के कारण क्रियान्वित नहीं की जा सकी। किन्तु ऐसा समझा जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों से भूमि का आरक्षित मूल्य लिए जाने के बारे में अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार से पहुंच की थी।

कुम्हार बस्ती :

इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुम्हारों को दिल्ली के विभिन्न भागों नांगलोई तथा झुग्गी झोंपड़ी कालोनी में स्थानान्तरित किया जाता है और उद्योग निदेशक वहां पर कुम्हारों को सुविधाएं और सहायता देने के लिये एक सामान्य सुविधा केन्द्र खोलेंगे, कुम्हारों को स्थानांतरित कर देने के पश्चात उनके लिये शेडों का निर्माण किया जाएगा।

3. **औद्योगिक बस्ती**

(क) **बादली तथा अन्य ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां** :—एक योजना के अन्तर्गत निर्माण के पश्चात सब शेड लघु उद्योगों को आवन्टित कर दिये गये और 144 भूखण्ड विकसित किये गए और लघु उद्योगों को आवन्टित कर दिये गये हैं। 95 भूखण्डों का विकास किया जा रहा है और शीघ्र ही उन्हें औद्योगिक एककों को जिनके लिये पहले से ही आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है, आवन्टित कर दिया जाएगा।

(ख) **प्लास्टिक इलैक्ट्रानिक तथा वैद्युत वस्तुओं के लिए कार्य करने वाली औद्योगिक बस्ती** :—इस योजना के अन्तर्गत प्लास्टिक इलैक्ट्रोनिक तथा वैद्युत वस्तुओं के लिए कार्य करने

वाली औद्योगिक बस्ती का निर्माण करने का विचार है किन्तु भूमि के अनुउपलब्ध होने के कारण जो कि अब उपलब्ध की जा रही है, प्रगति नहीं हो सकी। भूमि का आवन्टन हो जाने पर इस योजना को कार्यान्वयन किया जायेगा।

(ग) **प्लैटैड कारखाने** :—इस योजना के अन्तर्गत भी चमड़े की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने वाले कारीगरों के लिए वर्क शेडों के रूप में एक चौरस कारखाना बनाने का विचार है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना के लिये भूमि का आवन्टन अभी किया जाना है।

(घ) **सहकारी औद्योगिक बस्ती** :—इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन का विचार उद्योगों की स्थापना करने के लिये सहकारी औद्योगिक बस्ती को वित्तीय सहायता देने का है। यह योजना भी प्रगति नहीं कर सकी क्योंकि सहकारी औद्योगिक समितियों को वास्तविक रूप में भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी थी।

4. **दस्तकारी**

दस्तकारी शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किया जा रहा है।

(क) मास्टर हस्तशिल्पी के अधीन दस्तकारों के प्रशिक्षण का आयोजन।

(ख) घात्विक वस्तुओं, कलात्मक जेवरात आदि के लिये सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना।

(ग) सहायता प्राप्त दरों पर दस्तकारों को सुधरे हुये औजार तथा मशीनों का सम्भरण।

(घ) हस्तशिल्प के माल की बिक्री पर छूट की अनुमति।

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन।

(ख) गत कुछ वर्षों की अवधि में बड़ी या छोटी कोई भी पंजीयित एकक अभी तक दिल्ली से स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

दिल्ली पुलिस की संख्या बढ़ाना

2495. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न संवर्ग के पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) दिल्ली पुलिस को अपने दायित्वों के पालन में समर्थ बनाने हेतु उसे हथियारों से लैस करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली पुलिस आयोग 1966-68 ने दिल्ली पुलिस ढांचे व उसके कार्य की विस्तृत जांच की है और उनकी सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की संख्या गत तीन वर्षों में बढ़ा दी गई है। संलग्न विवरण से कर्मचारियों की वृद्धि का पता लगता है। कुछ

प्रस्ताव अब भी विचाराधीन हैं और उनका सम्बन्ध सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त बटालियनों, शाहदरा सब-डिवीजन के वायरलैस कर्मचारियों का पुनर्गठन, पालम हवाई अड्डे के पुलिस थाने और चलते फिरते गश्तों से है। इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय के बारे में अभी कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती।

(ग) दिल्ली पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर छोटे तथा मध्यम दोनों वाहनों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है, सामरिक महत्व के स्थानों पर वायरलैस स्टेशन स्थापित कर दिये गये हैं, केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष का आधुनिकीकरण कर दिया गया है, दिल्ली में प्रशिक्षण सुविधाएं दी गई हैं और दिल्ली में अपराध अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली पुलिस के उपकरणों की अग्रेतर मांग के बारे में जांच की जायगी।

विवरण

पद	अक्तूबर, 1968 की संख्या	अक्तूबर, 1971 की संख्या
पुलिस महानिरीक्षक	1	1
पुलिस उप-महानिरीक्षक	3	3
पुलिस अधीक्षक	21	24
पुलिस सहायक अधीक्षक/पुलिस उप-अधीक्षक	53	82
निरीक्षक	159	257
उप-निरीक्षक	892	1392
सहायक उप-निरीक्षक	736	1146
हैड कांस्टेबल	2761	3082
कांस्टेबल	11038	11495
आशुलिपिक	24	37
आशुलिपिक प्रतिवेदक	—	4
आन्तरिक लेखा परीक्षक	1	2
निम्न श्रेणी लिपिक	4	5
स्टेनो टाइपिस्ट	1	4
ड्राफ्टसमैन	1	1
वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक	—	1
शैक्षिक सलाहकार	—	1
शैक्षिक सहायक	—	1
वित्त सलाहकार	—	1
सहायक सूचना अधिकारी	—	1
विशेष अधिकारी (II)	—	3
अध्यापक	—	—
	15,695	17,543

विभिन्न दलों और राजनीतिक पार्टियों द्वारा पृथक्कारी विचारों का प्रसार

2496. **श्री एच० के० एल० भगत :** **श्री पी० के० देव :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दल और राजनीतिक पार्टियाँ पृथक्कारी विचारों का प्रसार कर रहे हैं जो देश के हित के विरुद्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार भारत के किसी भाग के पृथक्कीकरण की माँग का प्रसार करने वाली संस्थाओं की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है तथा ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून के अन्तर्गत सभी आवश्यक उपाय करती है। इस समय समस्त जम्मू व कश्मीर जनमत संग्रह मोर्चे को अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत अवैध घोषित कर दिया गया है।

साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने के लिए संसद सदस्यों का ज्ञापन

2497. **श्री एच० के० एल० भगत :**
श्री शशि भूषण :

क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमाइत-ए-इस्लामी तथा अन्य साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने की माँग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऐसा ज्ञापन जुलाई, 1971 को प्राप्त हुआ था। किन्तु संसद सदस्यों से इसी प्रकार के सुझाव समय-समय पर प्राप्त हुए हैं।

(ख) साम्प्रदायिक संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार को अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है। आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को, जिसमें साम्प्रदायिक संस्थाओं की गतिविधियों से निपटने की व्यवस्था थी, चौथी लोक सभा में विरोधी दलों द्वारा उठायी गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, 1970 में पुर: स्थापन के समय वापिस लेना पड़ा। अग्रेतर कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

छोटे और सस्ते टेलीविजन सेट बनाना

2498. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा बनाये जाने वाले टेलिविजन सेटों का मूल्य कितना है ;

(ख) क्या छोटे और सस्ते टेलीविलन सैट बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 24″/23″ तथा 20″/19″ स्क्रीन साइज के टी०वी० सैट्स क्रमश: 1900 रुपयों तथा (1575 से 1739) तक में बेचे जा रहे हैं जिनमें उत्पादन कर तथा दूसरे कर सम्मिलित नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग). विभिन्न निर्माण यूनिट्स छोटे और सस्ते टेलीविजन सैट बनाने की योजना बना रहे हैं जिनमें ट्रांजिस्टर्स तथा इंटेगरेटिड सर्किट्स का उपयोग किया जा रहा है । सरकार भी निम्नलिखित ऐसे कदम उठा रही है जिससे टी०वी० सैट्स की कीमत कम होने के सम्भावित परिणाम निकलेंगे ।

(i) उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करके इलैक्ट्रानिक घटकों की कीमतों में क्रमिक कमी घटकों के कारण टेलीविजन सैटों के मूल्य पर काफी ठोस असर पड़ता है ;

(ii) छोटे स्क्रीन वाले सैटों के उत्पादन को प्रोत्साहन दे कर ;

(iii) प्रत्येक यूनिट में टेलीविजन सैटों का अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ा कर ।

राकेट छोड़ने के स्टेशन को थुम्बा से आन्ध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा को स्थानान्तरित करना

2499. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम के पास थुम्बा स्थित राकेट छोड़ने के स्टेशन को आन्ध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा को स्थानान्तरित करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रथम श्रेणी के लिये पदोन्नति कोटे में वृद्धि करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

2500. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग में 'कार्मिक प्रशासन' सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में श्रेणी 1 के लिये कोटा बढ़ाने की सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि प्रथम श्रेणी में पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटे में वहां पर 40 प्रतिशत

तक की अधिकतम वृद्धि की जा सकती है, जहां पर कि वर्तमान कोटा इस प्रतिशत से कम पड़ता है। यह सिफारिश सरकार के पास विचाराधीन है।

जनजातीय क्षेत्रों में आकाशवाणी के स्टेशनों के प्रसारणों में जनजातीय लोगों द्वारा भाग लेना

2501. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान प्रसारण केन्द्रों से जनजातीय व्यक्तियों के किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हुई है ;

(ख) क्या जनजातीय व्यक्तियों को अपनी बोली में राष्ट्रीय अथवा अन्य शैक्षिक विषयों पर वार्ताओं में भाग लेने का अवसर दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां ; इस प्रकार के अवसर वहां दिये जाते हैं जहां आदिवासियों के लिए कार्यकर्मों में भाषित कार्यक्रम होते हैं और जहां वार्ताओं को देने के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों का अनुदान

2502. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों के नये अथवा विद्यमान औद्योगिक एककों को पूर्णरूपेण अनुदान अथवा राज सहायता देने के लिये पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को निदेश जारी किया है कि इस प्रकार के औद्योगिक एककों का चयन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाये ; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने अपने प्रस्ताव प्रेषित कर दिये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित की गई योजना के मुताबिक, चुने हुए जिलों/क्षेत्रों में नए औद्योगिक एककों की स्थापना करने अथवा पर्याप्त विस्तार करने के लिए कुछ शर्तों पर अचल पूँजी के दसवें भाग तक केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यय को तथा परिवहन सहायता योजना के अधीन 5 करोड़ रुपये के व्यय को पूरा करने की की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी नहीं, श्रीमान्।

विदेशी सहयोग से स्कूटरों का निर्माण किया जाना

2503. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में इटली के मेसर्स पयागों के प्रस्ताव के अतिरिक्त स्कूटरों के निर्माण के लिए सरकार का विचार विदेशी सहयोग के नये प्रस्तावों को प्राप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) इटली में मैसर्स पायग्गियों के प्रस्ताव के अतिरिक्त इटली के मैमर्स इन्नोसेन्टी के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में एक स्कूटर प्रायोजना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस समय कोई और प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है, न ही सरकार सहयोग के नये प्रस्ताव, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिये जाने तक, स्वीकार करेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में जापानी कम्पनियों के साथ सहयोग

2504 **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "इलैक्ट्रानिक्स" के क्षेत्र में विकास के लिये जापानियों के साथ सहयोग के लिए कोई प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख). उन मदों के विषय में जिसके लिए घरेलू उद्योग-विद्या उपलब्ध नहीं है और विदेशी सहयोग को अनुमति दे दी गई है, प्राइवेट-सेक्टर तथा सरकारी सेक्टर के युनिट उपयुक्त विदेशी फर्मों के साथ लिखा-पढ़ी करने के अपने प्रयत्न करते हैं, प्रस्ताव जब प्राप्त होते हैं तो गुणों के आधार पर सरकार उन पर विचार करती है। इलैक्ट्रानिक मद के निर्माण-हेतु कुछ प्राइवेट-सेक्टर की फर्मों ने जापानी फर्मों के साथ सहयोग किया है। सरकारी-सेक्टर में भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड, बेंगलोर जो सरकारी सेक्टर संस्थान है जापानी सहयोग से विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रानिक-यंत्र बनाने की व्यवस्था की है जिसमें टी० वी० पिक्चर ट्यूब्स, ट्रांसमिटिंग ट्यूब्स आदि भी सम्मिलित हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए विशेषज्ञों का दल

2505. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत में, जहां बड़े और छोटे उद्योग नहीं हैं, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना हेतु उच्च अधिकार प्रयाप्त विशेषज्ञों का दल गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेषकर औद्योगिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों की समस्याओं की जांच इन दलों द्वारा की जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) एक दल, तकनीकी विकास महानिदेशालय के एक अधिकारी की अध्यक्षता में तथा दूसरा दल विकास आयुक्त, लघु उद्योग की अध्यक्षता में, दो अलग-अलग दलों ने हाल ही में मेघालय/मणिपुर तथा आसाम/त्रिपुरा का दौरा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इन स्थानों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये किया था। मणिपुर, आसाम तथा त्रिपुरा के बारे में उनकी रिपोर्ट मिल गई है।

(ख) इन दोनों दलों को अध्ययन के लिये विशिष्ट क्षेत्र दिये गये थे, आई० डी० बी० आई० तथा अन्य वित्तीय संस्थायें सभी पिछड़े हुए राज्यों का सर्वेक्षण कर रही हैं। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश का भी सर्वेक्षण किया गया है।

पन बिजली परियोजनाओं के द्वारा मध्य प्रदेश में औद्योगीकरण

2506. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के द्वारा मध्य प्रदेश और पड़ौसी राज्यों में औद्योगीकरण द्वारा कितनी प्रगति होने की सम्भावना है ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) मध्य प्रदेश के लिये फिलहाल कोई नई हाइडिल प्रायोजना स्वीकार नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

2507. **श्री एस० आर० दामाणी** :

श्री पी० के० देव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त क्षेत्र में राज्य-वार, कितने औद्योगिक एककों की स्थापना की गई हैं ;

(ख) उनके प्रबन्धक कौन हैं और उनके चयन की प्रक्रिया क्या हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर 'नहीं' में है तो उसके क्या कारण है और सरकार ने इसे प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा "संयुक्त क्षेत्र" की धारणा को स्वीकार करते हुए यह विचार प्रकट किया गया है कि भविष्य में सरकारी वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त करने वाली बड़ी परियोजनाओं के प्रबन्ध में, विशेष रूप से नीति संबंधी स्तरों पर सरकार का अधिक भाग होगा। ये संस्थाएं कुछ प्रकार के मामलों में निर्धारित समय के अंदर उनके द्वारा दिये गये ऋणों को इक्विटी में, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बदलने का विकल्प प्रयोग कर सकती है। जिनमें "सयुक्त क्षेत्र" की धारणा लागू होगी

उन परियोजनाओं का प्रकार और संख्या वित्तीय सहायता की राशि पर निर्भर करेगी, जो राशि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से किसी विशेष परियोजना के लिये वित्त देने हेतु आवश्यक है। इन मामलों पर सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये वित्तीय संस्थाएं निर्णय लेगी। ऐसे उपक्रमों का विस्तृत ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

रोजगार के अवसर और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु चौथी योजना में प्रस्तावित परिवर्तन

2508. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार के अवसर और औद्योगिक उत्पादन शीघ्र बढ़ाने के लिये चौथी योजना के निर्धारित परिव्यय अथवा प्राथमिकताओं में परिवर्तन लाने के लिये विचार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये वर्तमान योजना किस प्रकार से क्रियान्वित की जायेगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन पूर्ण होने वाला है। यह ध्यान में आया है कि भविष्य में रोजगार अभिमुख स्कीमों तथा औद्योगिक उत्पादन पर भी पर्याप्त बल देना होगा। इन सभी का अध्ययन तथा समीक्षा की जा रही है। मूल्यांकन पूर्ण हो जाने पर ही अपेक्षित नवीनीकरण और प्राथमिकताओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना

2509. **श्री गंगा चरण दीक्षित :**
श्री भगीरथ भंवर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में कोई सरकारी क्षेत्र की परियोजना स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना में निम्नांकित केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें शामिल हैं :—

(1) भिलाई इस्पात परियोजना का विस्तार।
(2) नेपा मिल का विस्तार।
(3) सुरक्षा कागज मिल (सीक्योरिटी पेपर मिल) का विस्तार।
(4) कोरबा एल्यूमीनियम परियोजना।
(5) हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड का विस्तार।

कोरबा में कोयला आधारित उर्वरक परियोजना तथा मध्य प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र मे कागज/लुगदी संयंत्र भी विचाराधीन है।

लाइसेंसों के लिए मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रार्थना पत्र

2510. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नये औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु लाइसेंस देने के लिए कितने प्रार्थना पत्र भेजे गये ;

(ख) इस बीच कितने प्रार्थना पत्र स्वीकृत हुए ; और

(ग) कितने प्रार्थना पत्र अस्वीकृत हुए और इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) सामान्य रूप से औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पार्टियों को सीधे प्राप्त होते हैं। 1 जनवरी, 1968 से 31 अक्तूबर, 1971 की अवधि में मध्य प्रदेश में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये 121 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) तथा (ग). अब तक 4 औद्योगिक लाइसेंस और 19 आशय पत्र जारी किये गये हैं 28 आवेदन पत्र रद कर दिये गये थे और 5 वापस ले लिये गये थे। रद्द किये जाने के तीन प्रमुख आधार थे, अर्थात (1) अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने की गुंजाइश नहीं थी, (2) योजना को सभाव्य नहीं समझा गया था, (3) विदेशी मुद्रा का भारी खर्च निहित था।

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

2511. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पिछडे और अर्ध-विकसित क्षेत्रों का औद्योगिकरण करने संबंधी नीति को लागू करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसके लिए विशेष रूप से कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पिछड़े क्षेत्रों से किए वादों को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). योजना आयोग और राज्य सरकारों के परामर्श से एक योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार कुछ जिलों/क्षेत्रों, जिनमें मध्य प्रदेश के जिले/क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, को चुना गया है जिनको नये एककों के मामले में अचल पूंजी के 1/10 वें भाग के बराबर या विद्यमान एककों के पर्याप्त विस्तार के लिए जिनका अचल पूंजी विनियोजन 50 लाख से अधिक नहीं है, केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जायेगी। इस योजना का विस्तृत ब्यौरा 26 अगस्त, 1971 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

देश के विभिन्न भागों में जिन जिलों को पिछड़ा माना गया है उन लगभग 200 जिलों में 35 जिले म०प्र० के भी शामिल हैं। उनमें स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिये वित्त देने वाली संस्थाओं से रियायती दर पर वित उपलब्ध है।

मध्य प्रदेश सहित कुछ पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम को भी सरकार चला रही है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार इन पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगपतियों को निम्नलिखित सहायता/प्रोत्साहन दे रही है :—

(1) बिक्री कर में सहायता की राशि या + ब्याज मुक्त ऋण की राशि को प्रतिवर्ष चुकाए गये बिक्री कर के 75 प्रतिशत तक बढ़ा लिया गया है जो विकसित जिलों के लिये 50 प्रतिशत है।

(2) पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित मझौले और बड़े उद्योगों को उनके तीन वर्षों के बिलों के 15 प्रतिशत के बराबर बिजली सहायता दी जायेगी जबकि विकसित जिलों को बिजली में सहायता की राशि केवल 5 प्रतिशत होगी।

(3) औद्योगिक विकास निगम परामर्शदाताओं के माध्यम से पिछड़े जिलों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करवा रहा है।

(4) पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त अवस्थापना का विकास करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

Slow Pace of Development in Uttarakhand

2512. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether due to slow pace of development in Uttarakhand, great discontentment is prevailing among the people of that area ;

(b) if so, whether Government propose to implement development programmes in that area expeditiously ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a), (b) and (c). The Government of Uttar Pradesh which is concerned with the implementation of the programme of development in Uttarakhand area of that State has reported that the pace of development of the area is satisfactory and that no discontentment prevails among the people of that area on this account. A statement is laid on the Table of the House showing the progress of Plan expenditure in Uttarkhand during the period of the Third Plan and thereafter and also physical achievement in the fields of road construction and spread of education during the same period, as reported by the Government of Uttar Pradesh.

To give an impetus to the development programme taken up in Uttarkhand area and other hill districts of Uttar Pradesh, a Committee of Direction has been constituted in the Planning Commission to which representatives of the State Government have also been appointed. A programme of resources survey is contemplated by this Committee in order to facilitate better planning and implementation of development programmes.

STATEMENT

Development Plans for Uttarakhand (U.P.)

I	*Progress of expenditure*—	Total outlay	(Rs. lakhs) Expenditure
	(a) Third Plan	2454	2439
	(b) 1966-67 to) 1968-69)	1110	983
	(c) 1969-70	350	351
	(d) 1970-71	473	473
	(e) 1971-72	400	400 (anticipated)

II *Achievement of physical targets in important sectors*

		1960-61	1970-71	Target for 1971-73 (3 years) (Additional)
I	*Roads*			
	(a) Motorable (KMs)	394.45	1800.99	145.00
	(b) Bridle (Kms)	N.A.	3272.25	171.00
II.	*Educatian* (Nos.)			
	(a) Primary Schools	124	600	45
	(b) Junior High Schools	8	75	52
	(c) High Schools	4	8	8
	(d) Intermediate Colleges	1	22	2
	(e) Degree Colleges	—	3	—
	(f) Post grade College	—	1	—
	(g) Normal Schools	—	3	—
	(h) BTC Girls' Units	—	2	—

क्विलोन स्थित इंडियन एग्रर अर्थ लिमिटेड में हड़ताल

2513. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन स्थित इण्डियन एग्रर अर्थ लिमिटेड के कर्मचारियों ने 20 अक्तूबर, 1971 से हड़ताल आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उस फर्म के प्रबन्धकों ने भर्ती की शर्तों का उल्लंघन किया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). इण्डियन रेयन अर्थ्स लिमिटेड के क्विलोन स्थित कार्यालय के कुल 54 कर्मचारियों में से लगभग 32 कर्मचारी 20 अक्तूबर, 1971 से हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल उस समझौते का उल्लंघन है जो कि 31 मार्च, 1973 तक वैध है अतः अर्नाकुलम के सहायक श्रम आयुक्त ने इसे अवैध घोषित कर दिया है। हड़ताली कर्मचारियों की मांगे निम्नलिखित हैं :—

(1) जो रियायतें कर्मचारियों को दी जा चुकी है तथा जिन्हें अन्य यूनियनों ने स्वीकार कर लिया है उनके अतिरिक्त कुछ अन्य रियायतें देना भी कम्पनी के प्रबन्धक स्वीकार करें।

(2) जिन तीन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है तथा जिनके विरुद्ध इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के क्विलोन स्थित खनिज प्रभाग के मुख्य प्रशासन अधिकारी का घेराव करने के अपराध में जांच चल रही है, को पुन; पदस्थापित किया जाये।

(3) भूतपूर्व त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड तथा हापकिन एण्ड विलयम्स (त्रावनकोर लिमिटेड) के भूतपूर्व कर्मचारियों को नौकरी दी जाये।

(ग) जी, नहीं। त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड तथा हापकिन एंड विलियम्स (त्रावनकोर लिमिटेड), के जो भूतपूर्व कर्मचारी निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हैं उन्हें नौकरी देने में इस कम्पनी के प्रबन्धक लगातार प्राथमिकता प्रदान करते रहे हैं।

राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

2515. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और आवश्यक संसाधनों के उपलब्ध होने के बावजूद वे आयोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रति गम्भीर नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) किन राज्यों को संसाधनों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपने कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को भी स्थगित करने को बाध्य होना पड़ा है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). यद्यपि अभी तक कई राज्यों ने पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटाये हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धि होने पर भी इनमें से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो सुनियोजित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के प्रति सतर्क न हो। असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य ऐसे हैं जिनमें जुटाए गये अतिरिक्त संसाधन योजना लक्ष्यों से कम पड़ सकते हैं।

(ग) अभी तक किसी भी राज्य को संसाधनों की अत्यधिक कमी के कारण, अनुमोदित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा।

छोटी कार परियोजना के लिए स्थान का चयन

2516. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना के लिए स्थान का चयन अन्तिम रूप से कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और यदि नहीं, तो इसको अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी नहीं।

(ख) मॉडल और सहयोग के सम्बन्धी निर्णय के उपरांत, जिसके शीघ्र ही होने की आशा है, इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

परमाणु विशेषज्ञों द्वारा राणा प्रताप सागर स्थित परमाणु रिएक्टरों की जांच के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता

2517. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के साथ से समझौतों पर हस्ता-

क्षर किये हैं जिसके अन्तर्गत भारत ने उच्च परमाणु विशेषज्ञों के दल को राणा प्रताप सागर स्थित अपने परमाणु रिएक्टरों की जांच की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए सरकार का विचार समझौते पर पुनर्विचार करने का है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). राणा प्रताप सागर परमाणु बिजलीघर के निर्माण में सहयोग करने के उद्देश्य से कनाडा सरकार के साथ सन 1963 में जो करार किया गया था उसमें यह व्यवस्था की गई है कि रिऐक्टर तथा इसमें पैदा हुई सारी सामग्री का उपयोग केवलमात्र शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित रखने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। बिजलीघर का निरीक्षण भी किया जा सकेगा। समझौते में की गई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के कार्यान्वियन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ भी एक करार करना भी आवश्यक है। अब कनाडा, भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं, जिसके अनुसार यह अभिकरण अपेक्षित कार्य करेगा। इस त्रिपक्षी करार की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

"Kissing" in Indian Films

2518. **Shri M. C. Daga :**
Shri Varkey George :

Will the Minister of **Information & Broadcasting** be please to state :

(a) Whether the ban on kissing in Indian Films will be lifted in the near future and, if so, the reasons therefor ; and

(b) Whether in the reorganised Central Film Censor Board such member are in majority who are in favour of lifting the ban on kissing ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharm Bir Sinha) : (a) Government have not issued specific instructions to deal with kissing scenes in films ; and there is no proposal to do so now.

(b) The question does not arise, as there hase been no reorganisation of the Central Board of Film Censors.

उद्योगों की स्थापना के लिए अनिर्णीत आवेदन पत्र

2519. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : **क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए, राज्य-वार, गत तीन वर्षों में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्रों को राज्य-वार मंजूरी दी गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ख). प्रार्थना पत्रों के सांख्यिकी आंकड़े राज्य-वार रखे जाते हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों के बारे में अलग में

ऐसे आंकड़े नही रखे जाते हैं। वर्ष 1968, 1969, 1970 तथा 1971 (6-11-1971 तक) की अवधि में नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की और इसी अवधि में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों को जारी किये गये लाइसेंसों/आशय-पत्रों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1195/71]

संचार मंत्रालय के कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के कारण हानि

2520. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है उनके मंत्रालय में कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में बहुत सी राशि का दावा अनुचित ढंग से किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है और ऐसी कितनी अधिक धनराशि आंकी गई है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) संचार मंत्रालय के कर्मचारी केंद्रीय सेवा (चिकित्सा) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा पर किए व्यय की प्रतिपूर्ति की रियायत पाने के हकदार हैं। चिकित्सा पर किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जो मंजूरी नियमों के मुताबिक की जाती है, उसे अनुचित नहीं माना जा सकता।

(ख) और (ग). कुछ समय पहले स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एक अध्ययन दल बनाया था जिसमें सरकार द्वारा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति में बचत करने के प्रश्न पर समूचे तौर पर विचार किया था और इस अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर इस खर्च पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक डाक-तार विभाग का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर डाक-तार बोर्ड के दक्षता ब्यूरो ने भी अध्ययन किया था और दक्षता ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर कुछ कदम उठाये गये हैं। इससे आशा है कि यह व्यय कम हो जायेगा।

हैदराबाद में तेलगु फिल्मों के लिए एक सेंसर बोर्ड की स्थापना

2521. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में तेलगु फिल्मों के लिए एक अलग सेंसर बोर्ड स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया था कि हैदराबाद में एक प्रादेशिक सेंसर बोर्ड स्थापित किया जाए।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में वास्तव में बनने वाली फिल्मों की संख्या को देखते हुए हैदराबाद में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का एक अलग प्रादेशिक कार्यालय खोलने का औचित्य नहीं है।

अग्रिम क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाना

2522. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1971-72 में कितने नए रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अग्रिम क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने की कोई योजना सरकार के पास है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) सात ट्रांसमीटर। इनमें से निम्नलिखित चार नये केन्द्र इसी वर्ष के दौरान चालू हो चुके हैं :

(1) अलीगढ़ (वैदेशिक सेवाओं के लिये शार्ट वेव)

(2) राजकोट (वैदेशिक सेवाओं के लिये मीडियम वेव)

(3) उल्लेपी (मीडियम वेव) तथा

(4) लेह (मीडियम वेव)

निम्नलिखित दो स्थानों पर चालू वर्ष के दौरान उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाकर वर्तमान केन्द्रों को और शक्तिशाली बना दिया गया है :—

(1) जोधपुर (मीडियम वेव) ; और

(2) इम्फाल (मीडियम वेव)

आशा है एक केन्द्र सिलचर में मार्च 1972 से पूर्व स्थापित हो जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर उच्च शक्ति वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्थापित किये जायें :—

(1) कोहिमा (2) श्रीनगर	वर्तमान ट्रांसमीटरों जो अल्प शक्ति के हैं, के बदले में।
(3) नेल्लपुर (4) गोरखपुर (5) नजीबाबाद	नये केन्द्र

पश्चिम बंगाल में नगर विकास योजनाओं में गतिरोध

2523. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 1968-69 से 1971-72 तक की अवधि के दौरान प्रारम्भ की गई नगर विकास योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) इन योजनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) क्या 1971-72 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली अधिकतर विकास योजनाओं में गतिरोध पैदा हो गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल में नगर विकास कार्यक्रम के दो सुनिश्चित घटक हैं, यानी—

(क) कलकत्ता महानगर विकास क्षेत्र की योजनाएं ;

(ख) कलकत्ता महानगर क्षेत्र से बाहर के कार्यक्रम तथा योजनाएं ।

भाग (क) का जहां तक सम्बन्ध है कलकत्ता महानगर योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सभा में 24-11-71 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 537 के उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, राज्य मंत्री ने जो उत्तर दिया उसकी एक प्रति अनुबन्ध के रूप में संलग्न हैं । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या** एल० टी०— 1196/71]

भाग (ख) का जहां तक सम्बन्ध है, कलकत्ता से बाहर के क्षेत्रों के नगरीय विकास के लिए पश्चिम बंगाल योजना में 66 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और राज्य सरकार इस प्रावधान को निम्नांकित सुनिश्चित कार्यक्रमों पर खर्च कर रही है :—

(1) आसनसोल—दुर्गापुर के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करना ;

(2) हाल्दिया के लिए व्यापक योजना बनाना ।

(3) दारजिलिंग और जलपायगुड़ी के लिए नगरीय और क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करना ;

(4) सिलीगुड़ी में परिवहन सुविधाओं में सुधार ;

(5) हावड़ा नगर सुधार मण्डल को अंशदान ;

(6) नगरपालिका क्षेत्रों का विकास ।

इन कार्यक्रमों पर 1969-70 और 1970-71 के दौरान क्रमश: 32.64 लाख रुपये तथा 37.71 लाख रुपये खर्च हुए । 1971-72 का स्वीकृत व्यय 20 लाख रुपये है । राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाएं तैयार कर कार्यान्वित की जा रही हैं । परन्तु व्यय की प्रगति से यह साफ जाहिर है कि विभिन्न योजनाओं की प्रगति संतोषप्रद है ।

पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के संघों की मान्यता का वापिस लिया जाना

2524. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में सभी सम्बद्ध केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघों की मान्यता वापस लेने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की सामान्य हड़तालें और बंदों पर रोक लगाने का है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किस नियम अथवा नियमों के अन्तर्गत इन कार्यवाहियों पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) किस आधार पर अथवा आधारों पर सरकार का विचार कर्मचारियों को संविधान के अन्तर्गत गारंटी दिए गए मूल अधिकारों से वंचित करने का है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये लागू आचार नियमों में उनके लिए हड़ताल और प्रदर्शन करना मना है । तथापि, इस कानून की उक्त व्यवस्था से औद्योगिक कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को छूट है । पश्चिम बंगाल में फैली हुई परिस्थितियों और उस क्षेत्र में अत्यावश्यक सेवाओं के लगातार चालू रहने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने अत्यावश्यक सेवाएं साधारण अधिनियम, 1968, के अधीन आदेश जारी करके केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कुछ वर्गों के मामलों में जैसे कि, पश्चिम बंगाल को मिलाकर रेलवे प्रशासन के अधीन सेवाओं पर हड़ताल करने की रोक लगा दी है । उक्त स्थिति के अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बन्द और हड़ताल किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं, उठता ।

(घ) सरकारी कर्मचारियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

Srinagar Post Office Building gutted

2525. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Jyotirmoy Bosu :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Post Office located at the main dam on the Jhulum River was completely destroyed in a fire in November, 1971 ;

(b) whether Government have conducted any inquiry into the causes leading to the accident ; and

(c) the approximate amount of loss suffered as a result thereof ?

The Minister of Communications (Shri H. N, Bahuguna) : (a) Yes. The reference is probably to the Head Post Office at Srinagar (Kashmir) which was gutted by fire on 10-11-1971. But cash, stamps and valuable securities kept in the Treasury Cage were not affected by the fire.

(b) The matter is under police investigation.

(c) About Rs. 2 lakhs 25 Thousands. It excludes the amount of compensation to be paid for the postal articles destroyed.

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए पश्चिम बंगाल से प्राप्त आवेदन पत्र

2526. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1969 से अक्तूबर, 1971 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे ;

(ख) भावी विनियोक्ताओं द्वारा कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ;

(ग) उनके मंत्रालय ने अब तक कितने आवेदनपत्रों को स्वीकृति दे दी है ;

(घ) क्या इस राज्य में औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रगति धीमी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 1-1-1969 से 31-10-1971 तक पश्चिमी बंगाल में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनपत्रों की कुल संख्या 65 है ।

(ख) जिन उद्योगों को स्थापित करने का प्रस्ताव है वे मुख्यत: विद्युत सामान, खाद्य परिष्करण मशीनें, कास्टिक सोडा, चमड़े का सामान, नायलोन वस्त्र तंतु, वनस्पति, इस्पात की ढली हुई वस्तुओं का निर्माण करने और कोयले के उत्खनन में वृद्धि करने से संबंधित है ।

(ग) 1-1-69 से 31-10-71 तक 12 औद्योगिक लाइसेंस और इतनी ही संख्या में आशयपत्र जारी किये जा चुके हैं ।

(घ) जी नहीं । वास्तव में पश्चिम बंगाल के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर निपटाये जा रहे हैं ;

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरिजन/निर्बल वर्ग कल्याण निगम

2527. **श्री बी० एस० मूर्ति : क्या योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में हरिजन/निर्बल वर्ग कल्याण निगम स्थापित करने की योजनाएं प्रेषित की हैं और कितनी योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति में केन्द्रीय सरकार का क्या योगदान है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). केरल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विकास निगम आरम्भ करना चाहता है । यह विषय विचाराधीन है ।

केरल में बन्द उद्योगों का पुन: चालू किया जाना

2528. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने उद्योगों को पुन: चालू किया जा चुका है ; और

(ख) उनमें से उद्योग-वार कितने उद्योग अभी बन्द पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल के विकास हेतु सहायता की मांग

2529. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री केरल के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के बारे में 20 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1256

के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य के पिछड़े जिलों के विकास के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : योजना आयोग और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक योजना तैयार की गई है और यह घोषित कर दी गई है। इस योजना के अनुसार जिन नये एककों का अचल पूंजी विनियोजन 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनको अचल पूंजी विनियोजन के 1/10वें भाग के बराबर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ जिलों/क्षेत्रों को चुना गया है। इस योजना का ब्यौरा 26 अगस्त, 1971 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। केरल राज्य का अलैप्पी जिला इस सहायता को पाने का पात्र है।

देश के पिछड़े घोषित किये गये लगभग 200 जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए रियायती दर पर वित्त प्राप्त है। केरल के निम्नलिखित जिले इस रियायत को प्राप्त करने के पात्र हैं :

अलैप्पी, त्रिवेंद्रम कैनानूर, त्रिचूर और मालापुरम।

इसके अलावा, सरकार पिछड़े हुये विभिन्न क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं भी चल रही हैं। इनमें केरल के अलैप्पी और कोजीकोड जिले भी शामिल हैं।

यह आशा है कि उद्यमी और राज्य के अभिकरण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन सुविधाओं/रियायतों का लाभ उठायेंगे और केरल के पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

"बिहार में किसानों के पास कच्चे पटसन का स्टाक जमा होने का समाचार"

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, I call the attention of the Minister of Foreign Trade to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported piling up of raw jute stocks in Bihar."

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : जैसा कि सदन को विदित ही है कि हाल ही से बिहार में (उत्तरी बंगाल और आसाम में भी) आई अभूतपूर्व बाढ़ों के फलस्वरूप उत्पादक केन्द्रों से अधिकांशतः कलकत्ता स्थित उपभोक्ता मिलों तक रेल से पटसन ले जाने का काम काफी समय से अस्त-व्यस्त हो गया है। देहाती केन्द्रों में उपलब्ध स्थान के व्यापारियों तथा मिलों द्वारा ले लिये जाने पर वहां भंडारण स्थान की अत्यधिक कमी होने से और हाल की बाढ़ों से रेल मार्गों की दशा बिगड़ने के फलस्वरूप बिहार से रेल बुकिंग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से बिहार में तेजी से भंडार जमा हुये हैं। इस प्रकार बिहार के केन्द्रों में भारी परिमाण में कच्चा पटसन जमा हो गया है।

2. इस मौसम में पटसन की खरीदारी पर प्रभाव डालने वाली असामान्य परिस्थितियों के रहते हुये भी भारतीय पटसन निगम ने बिहार में माल खरीदना शुरू कर दिया है। बिहार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके निगम द्वारा पूर्णिया, सहरसा तथा चम्पारन के जिलों में

विभिन्न बाजारों में 11 स्थानीय खरीद केन्द्र खोले जा चुके हैं और एक सप्ताह के अन्दर दरभंगा में भी चार से पांच केन्द्र खोले जाने हैं।

3. निगम बिहार में लगभग 15,000 मन पटसन खरीद चुका है और दिसम्बर, 1971 तक 5 लाख मन की कुल मात्रा खरीदने की आशा करता है।

4. निगम, रैकों के आवंटन तथा संचलन संबंधी सुविधाओं के मामले में रेल प्राधिकारियों से निरंतर सम्पर्क भी बनाए रहता है। ऐसी आशा है कि रेल संचलन सम्बन्धी सुविधाओं के सामान्य होने पर मिलों तथा निगम के लिए सभी संचित भंडार खरीदना संभव हो जाएगा और साथ ही समर्थन स्तरों पर अथवा उससे ऊंचे स्तरों पर पटसन की कीमतें बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सरकार, बिहार में चल रही स्थिति पर पूरी निगरानी रख रही है।

5. मैं यह स्वीकार करता हूं कि बिहार के गरीब पटसन उपज-कर्ताओं को वास्तव में भारी आघात पहुँचा है और उनके बारे में हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये और तत्काल ध्यान देना चाहिए।

Shri Bibhuti Mishra : I thank the hon. Minister for accepting the truth that jute growers of Bihar are facing hardships and Government is trying to ease the situation. Before assuming the office of Minister, the hon. Minister used to plead for the cause of jute growers but now he is not giving due attention to their cause.

It is a fact that jute crop has been hit badly by these floods and its production has been reduced to 7 or 8 maunds per standard acre. The prices of cash crops like jute, and sugarcane in North Bihar have gone down. The price of jute has gone drown from rupees 65 to rupees 53 in Calcutta. Even its transportation to Calcutta has been held up. In case a crop is destroyed, you can well imagine the plight of poor farmers. It has been accepted by "Economic Times" that 25 to 30 lakh maunds of jute is in North Bihar. It has been stated by the hon Minister that by December, Corporation will purchase 5 lakh maunds of jute. In such circumstances, how the balance 25 lakh maunds of jute will be disposed of ?

There was no railway booking during the month of August. September and October. During this time big traders have purchased jute at low rates and now they are hoarding it.

It was decided to set up four jute mills in North Bihar. What happened to the proposal ? Is Government supporting the Mill-owners ? It has been stated in "Economic Times" that the Government has not entered into the market.

Mr. Speaker : I would request the hon. Member to ask direct questions. He should not make a speech.

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know whether Government is taking any steps to set up a jute factory in Bihar to remove the difficulties of jute growers ? May I know if the Government is having any plan under which the profit earned by big jute traders is shared by the jute growers also. May I know if Government is contemplating to nationalise jute trade and to provide the facilities of cotton trade to jute trade also ?

Shri L. N. Mishra : Mr. Speaker. Sir, I am in agreement with hon. Member in many things said by him. But the very first thing which I want to say is that 30-40 lakh bales of jute is not the production of Bihar. The jute production of Bihar was 10,28,000 bales in 1967-68, 4,80,000 bales in 1968-69 and it is 7,99,000 bales this year. That means the total production is about 8 lakh bales. We want to purchase 5 lakh maunds of jute through our Corporation which is just entering the field. It has been rightly said by the hon. Member that in Norrh Bihar, Assam and Tripura, farmers have not got the full

price of their jute produce. But we are contemplating to introduce statutory price control for jute. We want to fix minimum price of jute and then those who violate that, will be punished under Essential Commodities Act. It has been rightly said that most of the Bihar jute is sent to Calcutta But it is not correct to say that in Bihar there is no jute Mill. Bihar has got three old jute mills. Just day before yesterday, we have formed a Committee under the Chairmanship of jute Commissioner which is shortly visiting Bihar. The Government is contemplating to take over these three mills. At the same time Government has agreed to the proposal of new mill in principle. This new mill will be of a higher capacity and larger size. The experts will decided about the place, where this mill will be set up.

He has rightly stated that the chain of middlemen is very long and these people earn huge profits. But at the same time I want to add that the other reason for rise in price of Jute is that we are exporting raw Jute to Russia. I think, I have covered all the points raised by the hon. Member...

Shri Bibhuti Misra : Are you going to nationalise jute industry ?

Shri L. N. Misra : At present, we are not having any plan to nationalise jute industry.

श्री हरि किशोर सिंह : बिहार में पटसन का उत्पादन करने वालों की कठिनाईयों के प्रति मंत्री महोदय ने जो रुचि दिखाई है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने बिहार में पटसन का जो आधुनिक कारखाना बनाने का निर्णय लिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परन्तु मैं मंत्री महोदय से केवल यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिए पटसन का पारिश्रमिक मूल्य क्या है ? क्या सरकार ने इस मूल्य का अनुमान लगाया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या यह सच है कि जैसा कि श्री मिश्र ने उल्लेख किया कि कच्चे पटसन की कीमतों में 10 से 15 रुपये तक की कमी हो गई है ? यदि हाँ, तो सरकार इसके बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या यह ठीक है कि कलकत्ता के बाजारों में कच्चे पटसन के मूल्य बहुत अधिक हैं जिससे कि पटसन उद्योग के बारे में भारी चिन्ता फैल गई है ? मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार में पटसन के भण्डार की क्षमता थोड़ी है, तो फिर क्या सरकार वहां अधिक बड़े भण्डार बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

बिहार में आई बाढ़ों और यातायात के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए, क्या सरकार द्वारा समर्थन मूल्यों को इस वर्ष 42.50 रुपये प्रति मन की दर से बढ़ा कर 50 रुपये प्रति मन कर दिया जायेगा ? इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या पटसन कारखानों को अधिक सक्षम बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक पारिश्रमिक मूल्य का सम्बन्ध है, उसके बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि उस का निर्धारण कृषि मूल्य आयोग द्वारा किया गया है। गत वर्ष उसने 40 रुपये प्रति मन के मूल्य की सिफारिश की थी जबकि इस वर्ष इसे 42½ रुपये प्रति मन निश्चित करने की सिफारिश की गई है। परन्तु फिर भी हम पटसन के उत्पादन मूल्यों के बारे में फिर विचार करेंगे।

माननीय सदस्य महोदय ने दो परस्पर विरोधी बातें कही हैं। एक ओर उन्होंने पटसन के मूल्यों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है तो दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा है कि कलकत्ता में पटसन के मूल्य बहुत हैं और उसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जब समर्थक

मूल्य निर्धारित किये जाते है, तो मूल्यों में वृद्धि भी हो सकती है और यह मूल्य समर्थक मूल्यों से अधिक भी बढ़ सकते हैं। यह ठीक है कि कलकत्ता में पटसन का मूल्य ७० रुपये प्रति मन है। हम स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, इस प्रश्न पर पुन: विचार किया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हमारी पटसन मिलें बहुत पुरानी हैं और उनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। हमने पटसन मिलों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई हुई है और उसके लिए मिलों की आवश्यक विदेशी मुद्रा तथा आसान ऋण देने की पेशकश भी की गई है। यह मिल मालिकों पर निर्भर करता है कि वह इस सुविधा का कितनी जल्दी लाभ उठाते हैं।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : Mr. Speaker, sir, it is a pity that although hon. Minister hails from Bihar, still he is not paying proper attention to the miseries of jute farmers of Bihar. These farmers are suffering from two sides. Firstly they are victims of natural calamities and secondly they are being deprived of railway traffic facilities. I would like to know from the Govrrnment whether there is any plan to provide, special wagon trains to Bihar on top priority as desined by Chairman of Jute Association of Calcutta ?

May I also know if Government will export jute to other countries besides U.S.S.R. and whather this export will be conducted by Jute Corporation of India solely or through State Trading Corporation or though a joint agency of both the Corporations ?

May I know whether the prices of jute in up-country areas very low and in Calcutta the prices are very high ? What concrete steps are being taken by the Government in this regard ?

Shri L. N. Mishra : I would like to assure the hon. Member that every effort is being taken to provide railway wagons for the quick movement of jute stocks to Calcutta. As regards the export of jute to U.S.S.R., I have already stated that besides U.S.S.R., we will export jute to free currency areas of Western Countries also. So far as the question of export through S.T.C. and private houses is concerned, we will try to encourage S.T.C. but at the same time there will not be any restriction on private houses. The 90 per cent of export in this country is carried by private houses who have established a lead in it.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में पटसन इकट्ठा हो गया है, उसमें पटसन के मूल्य क्या हैं और गत वर्ष में वहां पटसन के मूल्य क्या थे। जब रेलवे लाइनों की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या सरकार सड़क परिवहन द्वारा पटसन के यातायात की कोई व्यवस्था करेगी। जो पटसन उत्पादक अपने पटसन को बेचने में असफल रहे हैं, क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ अग्रिम धनराशि दी जायेगी ताकि पटसन खरीदने वाले लोग उनकी असमर्थता का अनुचित लाभ उठाकर, उनका शोषण न कर सकें।

श्री एल० एन० मिश्र : आसाम और बिहार के गांवों में पटसन का मूल्य इस वर्ष 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक चल रहा है। आसाम के मुख्य मंत्री महोदय ने मुझे बताया है कि आसाम में पटसन का मूल्य 22 रुपये प्रति मन है। परन्तु अब स्थिति में सुधार हो गया है और अब यह मूल्य 30 रुपये प्रति मन हो गया है। पिछले वर्ष इसके मूल्य क्या थे, इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहां तक सड़कों द्वारा पटसन भेजने का सम्बन्ध है, अभी ऐसा कोई संगठन हमारे ध्यान में नहीं हैं जिससे कि इसे भेजा जा सके। बाकी जहां तक उन लोगों को

अग्रिम धन देने का प्रश्न है, उसके बारे में मैं यही समझता हूँ कि निगम उन लोगों की समस्याओं की ओर उचित ध्यान देगा और पटसन उत्पादकों की कुछ न कुछ सहायता की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या यह सत्य नहीं है कि बिहार या कुछ अन्य क्षेत्रों में पटसन के मूल्य इस वर्ष केवल पिछले वर्षों के मूल्य से ही कम नहीं है अपितु कृषि मूल्य आयोग द्वारा जिन समर्थन मूल्यों का निर्धारण किया गया था, यह मूल्य उससे भी कम हैं? मन्त्री महोदय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इस वर्ष पटसन का मूल्य 20 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति मन है जबकि इसका व्युत्पन्न मूल्य 42.50 रुपये प्रति मन है जोकि उससे काफी अधिक है। क्या पटसन निगम का उद्देश्य मूल्यों को गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में पटसन खरीदने का नहीं है ताकि समर्थन मूल्य को बनाये रखा जा सके? मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि पटसन का उत्पादन करने वाले गरीब किसानों को शोषण से बचाने के लिए सरकार को और कितने वर्ष का समय लगेगा? इस वर्ष वैध या अवैध रूप से बंगला देश से भी काफी पटसन आया है और कलकत्ता में पटसन मिलों के मालिक इस वर्ष लाभ से अपने हाथ रंग रहे हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि पटसन उत्पादन करने वाले किसानों और मिलों में काम कर रहे श्रमिकों के कारण ही उन्हें यह लाभ हो रहा है तो क्या सरकार इस लाभ में इन लोगों को भी भागीदार बनाने की कोई व्यवस्था करेगी? यदि पटसन का उत्पादन करने वालों के लिए कुछ नहीं किया गया, तो एक समय आयेगा जबकि पटसन बाजार में काफी मंदा आ जायेगा? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की कई बातों से सहमत हूं। यह बता निर्विवाद सत्य है कि पटसन पैदा करने वाले किसानों और मिल मालिकों के मध्य कई बिचौलिये होते हैं और उनके द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है। इसी लिए तो पटसन निगम की स्थापना की गई है। हमें आशा है कि रुई निगम की तरह ही पटसन निगम भी पटसन पैदा करने वालों के लिये काफी लाभदायक सिद्ध होगा। यह ठीक ही है कि पटसन की खरीद मिल मालिकों के एजेन्ट करते हैं।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि इस कार्य को कितने वर्ष लगेंगे। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहता हूँ कि एक ही वर्ष में स्थिति काफी सुधर गई है और इसे हम शीघ्र से शीघ्र और सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। बंगला देश से आने वाले पटसन के बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। मैं इतना अवश्य जानता हूं कि प्रत्येक वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी पूर्वी बंगाल से पटसन आया है। परन्तु मुझे यह मालूम नहीं कि वहां से कितना पटसन आया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इस वर्ष असाधारण परिस्थितियों के कारण मिलें असाधारण लाभ कमा रही हैं तो क्या इस लाभ का कुछ अंश पटसन पैदा करने वालों और पटसन मिलों में काम करने वाले मजदूरों को भी दिया जायेगा?

श्री एल० एन मिश्र : आप का विचार तो बहुत अच्छा है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय टेलीग्राफ (तेरहवां संशोधन) नियम, 1971

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : मैं भारतीय टेलीग्राम अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय टेलीग्राफ (तेरहवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1405 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 1185/71.]**

मैसूर राज्य पुलिस सेवा (भर्ती) (तीसरा संशोधन), 1971

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं, मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत मैसूर राज्य पुलिस सेवा (भर्ती) (तीसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो मैसूर राजपत्र. दिनांक 5 अगस्त 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 234 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1186/71.]**

Annual Report of the trade Mark Registry

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : I lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Trade Marks Registry for the year ending the 31st March, 1971, under section 126 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958. [*Placed in Library, see* No. L. T. 1187/71.]

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सातवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो 30 नवम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री समर गुह (कन्टाई) : प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर यहां पर भी चर्चा होनी चाहिये। राज्य सभा में उस पर चर्चा हो चुकी है परन्तु हमें उस पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया जा रहा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्णय कर लिया गया है कि 12 तारीख तक अध्यादेश पास कर लेने के पश्चात उस वक्तव्य पर चर्चा की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो 30 नवम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नियम 377 के अधीन विषय

MATTER UNDER RULE 377

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : समाचार पत्रों के समाचारों से हमें ज्ञात हुआ कि वेतन आयोग ने, महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में सरकार की सिफारिश की है कि 1250 रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को 8 से 20 रुपये प्रतिमास तक अतिरिक्त अन्तरिम सहायता दी जाये। हालांकि यह जरूरी नहीं था फिर भी सरकार ने यह मामला वेतन आयोग को निर्देशित किया था। अब जब कि वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश कर दी है, वित्त मन्त्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

वेतन आयोग द्वारा तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये सिफारिश की गई राशि के प्रति मैं अपना असन्तोष प्रकट करता हूं। आठ रुपए की यह राशि पूर्ण तथा अपर्याप्त है। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस निर्णय का पुनरीक्षण करके इन कर्मचारियों को इससे अधिक राशि प्रदान करेगी। ऐसे निर्णय का सरकारी कर्मचारियों द्वारा सर्वत्र स्वागत किया जायेगा। सरकार को चाहिये कि बकाया राशि की अदायगी भी भविष्य निधियों में जमा करने के स्थान पर नकद रूप में करे। वित्त मंत्री को आज या कल इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

संविधान (25वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (TWENTY FIFTH AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान (25वां संशोधन), विधेयक, 1971 पर आगे चर्चा करेंगे। इस पर आज शाम 6.30 बजे तक चर्चा समाप्त करनी है अतः आज सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित नहीं होगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस विधेयक के अन्तर्गत जिन दो बातों की व्यवस्था की गई है मैं उनका समर्थन करता हूं। पहली बात तो यह है कि राज्य को अधिकार हो कि वे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी भी सम्पत्ति का अर्जन कर सके और उसके लिए बाजार-मूल्य देना आवश्यक नहीं होगा, दूसरी बात यह है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत विशेष रूप से आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण तथा समाज के आर्थिक संसाधनों के वितरण के सम्बन्ध में, दिखावे मात्र नहीं रहने चाहिएं।

परन्तु इतना अवश्य कहा जाएगा कि वर्तमान रूप में इस विधेयक के अन्तर्गत सामाजिक

न्याय की कमी है। इसके अनुसार छोटे और बड़े दोनों को एक समान माना जायेगा और यह घोर अन्याय है। इसके अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग और शैक्षिक संस्थाओं को भी संरक्षण की आशा नहीं रखनी चाहिये। मेरी राय में समाजवाद का अर्थ है छोटे, निर्धन वर्गों के प्रति विशेष व्यवहार और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह समाजमाद के अनुरूप नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 31-ग में लोक तन्त्री समाजवाद नहीं है अपितु लोक-तन्त्र रहित समाजवाद है। यह सब एक प्रकार का दलवाद है।

इस विधेयक में कुछ विशेष बात नहीं है और नाहीं हमें देश के कर्णधारों से ऐसी कोई आशा करनी चाहिए। समाज के पुनर्गठन के बारे में सुन्दर-सुन्दर शब्द कहे जाते हैं। इससे अधिक की आशा व्यर्थ है। कितनी बिडम्बना है कि अनुच्छेद 31-ग में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 और 43 का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें आजीविका के अधिकार और उचित वेतन के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। लोगों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिये और उनके जीवन की न्यूनतम मूल आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। विधि मंत्री ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन लाने के विचार से अनेक विधान प्रस्तावित हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि समाजवाद हमारे सोचने का रूप नहीं बल्कि हमारे कार्यों का रूप है। उस दिशा में दिए गए कार्यों का महत्व अधिक है न कि कही गई बातों का। अतः इस विधेयक में कोई नई बात नहीं है। भूतकाल में अनुच्छेद 31 में किए गए संशोधनों से इस बात की पुष्टि होती है कि लोक नीति का लक्ष्य सदैव यह रहा है कि भारी सामाजिक कीमत चुकाए बिना लोक प्रयोजनों की पूर्ति हो।

इस विधेयक में उस प्रकार की कोई क्रांतिकार बातें भी नहीं हैं जिस प्रकार की बातें बताई गई हैं। प्रस्तावित संशोधन के द्वारा सम्पत्ति के बारे में संवैधानिक संरक्षण तथा गारंटी को नहीं छीना गया है। लोक उद्देश्य के सिवाय सम्मत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। अर्थात लोक उद्देश्यों को छोड़कर सम्पत्ति किसी अन्य उद्देश्य से अधिगृहीत नहीं की जा सकती और यह अधिग्रहण भी कानूनी अधिकार से ही हो सकता है। फिर भी यदि किसी को सम्पत्ति से वंचित किया जाता है तो उस के लिए कीमत दी जायेगी और यह कीमत बिल्कुल अनुचित कीमत नहीं हो सकती।

एक बात जो बहुत जोर से कही जा रही है वह यह है कि "क्षतिपूर्ति" शब्द के स्थान पर "राशि" शब्द का प्रतिस्थापन किया जा रहा है। परन्तु इस बात का तो कहीं पर भी उल्लेख नहीं कि यह 'राशि' बाजार मूल्य से कम राशि होगी। सत्तारूढ़ दल की सुविधा के अनुसार यह राशि कुछ भी हो सकती है। अतः यह विधेयक कोई ऐतिहासिक अथवा क्रांतिकारी कदम नहीं है।

विधि मंत्री ने यह ठीक ही कहा है कि न्यायालयों से उनके क्षेत्राधिकार छीनने के लिए हम विधायी कार्यवाही के बावजूद भी उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। संसद को जहां संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की असीमित शान्ति प्राप्त है, उसी प्रकार न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की असीमित शक्ति प्राप्त है। और यदि न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सीमित नहीं किया जा रहा तो फिर इस सारी प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है। सरकार क्यों यह आक्षेप लगवा रही है कि इस प्रकार के कार्यों द्वारा सरकार नागरिक स्वतन्त्रताओं को समाप्त कर रही है?

प्रश्न यह है कि आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण तथा समाज के अर्थ संसाधनों का वितरण न्यायालयों द्वारा लोक प्रयोजन नहीं समझा जायेगा। तो क्या अनुच्छेद 31(2), अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) को लागू करने के उद्देश्य से सम्पत्ति से वंचित करने के मामलों पर लागू नहीं होगा ? यह एक मौलिक प्रश्न है अत: विधि मंत्री को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अनुच्छेद 31(ग) के संशोधित रूप से यह अभ्यास होता है कि समाजवाद और लोकतंत्र में अन्तर्विरोध अथवा मतभेद है। हम समाजवाद को सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र का विस्तार मानते हैं। हमारे अनुसार समाजवाद लोकतंत्र का केंद्र है। अत: लोकतंत्री समाजवाद में विश्वास करने वाला यह समझता है कि मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कोई अन्तर्विरोध नहीं है। और यदि हम इन दोनों में समन्वय नहीं ला सकते तो हमें अपने आपको लोकतंत्री समाजवादी रहने का कोई अधिकार नहीं है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी विधान को पास करने के लिये दो तिहाई बहुमत का उपबन्ध आवश्यक है। जो कुछ विशेष प्रक्रिया के अनुसार दो तिहाई बहुमत से पारित होना अपेक्षित है वह साधारण बहुमत में पारित नहीं किया जा सकता ये संविधान के अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही हो सकता है।

छोटे जोतदारों और अल्पसंख्यकों को केवल मात्र मौखिक आश्वासन देने से काम नहीं चलने वाला। छोटे लोगों, छोटे जोतदारों व अल्पसंख्यकों के मन में आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। ये आशंकाएं दूर करने के विचार से हमारे दल ने विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : My reaction to this measure would have been different had it been brought forward to clear the legal lacuna created by Supreme Court's decision in Bank Nationalization Case. We can not accept a situation wherein Government in forced to pay cent percent compensation for the acquisition of property. If such a preposition is agreed to, them the purpose of aquisition does not hold good. But we have to differentiate between the property of a small man and the property of a big landlord a capitalist. Government should therefore fix a specific ceiling and provide for in this Bill that in case such a property is acquired, be it in rural area or urban area, compensation at the market rate would be payable. Almost all States have already fixed ceilings in land holdings. Similarly, ceilling can be fixed for urban property also.

Had it merely been to clearly the legal lacunae created by Supreme Court judgement, there was no need for bringing forward Article 31 C. But the objectionable part is that which curtails fundamental rights of citizens in the name of implementing Directive Principles of State Policy.

Constitution makers gave preference to Fundamental Rights over Directive Principles. Citizens could seek help of the court against the State in order to sefeguard their fundamental rights, whereas Directive Principles were not justiciable.

Directive Principles are gaining precedence over the Fundamental rights. I do not object to this. But I am unable to understand as to why fundamental rights are being attached for the implementation of Article 39 (B) and (C).

Law Commission has suggested that if government want to implement two directive principles—Article 39 (B) and (C)—than the inclusion of 19 (I) (f) and (c) is sufficient. Other fundamental rights should not be touched Government have not been able to make it clear as to what it actually want. They have also not been able to assure that they want to take the powers only according to the need of the time. The Press Bill shows in which direction the mind of the government is working.

Law Minister says that this Bill will open the path towards the reorientation of

economic and social structure. Was this path blocked upto this time ? Who was responsible for the implementation of the provisions of the Constitution during the last 23-24 years ? It is not correct to say that courts have always come in the way of economic and social changes. Land reform measures cannot be challenged in the court ? What is being done in that direction. Actually, it is a question of bringing a change in human beings and not in the Constitution. The Minister said that government will take active part in trade. It means the officers, the bureaucracy which is inefficient and corrupt and do not have any interest in the well being of the people, will interfere at every step. All these steps are for strengthening the ruling party.

Even to-day ten applications are pending in the Ministry of Shri I. K. Gujral for the construction of multi-storeyed buildings.

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : It is not correct, I challenge him. If he proves it I shall resign.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I accept the challenge.

We shall have to being about a balance between individual liberty and economic equality. Individual rights and public interests should go side by side. This Bill is taking more powers, which are not required and there is every possibility of their misuse. There in no need to touch all the fundamental rights.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : जिस रूप में यह विधेयक पेश किया गया है हम उसका समर्थन करते हैं। पर इसमें बाद में किए गए संशोधनों का नहीं। हमारी यह इच्छा है कि संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) में दिये गये निदेशक सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिये संविधान में ईमानदारी से और कारगर रूप से संशोधन किया जाये और वर्तमान विधेयक को एक दृढ़ और पक्का तथा स्वस्थ आधार पर लाया जाये।

प्राय: यह कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय कानून की व्याख्या करता है। पर संसद को तो लोगों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। जनता की इच्छा के अनुसार ही एक देश का कानून होना चाहिए और वही बनाने के लिये हम यहां हैं। अब यह जिम्मा सरकार के मसौदा बनाने वाले विभाग का है कि वह उसे उचित रूप दे।

इस विधेयक से किसी प्रकार से सम्पत्ति के अधिकार को कम करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यह तो केवल सम्पत्ति के एकाधिकार पर अंकुश लगाना है। हमारे सम्मुख प्रश्न सम्पत्ति के अधिकार अथवा मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन का नहीं है अपितु संविधान में दिये गये निदेशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन का है।

यह आशंका प्रकट की गई है कि इस सभा द्वारा संशोधन पारित होने के बाद सभी सम्पत्तियों को अधिकार में ले लिया जायेगा। पर इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि सभा में बैठे अधिकांश सदस्यों तथा बाहर भी लाखों लोगों के पास ज्यादा सम्पत्ति नहीं है। यदि कोई चीज छोड़नी पड़ेगी तो वह होगी कठिनाइयां, गरीबी और दिक्कतें। ब्रिटेन और फ्रांस में भी सम्पत्ति का अधिकार नहीं है।

यह कहा गया है कि इस प्रकार हम साम्यवाद की ओर जा रहे हैं पर वहां भी जैसे रूस में भी निजी सम्पत्ति का अधिकार है।

हमारा मुख्य ध्येय भारत के करोड़ों लोगों में विद्यमान गरीबी को दूर करना है और वह उत्पादन की गति को बढ़ा कर ही दूर की जा सकती है। विश्व भर में यह सिद्ध हो चुका है कि

जब तक हमारा वितरण ठीक नहीं होता तब तक चाहें कितना उत्पादन किया जाये, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। अतः यदि हम लोकतन्त्र बनाए रखना चाहते हैं तो अर्थ-व्यवस्था को लोकतांत्रिक आधारों पर गठित करना पड़ेगा। जब तक उत्पादन दर नहीं बढ़ाई जाती तथा विकास साधनों का समान वितरण नहीं किया जाता तब तक देश की निर्धनता दूर नहीं हो सकती। और जब तक अनुच्छेद 39(ख) और (ग) के अनुसार समान वितरण नहीं होता तब तक निजोजित अर्थ-व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता और हमारे निर्धन तथा करोड़ों भूखे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने 25 साल तक प्रतीक्षा की है और यदि उनको दी गयीं आशाओं को पूरा नहीं किया गया तो स्थिति संसद तथा न्यायालयों के बश से बाहर हो जायेगी और वे इस सदन और न्यायालयों पर धावा बोल देंगे। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार के लिए यही एक सही कदम होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

मैं सत्तारूढ़ दल के न्यायिक बैंच अर्थात् एच० आर० गोखले, सिद्धार्थ शंकर राय और एस० कुमारामंगलम से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि वे इस मामले में पीछे क्यों हट रहे हैं। जनता ने उनका समर्थन किया है। विरोधी पक्ष के सदस्य भी अब इसका समर्थन कर रहे हैं।

मैं अल्पसंख्यकों सम्बन्धी संशोधन पर कुछ बोलना चाहता हूं। जहाँ तक भाषा का संबंध है, यहां मैं स्वयं अल्पसंख्या में हूं। उस मामले में प्रत्येक व्यक्ति अल्पसंख्या में है यहां तक कि श्री वाजपेयी भी अल्पसंख्या में हैं क्योंकि वे भी अल्पसंख्यकों की भाषा बोलते हैं—सबसे बड़े अल्प-संख्यकों की भाषा। मैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

दूसरा प्रश्न दो तिहाई बहुमत के सम्बन्ध में है। यह संवैधानिक संशोधन नहीं है और इसके अधीन लाया गया कोई विधेयक भी संवैधानिक नहीं हो सकता। जब कभी भी आप कोई संशोधन या नया विधेयक लाते हैं तो वह संविधान की इस व उस धारा के अधीन ही लाया जा सकता है अन्यथा यह अवैध होगा। इन सब ऐसे कानूनों के लिये दो तिहाई मत जरूरी होते हैं। संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके लिए दो तिहाई मत की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणतः धारा 3 के लिए साधारण बहुमत प्रर्याप्त होता है। धारा 31 के अधीन हर कार्य के लिए आप दो तिहाई मत पर जोर दे रहे हैं। यह कानून की एक खतरनाक व्यवस्था है जिसे वापिस लिया जाना चाहिये।

कानून एक जीवन्त दस्तावेज है जो लोगों को जीवन देता है। कानून को दलित लोगों को सुरक्षण प्रदान करना चाहिये। यह लोगों के लिए आंतक न बने। निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से प्रेरित यह विधेयक भारत के संवैधानिक इतिहास में अपना स्थान रखता है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ।

श्री धरनीधर दास (मंगलदायी) : मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि यह संविधान 20 वर्ष पुराना है। यह संविधान अथवा इस के कुछ अध्याय मूल नहीं हो सकते। सामाजिक परिवर्तन और प्रगति के मूल कानूनों द्वारा ही समाज आगे बढ़ रहा है। यह संविधान एक बड़ी राष्ट्रीय क्रान्ति का परिणाम है, जिसका नेतृत्व महात्मा

गांधी तथा श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। समाजवाद का विचार आजादी से भी पहले देश के सामने लाया गया था। लेकिन समाजवाद को लागू करने में क्या-क्या मुख्य बाधाएं हैं? निजी सम्पत्ति का अधिकार ही मुख्य बाधा है। लेकिन मूल प्रश्न तो यह है कि 'सम्पत्ति' की परिभाषा क्या है? गांधी जी के अनुसार श्रम ही चालू मुद्रा है। एक पूंजीवादी अर्थशास्त्री के अनुसार सम्पत्ति व पूंजी श्रम की पैदावार है।

समाजवाद क्या है? समाजवाद उस समय तक निरर्थक है जब तक उत्पादन और वितरण के साधनों का समाजीकरण नहीं किया जाता। विचारणीय प्रश्न यह है कि सम्पत्ति के अधिकार को रखना चाहिए या इसे हटाया जाना चाहिए। समाजवाद में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को कहना चाहिये कि सम्पत्ति के अधिकार को हटाया जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह सरकार गरीबी को दूर नहीं कर सकी। सम्पत्ति का अधिकार ही गरीबी का मुख्य कारण है। सम्पत्ति के इस अधिकार द्वारा 90 प्रतिशत लोग इस अधिकार से वंचित हैं। सम्पत्ति के इस अधिकार द्वारा एक प्रतिशत लोग ही सम्पत्ति का सचय कर सके हैं। सम्पत्ति का कुछ हाथों में रहना उस समय तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि समाजवाद द्वारा उत्पादन और वितरण की वर्तमान प्रणाली समाप्त नहीं की जाती। यह विधेयक जन आकांक्षाओं से प्रेरित है। यह समय की मांग का परिणाम है। यह मांग समाजवाद लाने तथा उत्पादन और वितरण के निजी स्वामित्व को समाप्त करने पर आधारित है। यह विधेयक क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : यह विधेयक संवैधानिक दृष्टि से सही आर्थिक दृष्टि से अनिवार्य तथा राजनैतिक दृष्टि से उचित है। विरोधी दलों के कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में कुछ कमियां बताई हैं। सरकार समय-समय पर हर महत्वपूर्ण मामलों में विरोधी दल के तेताओं से परामर्श लेती आ रही है। हम हर महत्वपूर्ण नीति तथा सैद्धान्तिक मामले में विरोधी दलों से सहमत नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी विरोधी दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए, जिसका हम विशेष ध्यान रखते आ रहे हैं। कठिनाई यह है कि कुछ सदस्य जानबूझ कर हमारी निन्दा करने पर तुले रहते हैं जिनमें से श्री समर गुह भी एक हैं। हमारे विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं कि हम संविधान को नए ढंग से बना रहे हैं और धारा 31 में निर्दिष्ट मूल सिद्धान्तों में परिवर्तन कर रहे हैं हम धारा 31 में सचमुच परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम संविधान के मूल सिद्धांतों को परिवर्तित कर रहे हैं। संविधान को वर्तमान धारा 31 पहले संविधान के प्रारूप की धारा 24 थी। काफी चर्चा-परिचर्चा के पश्चात् धारा 24 पारित की गई, जो बाद में धारा 31 बनी। पंडित नेहरू ने इस धारा को पास करने के लिए पुरजोर दलीलें दीं।

11 दिसम्बर, 1971 को उच्चतम न्यायालय ने इस धारा में निर्दिष्ट मुआवजे के मामले में सरकार से अपनी असहमति प्रकट की। इस निर्णय ने सरकार को संविधान (चौथा संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए बाध्य किया। इस विधेयक का उद्देश्य मुआवजे के प्रश्न को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना था। चौथे संविधान (संशोधन) विधेयक के

पास होने पर संविधान में कहा गया कि न्यायालय मुआवजे के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते।

5 अक्तूबर, 1964 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुब्बा राव ने वजरावेलु मामले में एक आश्चर्यजनक निर्णय दिया जिसके अनुसार मुआवजे सम्बन्धी चौथे संविधान (संशोधन) विधेयक को गलत ठहराया गया और कहा गया कि संसद द्वारा चौथे संविधान (संशोधन) विधेयक को पास करने के बावजूद भी बाजार दर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।

निर्णय की अन्तिम चार पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका अभिप्राय यह है कि यदि संसद मुआवजा दिए बिना ही ऐसा कानून लागू करना चाहती थी तो उसे इस कानून में मुआवजे से अन्य शब्दों की व्यवस्था करनी चाहिए थी।

इस बार हमने सावधानी से काम लिया है और "मुआवजा" शब्द को ही उड़ा दिया है और उसके स्थान पर 'राशि" शब्द रखा गया है ताकि न्यायालयों को यह स्पष्ट हो जाये कि वे मुआवजे के बारे में अपना निर्णय नहीं दे सकते।

हम न्यायालयों के प्रति कोई कठोर शब्द प्रयोग में नहीं ला रहे हैं और न ही उच्चतम न्यायालय का अपमान करना ही हमारा उद्देश्य है बल्कि हम तो उच्चतम न्यायालय के अपने न्यायाधीशों को एक उच्चतम सम्मान के स्तर पर रखना चाहते हैं। हमने यह सुनिश्चय करने का प्रयास किया है कि उन्हें अपना निर्णय देते समय राजनैतिक दृष्टिकोण न देखना पड़े। यही इस विधेयक का अभिप्राय है।

फिर 5 सितम्बर, 1966 को धातु निगम के मामले में महान्यायाधीश सुब्बाराव ने बराबर का मुवावजा देने का निर्णय किया, तो 13 जनवरी, 1969 को शांतिलाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त धातु निगम मामले की उपेक्षा की तथा कहा कि हम मुआवजे के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते हैं और पहले के दो निर्णयों को बदल दिया। देश के लोग बहुत खुश थे और संसद ने संविधान में संशोधन करने का कष्ट नहीं किया। परन्तु बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में, मेरी समझ में पूरा निर्णय तो नहीं आया मगर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बाजार-मूल्य के आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। मगर कैसे ? यह हमें मालूम नहीं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर निर्णय से काफी भ्रामक नीति पैदा हो गई और निश्चय ही संसद के जिम्मेवार सदस्यगण कानून संबंधी ऐसी भ्रामक नीति को बनाये रखना नहीं चाहेंगे। इसीलिए यह विधेयक पेश किया गया है जिनसे कि कानून भलीभांति स्पष्ट रहे। इसीलिए शब्द "मुआवजा हटा दिया गया है और शब्द "राशि" इसके स्थान पर रख दिया गया है। दूसरे, धारा 39 (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत निदेशात्मक सिद्धांतों को क्रियान्वित किया जा रहा है। और इस प्रकार मुआवजा सम्बंधी हर अधिकार न्यायालयों से वापस लिया जा रहा है।

इस पर भी जनसंघ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रोधित होकर खड़े हो जायेंगे। उनके दल ने जो संशोधन पेश किया है उससे इस दल की सामाजिक दार्शनियता की पोल खुलती है। उनका कहना है कि तीन लाख से कम की सम्पत्ति का अधिग्रहण करते समय उसी के समान बाजार मूल्य जितनी राशि दी जानी चाहिये। उनका सुझाव है कि शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा कभी निर्धारित नहीं की जानी चाहिये। अब यदि किसी व्यक्ति के पास तीन लाख रुपये के

मूल्य से कुछ ही कम अर्थात 2.95 लाख रुपये के 20 शेयर हों तो सरकार को उसके शेयरों का अधिग्रहण करने के लिये इनका पूरा-पूरा बाजार मूल्य देना पड़ेगा। जनसंघ के संशोधन का यही अभिप्राय है और इस आशय के संशोधन पेश करने का इनका उद्देश्य भी यही लगता है कि वे छोटे-छोटे भूमिधारियों, दुकानदारों आदि के सामने सिर उठाकर जा सकेंगे। परन्तु वस्तुतः तो वे बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा एकाधिकारियों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों की रक्षा करना चाहते हैं जिनके पास विभिन्न नामों में इतने मूल्य के शेयर या सम्पत्ति होती है।

"लज्जाहीन" तो नहीं मगर हां "नाम-हीन" दल के नेता श्री श्यामनन्दन मिश्र हमारी नीतियों को इसलिए पसन्द नहीं करते क्योंकि वह हमें पसंद नहीं करते। और इसका कारण वह कभी भी नहीं बता पायेंगे। वह यहां इस समय उपस्थित नहीं हैं अन्यथा मैं उन्हें सलाह देता हूं कि जबकि वह अपना राजनैतिक चरित्र भी रख चुके हैं तो उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिये। उनके दल के तर्क अर्थहीन और राजनीति से भरे होते हैं।

स्वतन्त्र पार्टी के श्री पीलू मोदी हमें हमेशा चूहों की संज्ञा देते रहे हैं। यह दल बड़ा ही ऐश्वर्यमान दल है और शायद एक सभ्य दल भी है। मगर उनका आम लोगों से कोई संबंध नहीं है और न ही जनता की विचार धारा से उनका कोई संबंध है।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि यदि हमें अपने लोकतंत्र को स्थायी बनाना है तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी नींव एक मजबूत नींव हो। और इसीलिए हमने यह विधेयक पेश किया है। हम निश्चय ही सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हैं परन्तु जब जनता के हितों और सम्पत्ति के अधिकार के मध्य टकराव की स्थिति आती है तब स्पष्ट है कि लोक हित को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। हम सम्पत्ति की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। हम अपने लोगों को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां तक भी पहुँचना संभव हो सकता है ; हम अपने समान का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं और अपनी जनता की मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कृत-संकल्प हैं।

उपरोक्त शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री वी० के० कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : इस सभा में अधिकांश मत इस विधेयक के उद्देश्यों और इसकी भावनाओं का आमतौर पर स्वागत कर रहा है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे हड़बड़ाहट से पारित कर दिया जाये और इसकी उचित जांच भी न की जाये जोकि सर्वथा संभव है। श्री सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा है कि यदि कतिपय वस्तुयें सामान्य उपयोग में आती है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपने अधिकार में रखने का हक है तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि उन वस्तुओं के निर्माण अथवा व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता। यह सब सही है।

उपरोक्त चर्चा में मुख्यतः तीन बातें सामने आई हैं। पहली तो यह कि जब कोई व्यक्ति अदालत में मुकदमा हार जाता है तो पहले वह न्यायाधीश को दोष देता है और फिर बाद में वकील को भी दोषी ठहराता है। हर व्यक्ति सरकारी संरक्षण चाहता है और न्यायालयों का हस्तक्षेप तभी होता है जबकि कानून बनाने वाले अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ जाते हैं। यह विधान उच्चतम न्यायालय में कुछ मामलों पर ऐसे निर्णयों के फलस्वरूप लगाया गया है जिनके कारण सामाजिक उत्थान तथा समतावाद की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई थी। ये निर्णय भी परस्पर

भिन्न थे। उक्त निर्णयों से पूर्व यह समझा जाता था कि मूलभूत अधिकार निर्धन तथा पिछड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से रखे गये थे। परन्तु इनका कुछ प्रकार, स्वरूप सामने आया कि अब उनकी मात्रा का निश्चित होना भी महत्वपूर्ण हो गया।

अपने इस संशोधन विधेयक के पहले भाग में सरकार ने "मुआवजा" शब्द उड़ाकर उसके स्थान पर "राशि" शब्द रख दिया है और अब तो कानूनी सलाहकारों को ही देखा है कि उक्त संशोधन से उच्चतम न्यायालय संबंधी कठिनाइयों से किस सीमा तक बचा जा सकेगा। "राशि" शब्द विभिन्न कानूनों में विभिन्न ऊंचे रखेगा। सरकार हमें यह आश्वासन दे कि यह कानून और इस प्रकार की व्यवस्था अन-निर्देशित हाथों में नहीं जायेगी अर्थात इस शक्ति के प्राप्त होने के बाद भ्रष्टाचार और अन्याय के द्वारा नहीं खुलने दिये जायेंगे और सामान्य नागरिकों को पर्याप्त संरक्षण मिलता रहेगा।

दूसरे, मंत्री महोदय श्री गोखले ने न्यायालयों में सुधार लाने की बात कही है। यह गलत है। क्या न्यायालय कानूनों पर पुर्नविचार करेंगे। इसका अर्थ तो न्यायालयों को और अधिक शक्ति देना होगा। यदि विधान में कोई परिवर्तन करना है तो वह कार्य संसद का है। न्यायालय तो केवल उसका स्पष्टीकरण करते हैं। अतः न्यायालयों द्वारा पुनर्विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उक्त बात मंत्री महोदय ने अपनी ओर से नहीं कही बल्कि दूसरों का दृष्टिकोण स्पष्ट किया होगा।

हमारे इस विशाल देश में केवल उच्चतम न्यायालय ही एक न्यायालय नहीं है अनेक छोटे न्यायालय भी जनता के विश्वास को लेकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए मंत्रीगण द्वारा इस प्रकार की बातें कहना उचित नहीं होगा।

हमारे न्यायालयों को कोई पूजनीय आदर्श जैसा सम्मान प्राप्त नहीं है। मगर इसका अर्थ यह भी नहीं हो कि सामान्य लोग यह समझें, जैसा कि हमारे बड़े लोग भी कह रहे हैं, कि न्यायालयों का कोई महत्व नहीं है। न्यायिक व्यवस्था तो हर विचारधारा के समाज से सदा से चलती आई है और रहेगी।

मैं समझता हूं कि इस कानून के विधिवत् लागू होने के बाद सरकार यह सुनिश्चय करेगी कि लोगों के दिलों में इस कानून के प्रति ऐसी कोई सन्देह भावना न रहे कि इस कानून को किसी राजनीतिक उद्देश्य अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध दुर्भावना के लक्ष्य को लेकर प्रयोग में लाया जायेगा। इस कानून से यथोचित समानता तथा नैतिकता को ठेस नहीं पहुँचने दी जायेगी।

यह विधान बहुत ही आवश्यक है और हमारे संविधान में और आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे क्योंकि हमारा समाज विकसित होता जा रहा है। हालांकि हमारे संविधान रचयिताओं ने इसमें सभी प्रकार की व्यवस्थायें की थीं। परन्तु समय के बदलने के साथ-साथ परिस्थितियों में परिवर्तनों के फलस्वरूप हमारे संविधान में भी परिवर्तन होते ही रहेंगे यदि वे अच्छाई के लिए हों, चाहे बुराई के लिए।

जो स्कूल अल्पसंख्यकों के लिए है, उसकी विशेष स्थिति की बात तो अवश्य समझ में आती है किन्तु जो स्कूल किसी विशेष अल्प संख्यक समुदाय द्वारा चलाया जाता है उसकी विशिष्ट

स्थिति माने जाने की बात हमारी समझ में नहीं आती है। अब प्रश्न यह है कि क्या शिक्षण संस्थाओं के संबंध में इसमें विशेष उपबन्ध रखा जाये। इन तथाकथित अल्पसंख्यक समुदायों की संस्थाओं के पास अधिक सम्पत्ति है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि ये संस्थाएं अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बनाई गई हैं ये तो केवल अल्पसंख्यक लोगों की अवश्य हैं।

मैं संविधान में संशोधन का तो समर्थन करता हूं किंतु इसके लिए जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। इस संशोधन के समर्थन में यह भी बताया जा सकता है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप यह संशोधन आवश्यक हो गया है। किन्तु मेरे विचार से संविधान में से यदि कोई अर्ध विराम अथवा पूर्ण विराम हटा दिया जाए तो उससे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह भी है कि कानून की भी अपनी सीमायें होती हैं। कानून के प्रभावकारी नहीं बनाये जाने पर उसके परिणाम विपरीत भी हो जाते हैं। अतः इस सम्बंध में हमें सचेत रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री मेरी इन बातों पर विचार करेंगे तथा मंत्रियों को इतने विस्तृत अधिकार नहीं देंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान् समाजवादी दल संविधान के उपबन्धों में निहित मुआवजे से सम्बंधित उपबंध हटाने के सिद्धांत का पूर्ण रूप से समर्थन करता है। अब तो सम्पत्ति के अधिकार की भावना ही बदल गई है और मानवीय मूल्यों की पूर्ति के लिए अब सम्पत्ति का अधिकार अनिवार्य नहीं माना जाता है। सम्पत्ति के अधिकार के बारे में अब यह धारणा बन गई है कि यह सम्पत्ति एकत्र करने या श्रमिक वर्ग के शोषण के लिए यह अधिकार उपयोग में लाया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी देशों में भी अब यह पवित्र नहीं माना जाता है।

यह संविधान संशोधन विधेयक इस संसद के पहले सत्र में ही लाया जाना चाहिए था। यद्यपि यह विधेयक देर से लाया गया है फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं। किन्तु बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक और प्रिवीपर्स समाप्ति विधेयक जिस ढंग से लाये गये थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि कहीं यह एक अन्य राजनीतिक हथकंडा तो नहीं है।

श्री गोखले ने उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ गंभीर विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तनों के मार्ग में उच्चतम न्यायालय ने अनुरोध पैदा कर दिया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि राजनीतिक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक आधार पर ही निर्णय दिये हैं। इस सन्दर्भ में हमें यह समझ लेना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र में विधान पालिका और न्यायपालिका का क्या कर्तव्य होता है। विधानपालिका कानून बनाती है जबकि न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है क्या निर्णय देती है। कानून बनाते समय विधानपालिका किसी कानून विशेष में जो त्रुटियां छोड़ देती है, उन्हें यदि न्यायपालिका बता देती है, तो उसे क्यों दोषी ठहराया जाता है? अतः उच्चतम न्यायालय पर ऐसे आरोप लगाने से पूर्व गम्भीरता से यह सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा।

इस विधेयक का उद्देश्य बताते हुए यह भी कहा गया है कि इसका उद्देश्य देश के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाना है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना करना भी है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप किस प्रकार का समाजवाद लाना चाहते हैं— एकदलीय पद्धति पर आधारित मार्क्सवादी किस्म का समाजवाद या स्वातंत्र्य एवं लोकतंत्र

पर आधारित समाजवाद ? मेरे विचार से अब सरकार तथाकथित लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम पर एकदलीय पद्धति वाले समाजवाद के लिए द्वार खोल रही है। सच्चे समाजवाद की स्थापना के लिए दूसरी बात यह भी है कि आपको मौलिक अधिकारों और राज्य के निदेशक सिद्धांतों को समान स्तर पर मानना होगा। निदेशक सिद्धांतों की तुलना में मौलिक अधिकारों की उपेक्षा करने से समाजवाद का उद्देश्य पूरा न होगा। निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को संतुलित रखना होगा, उनमें समन्वय स्थापित करना होगा उनको समान स्तर पर लाना होगा, तभी देश में वास्तविक समाजवाद लाने की आशा की जा सकती है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों की अवहेलना करना खतरनाक ही होगा।

मुआवजे सम्बंधी व्यवस्था की समाप्ति के हम पक्ष में हैं किंतु यह भी बताया जाना चाहिए कि 'राशि' का निर्धारण किस आधार किया जायेगा। मेरे विचार से वे सिद्धांत स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिये जिनके आधार पर प्रस्तावित 'राशि' तय की जायेगी, ताकि राजनीतिक अवसरवादी उसका दुरुपयोग न कर सकें।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का विरोध दक्षिण पन्थी और वामपन्थी दोनों ही दलों के सदस्यों ने की है। दक्षिण पंथियों ने कहा है कि इससे लोकतन्त्र और सम्पत्ति के अधिकार को खतरा पैदा हो गया है वामपंथियों ने यह भी कहा है कि इसमें क्रांतिकारी कुछ भी नहीं है। इस विधेयक से सम्पत्ति के अधिकार को खतरा पैदा हो गया है, इस प्रकार की आलोचना मैं नहीं समझा कि किस के पक्ष में की जा रही है। किन व्यक्तियों का सम्पत्ति का अधिकार समाप्त किया जा रहा है ; ऐसे लोगों की प्रतिशतता क्या है ? हमारे देश में सम्पत्ति केवल दो प्रतिशत लोगों के पास है और शेष 98 प्रतिशत लोगों के पास सम्पत्ति है ही नहीं। अतः सम्पत्ति का अधिकार भी केवल दो प्रतिशत लोगों को ही मिलना चाहिए। हमारे देश के 98 प्रतिशत लोगों के पास इतना धन है ही कहां कि वे न्यायालयों में जायें। न्यायालयों में मामलों को केवल धनी लोग ही ले जाते हैं। क्या दो प्रतिशत लोगों के पक्ष में बोला जाये। हम इस विधेयक का समर्थन इस दृष्टि से कर रहे हैं कि इससे ऐसी प्रक्रिया शुरू हो गई है जिससे देश में व्याप्त निर्धनता समाप्त होगी। हमारे देश में निर्धनता के साथ साथ अन्ध विश्वास और रुढ़िवादिता भी व्याप्त है। समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इन बुराइयों को दूर करना होगा।

श्री श्याम सुन्दर महायात्र (बालासोर) : आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास को बदलने जा रहे हैं।

संविधान जनता के विचारों की प्रतिकृति होता है। हमारे संविधान के प्रणेताओं ने समाजवादी दृष्टिकोण को उस समय ध्यान में नहीं रखा था क्योंकि उनमें से एक भी व्यक्ति समाजवादी दृष्टिकोण रखने वाला नहीं था।

परन्तु आज 1971 में हम उस संविधान में संशोधन कर रहे हैं जो जनता को प्रजातांत्रिक समाजवाद प्रदान करेगा।

इस संशोधन से एक समस्या यह पैदा हो जायेगी कि जो समाजवाद आयोग जिसकी गाँधी जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

समाजवादी देशों में व्यक्तिगत अधिकारों और सम्पत्ति के बारे में सोचा गया है। मुआवजे

के बारे में सोचा गया है। सोवियत संघ के संविधान में आदमी द्वारा आदमी का शोषण करने को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। आज हम भी ऐसी ही अर्थ-व्यवस्था की नींव डालने जा रहे हैं जिससे इस प्रकार के शोषण की समाप्ति हो जाये।

यूगोस्लाविया के संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि सम्पत्ति का प्रयोग समुदाय के हितों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। परन्तु यदि हम अपने देश में देखें तो मालूम होता है कि आज भारत की समूची अर्थ-व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथों में है।

चीन में जहां आक्रमण स्वरूप का समाजवाद है वहां का संविधान देखिये। उनके संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि लोगों को रहने, कार्य करने और सम्पत्ति के अधिकार का संरक्षण दिया जायेगा। परन्तु वहां ये सब अधिकार छीन लिए गये हैं।

हमारे देश में न्यायापालिका भी पूंजीवाद दृष्टिकोण ही दर्शाती है। यदि न्यायाधीश श्रमिकों अथवा किसानों के लड़के होते तो उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन होता।

हम भारत के 55 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने हमें यहां भारी बहुमत से चुनकर भेजा है। हमें इस बात से कुछ नहीं लेना है कि पूंजीवादी लोगों के समाचार पत्र क्या कहते हैं। चाहे कोई सदस्य कुछ भी कहे अथवा कोई महाराजा कुछ भी कहे परन्तु हम इतना जानते हैं कि आज संविधान (संशोधन) विधेयक पारित हो जायेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : मैंने बहुत से माननीय सदस्यों और श्री सिद्धार्थ शंकर राय के भाषण सुने। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के बिना प्रगति संभव नहीं है? यदि समान सिविल संहिता इस विधेयक के लाये बिना लागू न की जाती, यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस विधेयक के बिना निशुल्क शिक्षा न दी जाती, यदि सरकार, नीति निदेशक सिद्धान्तों में उल्लिखित कृषि और पशु पालन का आधुनिकीकरण न कर पाती तो मैं इस विधेयक का अवश्य समर्थन करता।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

यह बड़े दुःख की बात है कि देश के संविधान में यह 25वां संशोधन किया जा रहा है, यद्यपि संविधान को बने केवल 20 वर्ष हुए हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में गत 200 वर्षों में संविधान में केवल 24 बार संशोधन किये गए हैं। संसार के सबसे पुराने संविधान अर्थात स्विट्जरलैंड के संविधान में गत 600 अथवा 700 वर्षों में केवल 50 बार संशोधन किये गये हैं, क्या फिर भी कोई कह सकता है कि उनके समाज का कोई विकास नहीं हुआ है तथा उन्होंने प्रगति नहीं की है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि विधि आयोग जिसका गठन स्वयं सरकार द्वारा किया गया था, की सिफारिशों को अभी तक क्यों स्वीकार नहीं किया गया है? यह बेहतर होता यदि विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया होता तथा इस विधेयक के क्षेत्राधिकार को अनुच्छेद 19 के केवल उन्हीं अंशों तक सीमित रखा गया होता जो सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं। यदि सरकार के इरादे साफ हैं तो वे ऐसे मामलों को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों रखते हैं? यदि भूमि का सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अर्जन कर लिया जाता है तथा विधान मंडल द्वारा बहुत कम मुआवजा दिया जाता है, अथवा मुआवजा

बिलकुल नहीं दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि इस उपाय को मनमाने ढंग से प्रयुक्त किया जायेगा। भूतपूर्व नरेशों तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में सरकार को कुछ कठिनाई हुई हैं, केवल इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों, सम्मान और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिये।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मुझे खुशी है कि 10 नवम्बर, 1949 को संविधान के तृतीय वाचन के समय मैंने जो भविष्यवाणी की थी, वह सही सिद्ध हुई है। उस समय मैंने कहा था कि मैं सम्पत्ति से सम्बन्धित अनुच्छेद 31 को देश में पूंजीवाद का द्योतक समझता हूं तथा मैं समझता हूं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित जनता के प्रतिनिधि इस अनुच्छेद को एक दिन अवश्य बदल देंगे जिसके कारण समुदाय के लिए उत्पादन के साधनों का समाजीकरण किया जाना असंभव है। यह सौभाग्य की बात है कि इस विधेयक में अनुच्छेद 39 के भाग (ख) और (ग) को संविधान में मूल अधिकारों के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। यदि सब नीति निदेशक सिद्धान्तों को इस विधेयक में शामिल कर लिया गया होता, तो बेहतर होता क्योंकि वे वास्तव में समाजवाद के प्रतीक हैं।

मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं, चाहे उनकी सूचना सदस्यों द्वारा दी गई हो अथवा स्वयं मंत्री महोदय द्वारा। यदि कोई संशोधन आवश्यक है तो वह यह है कि अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 19 (च) और (छ) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।

*__श्री नागेश्वर राव__ (मचिलीपट्टणम) : इस समय एक भी नागरिक ऐसा नहीं हैं जिस पर राजनीति का प्रभाव न हो तथा न्यायाधीश भी इस में कोई अपवाद नहीं है। हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा जो नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है वह न केवल राजनीतिज्ञों अथवा प्रशासकों के लिए आवश्यक है बल्कि न्यायाधीशों के लिए भी समान रूप से आवश्यक है, जो न्याय करते हैं। आज विधि और राजनीति में भीषण संघर्ष हो रहा है अत: यह आवश्यक है कि उन राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के लिए नये वातावरण का निर्माण हो जिन्हें न्याय और विधि की रक्षा करनी है। सरकार का यह संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह निदेशक सिद्धांतों को समुचित विधान द्वारा कार्यान्वित करायें और इसीलिए अदालतों को उनका संरक्षण करने में काफी जागरूक करना चाहिये।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं समझता हूं कि इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिए था।

विधि मंत्री ने इस विधेयक और सरकार की विचार धारा की आवश्यकता का भली भांति स्पष्टीकरण सभा से कर दिया है।

हम अपने देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं परन्तु कम्युनिस्ट मार्क्सवादियों की तरह नहीं वरन् प्रजातांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से लाना चाहते हैं।

---

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Telugu.

मैं चाहूंगी कि श्री पीलू मोदी सभा की कार्यवाही में गम्भीरता पूर्वक भाग लिया करें। उन्होंने निदेशक सिद्धान्तों और मूल अधिकारों के बारे में बिना सोचे समझे कुछ कहा है। स्वतन्त्र पार्टी का सरकारी क्षेत्र मुख्य लक्ष्य रहा है। मैं श्री पीलू मोदी और उनके सहयोगियों से जानना चाहूंगी कि सूती कपड़ा मिलों को किसने अल्यवस्थित किया है चाहे वे अहमदाबाद में हों अथवा देश के किसी अन्य भाग में। हमें उपदेश देने की बजाय श्री पीलू मोदी को गैर सरकारी क्षेत्र में जाकर वह सुधार स्वयं करने चाहिए जिनको वह सरकारी क्षेत्र में कराना चाहते हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मुझे गलत राय से उद्धृत किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने बिल्कुल उद्धृत नहीं किया है।

श्री पीलू मोदी : मैंने दूसरी चर्चा के समय सरकारी क्षेत्र के बारे में ये बातें कही थीं (**व्यवधान**) मैंने कहा था कि सरकारी क्षेत्र को ही लीजिये इसमें धन गैर-सरकारी हाथों में जमा होता जाता है। हमने कहा कि सरकारी क्षेत्र लाभ नहीं कमा रहे हैं परन्तु सरकार कहती है कि संविधान द्वारा सरकार को नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक हित के लिए चलाने चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह बात उस बात से विपरीत नहीं है। यह सही है कि हमारे कुछ सरकारी उपक्रम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मैं सत्य नहीं छिपाना चाहती परन्तु माननीय सदस्य असत्य को स्पष्ट करना चाहते हैं और सत्य को छिपाना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

देश ने जो कुछ प्रगति की है उसे कम बताना, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, समूचे राष्ट्र पर आरोप लगाना होगा।

निदेशक सिद्धान्तों में जो कुछ कहा गया है उसे इतने कम समय में पूरा करना क्या इन सिद्धांतों के निर्धारण करने वालों ने कभी सोचा था ? गरीबी ऐसी समस्या है जिसकी जड़े गहरी जमी हुई हैं और जिस का समाधान केवल कठिन परिश्रम से हो सकता है। हमें ये संशोधन इसी लिए करने पड़ रहे हैं कि हमारे मार्ग में जो बाधायें हैं वह दूर हो जानी चाहिये ताकि गरीबी, असमानता हटाई जा सके और जनता को आवश्यक सुविधायें दी जा सकें।

अधिकारों के मनमाने प्रयोग की बातें करना हास्यास्पद है जब हमने समझा कि अदालती फैसलों से निदेशक सिद्धान्तों की क्रियान्विति असंभव है तो जनता के समक्ष हमने वह बात रखी जो स्पष्ट है।

मैंने एक माननीय सदस्य से "ईमानदारी का कार्य" शब्द पहली बार सुना है। उन्होंने खून-पसीने की बात कही है परन्तु क्या सम्पत्ति के मालिकों ने कभी खून-पसीना बहाया है ?

रक्त और पसीना बहाने की बात कही गयी है। निःसन्देह यदि किसी का खून और पसीना बहा है तो वह उन लोगों का खून और पसीना बहा है जिनके श्रम से सम्पत्ति मालिक समृद्ध हुये हैं।

श्री एन्थनी ने निरक्षरता के विषय में भी कहा है। हम सभी इस बात से चिंतित है कि साक्षरता में उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। हमें विश्वास है कि इन 24 वर्षों

के दौरान हमारे देश वासियों को बहुत सी बातों का ज्ञान हुआ है और यह ज्ञान विकसित देशों के शिक्षित लोगों के ज्ञान से निम्नस्तर का नहीं है।

मतों पर दृष्टि रखने के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। क्या किसी भी देश में, ब्रिटेन में, अमरीका में कोई भी दल ऐसा है जो मतों पर दृष्टि न रखता हो ? क्या राजनीति से संबंध रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतों से सम्बन्ध न रखता हो ?

बाजार मूल्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। बाजार मूल्य क्या होता है ? इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। समाज द्वारा निवेश करने, भूमि तैयार करने, सड़कें बनाने, तथा उद्योग स्थापित करने के कारण सम्पति की कीमत बढ़ी है। हम यह बात स्वीकार नहीं करेंगे कि समाज द्वारा दिये गये निवेश का लाभ कुछ ही लोगों को मिले। जनसाधारण के पसीने के बल पर गैर-सरकारी लाभ कमाए जाने का विचार हमारे दल तथा राष्ट्र की भावना के प्रतिकूल है।

मैं पुन: यही कहता हूं कि इस संशोधन द्वारा हम सांविधान को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। यह तो संविधान के लक्ष्य को सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रयास है। संविधान निर्माताओं ने गैर-सरकारी सम्पत्ति के अनियमित अधिकार की कल्पना नहीं की थी और न ही वे यह चाहते थे कि सम्पत्ति का अधिकार सामाजिक-आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधक बने।

श्रीकृष्ण मेनन ने चिन्ता व्यक्त की है कि हम न्यायपालिका में लोगों का विश्वास समाप्त कर रहे हैं। हम न्यायपालिका को कमजोर नहीं बनाना चाहते। हमारा कहना तो यह है कि न्यायपालिका संसद के अधिकारों को अपने हाथ में न ले। मैं इस विचार से पूर्णतया सहमत हूँ कि एक निष्पक्ष न्यायपालिका कानूनी प्रशासन के लिए अनिवार्य है।

अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत से सदस्य चिंतित हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यकों उनके शैक्षिक तथा धार्मिक संस्थानों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यकों के समक्ष बहुसंख्यकों की उपेक्षा की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। हमारा उद्देश्य बहुसंख्यकों के मूल्य पर अल्प संख्यकों को लाभ पहुँचाना नहीं है। प्रत्येक देश में बहुसंख्यकों का एक उत्तरदायित्व होता है। बड़े आदमियों की छोटों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हमें विश्वास है कि ऐसा दिन शीघ्र ही आयेगा जब प्रत्येक आदमी यह विश्वास करेगा कि उसे उसका न्यायसंगत अधिकार प्राप्त हो सकता है।

मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों का अभिप्राय निर्धन तथा दुर्बल व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना है। यदि मूल अधिकारों के उल्लेख से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ मिलता है तो यह संविधान के अभिप्राय का गलत अर्थ निकालना ही होगा।

मेरे विचार से संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में कोई विरोधाभास नहीं है। वे एक-दूसरे के पूरक-अनुपूरक हैं। इन शब्दों के साथ मैं संशोधनों की प्रशंसा करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह कहा गया है कि इस संशोधन से संविधान के आधारभूत सिद्धांतों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। शायद इस कथन का आधार गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें कहा गया है कि मूलभूत अधिकार संविधान के आधारभूत ढांचे के स्तम्भ हैं। हम सदैव ही जनता की इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल कार्य करते हैं। हमारी विचारधारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर नहीं बनी हैं, अपितु हमने लोगों की महत्वाकांक्षाओं तथा इच्छाओं को पूरा करने के लिये जो कुछ उचित समझा है, उसके आधार पर उसका निर्णय किया है।

नीति निर्देशक तत्त्व उस समय से ही जब से संविधान के आधारभूत स्तम्भ हैं। संविधान के एक अनुच्छेद में भी यह कहा गया है। "मूल" शब्द का उपयोग केवल "मूल अधिकारों" के संदर्भ में ही प्रयोग नहीं किया गया है, परन्तु यह कहा गया है कि मूल तत्त्व देश के शासन में मूल तत्त्व हैं और राज्य का यह दायित्व होगा कि वे ऐसी विधियां बनाये, जो इन मूल तत्त्वों के अनुकूल हों।

श्री एंथनी ने मुझ से पूछा था कि क्या अनुच्छेद 26, 25, 29 और 30 के अन्तर्गत अधिकारों को छीन लिया जायेगा ? क्या किन्ही समर्थकारी उपबन्धों से अधिकार छीने जा सकते हैं ? मैंने तो कभी ऐसी बात सुनी नहीं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इससे सरकार को अधिकार छीनने की शक्ति मिलती है ? (**व्यवधान**)

श्री एच० आर० गोखले : सभा में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि इस विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय को उनकी राय जानने के लिये भेजा जाये। संविधान (24वां संशोधन) विधेयक के संबंध में भी इसी प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया गया था। क्या मैं समझूं कि ऐसी स्थिति आ गई है कि हम राजनीतिक एवं आर्थिक मामले पर, जिन्हें देश के हित में समझते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले। वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालय सब से बड़ा न्यायधिकरण है। सर्वोच्च न्यायालय का निष्पक्ष रहना लोकतंत्र का आधार है। अतः हमें उसे राजनीतिक एवं आर्थिक विवादों से अलग रखना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति हर लोकतंत्र में पैदा हो जाती है। परंतु हर स्थान पर ऐसी नीतियों को लागू करने में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने का हमेशा विरोध किया जाता रहा है। आज जो लोग इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, वे जानते हैं कि इस विधेयक के पास हो जाने पर इस देश में निहित स्वार्थों और एकाधिकारवादियों का अंत हो जायेगा। श्री श्यामनंदन मिश्र ने कहा था कि हम अन्य निदेशक सिद्धांतों को कार्य रूप नहीं दे रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित मजूरी मिलनी चाहिये। हम भी इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। परन्तु वह वैसी स्थिति लाने में हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने निदेशक सिद्धांतों को कार्यरूप देने वाले इस विधेयक का कोई समर्थन नहीं किया है। सम्पत्ति के अधिकार के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। सम्पत्ति को सामाजिक न्याय का साधन बनाया जाना चाहिये। इसे देश में गरीबी समाप्त करने का साधन बनाया जाना चाहिए। सम्पत्ति केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं होनी चाहिये। यदि सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहती है तो देश के अधिकांश लोग सम्पत्ति से वंचित रह जायेंगे। इतना ही नहीं श्री हेगडे के अनुसार ऐसी स्थिति में वह सम्पत्ति ही नहीं रह जायेगी। देश में गरीबी हमेशा के लिये बनी

नहीं रह सकती। अतः सामाजिक न्याय के लिये सम्पत्ति पर नियंत्रण में प्रगति का आधार मान लिया गया है और इसी आधार पर यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक पर विचार करे।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मन्त्री महोदय उत्तर दे कि क्या इस विधेयक से उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाएं छीन लेने का अधिकार मिल जाता है ?

श्री एच० आर० गोखले : इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके अधिकार छीन लिये गये हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना चाहिये कि क्या उन्हें इस विधेयक से अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार छीन लेने की शक्ति प्राप्त होती है ? **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जहां तक अल्पसंख्यक संस्थाओं का संबंध है, इससे वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं यह नहीं पूछता हूं कि वह ऐसा करेंगे या नहीं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या इससे उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाएं अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार मिल जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23 और 24 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 23 and 24 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 363	विपक्ष में : 29
Ayes : 363	Noes. : 29

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा करेंगे ।

खण्ड 2

Clause 2

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संशोधनों सम्बन्धी अपनी पर्चियां भेज सकते हैं ।

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 7 में

'उसके किसी भाग को नकद दिये जाने से अन्यथा दिया जाना है' ।" 2

के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित करें** :

'उसके किसी भाग को नकद दिये जाने से अन्यथा दिया जाना है ।'

परन्तु अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित, शिक्षा संस्था की किसी सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबन्ध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत अथवा उसके अधीन अवधारित रकम उतनी है जो उस खण्ड के अधीन गारण्टी किये गये अधिकार को निर्बंधित अथवा निराकृत नहीं करती ।"

श्री शंकरराव सावन्त (कोलाबा) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मैं संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : मैं संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं संशोधन संख्या 42 और 44 प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड तथा संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : संशोधन संख्या 57 आज प्रातः ही परिचालित किया गया है । यदि माननीय मंत्री बाद में कुछ कहेंगे तो मुझे आशा है कि हमें भी बोलने की अनुमति दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसको पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : हमें संशोधन संख्या 57 पर बोलने का अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ सदस्यों को दो या तीन मिनट तक बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री एच० आर० गोखले : संशोधन 57 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 30(1) में मिले हुए हैं, रक्षा करना है । यह शैक्षिक संस्थाओं के बारे में

है। इस बारे में पिछले सत्र में तथा इस सत्र में भी कुछ सन्देह व्यक्त किया गया था इसलिए इस सन्देह को दूर करने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : ऐसा लगता है कि दल के कुछ आंतरिक दबाव के कारण ऐसा किया जा रहा है। यदि श्री गोखले का कहना ठीक है कि वह संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में दिये गये अधिकारों की पुष्टि कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि वह इसको अल्पसंख्यकों पर न थोपें।

जहां तक बाजार मूल्य पर मुआवजा देने का प्रश्न है, मेरा निवेदन यह है कि मुआवजा नकदी में दिया जाये।

माननीय मंत्री ने शब्द 'एबरोगेट' का प्रयोग किया है हालांकि वह शब्द 'रेस्ट्रिक्ट' का प्रयोग कर सकते थे। ऐसा लगता है कि यह सब एक मजाक है। मैं निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें और अल्पसंख्यकों के साथ और मजाक न करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में जो अधिकार दिया गया है उनकी रक्षा की जाये। यह अधिकार असीमित सम्पत्ति रखने का नहीं बल्कि शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने तथा उनका प्रशासन चलाने के बारे में है।

कुछ ऐसी शैक्षिक संस्थाएं भी हैं जिनकी अपनी भूमि तथा कारखाने आदि भी हैं और उनसे संस्थाओं को आय होती है। इस संशोधन के पास होने के पश्चात् भी सम्पत्ति को शैक्षिक संस्थाओं के नाम पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। इसके विरुद्ध कोई सुरक्षोपाय नहीं किये गये हैं। कोकिंग कोपलाखानों के कुछ मालिक मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि इन खानों की आय से कुछ धर्मार्थ न्यास तथा शैक्षिक संस्थायें चलाई जाती हैं। उनका कहना है कि इनको विधेयक के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया जाये। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बिड़ला बन्धुओं जैसे कुछ लोग जो बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय में हैं, अपनी सम्पत्ति को शैक्षिक संस्थाओं के नाम स्थानांतरित कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ऐसी स्थिति के लिए क्या करने जा रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूं क्योंकि देश के अनेक भागों में शैक्षिक संस्थाओं के नाम पर नियमित रूप से व्यापार चल रहा है। मैंने अपने भाषण में केरला स्थित कैथोलिक चर्च का उदाहरण दिया था।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने विधेयक की भावना के अनुकूल ही संशोधन दिया है। मैं चाहता हूं कि 'मुआवजा' शब्द के स्थान पर वास्तविक मामलों में 'पुनर्वास प्रयोजनों हेतु राशि' शब्द रखे जायें। हो सकता है कि 'राशि' शब्द का भी दुरुपयोग किया जाये।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajahpur) : With the introduction of this amendment it is clear that Government is doing everything in haste. This is an enabling provision and we know what the Government is going to do because we have twenty four years' record of this Government before us.

I am not against the distribution of property. But here the question is that of acquiring the property. We have seen that during the last twenty four years, the public

sector has not served the poor well. It has done no good to the poor. In the name of property the Government should not take away from the people their other Fundamental Rights. The hon. Prime Minister has stated that tiller of the soil should be the owner. If Prime Minister is honest in implementing this principle then she should have transferred land in the name of the farmer who tills that land. We have not opposed the question of imposing ceiling on the land. We have also not opposed the abolition of Zamindari.

The people who are going to be affected by the nation Project have demanded that arrangements for their rehabilitation may be made first of all. The oustees of the tungabhadra project have not yet been paid compensation. Moneyed people have never been apprehended under the land. Even in the State Bank praud Shri Malhotra has not been punished. The definition of property should be changed according to the changed circumstances. We are not against it. Our apprehensions are only that this may not pave the way for abolishing the other fundamental rights.

We believe in democracy and we should not denigrate the courts. I demand that Government should pay full compensation to the persons against their property while acquiring it. If Government makes such provisions we will also support it.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : विधि मन्त्री महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 के प्रतिस्थापन में जो संशोधन किया गया है वह संक्षेप है तथा उससे अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों के बारे में और शंकाएं उठती हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम उस संशोधन में से 'एबरोगेट' शब्द को अवश्य निकाल दें।

मैंने अपने सशोधन संख्या 26 में यह कहा है कि छोटी सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को संरक्षण मिलना चाहिये। मैंने यह भी कहा है कि शिक्षा संस्थाओं के बारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

शिक्षा संस्थाओं को दी जाने वाली राशि नकदी में मिलनी चाहिये। जहां तक छोटी सम्पत्ति वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उन्हें भी नकद भुगतान होना चाहिये तथा एक वर्ष के अंदर ही भुगतान होना चाहिये। हमें अनुभव है कि मुआवजे की राशि कई मामलों में 10 वर्ष तक नहीं चुकाई जाती। ऐसी स्थिति में छोटी सम्पत्ति वाले व्यक्तियों की दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। अत: मेरा यह सुझाव है कि छोटी सम्पत्ति वाले व्यक्तियों तथा शिक्षा संस्थानों को चालू मूल्य पर मुआवजा मिलना चाहिये।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : संविधान के अनुच्छेद 31 में एक नया खण्ड 2 (ख) जोड़ा जा रहा है जिसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों के बारे में खण्ड 2 की शक्तियों के अन्तर्गत पारित किये जाने वाले कानून की सुरक्षा करना है।

मेरा सुझाव है कि अनुच्छेद 19 के खण्ड 1 के उप-खण्ड (छ) जो नये खण्ड में जोड़ दिया जाये। ऐसा करने से व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आ जायेगा। जन हित के लिये किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति अधिग्रहीत की जा सकती है जिसका उपबन्ध उपखंड (च) में है। कई जगहों पर कुछ व्यक्तियों के पास 100-100 बस मार्ग हैं जिनको सरकार अपने अधिकार में ले सकती है। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है कि व्यापार तथा व्यवसाय के अधिकार सम्बन्धी उपबन्ध को इसके अन्तर्गत रखना चाहिये।

श्री समर गुह : मैं श्री इन्द्रजीत और श्री समर मुखर्जी के विचारों का समर्थन करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को किसी भी समुदाय, चाहे वह अल्प-

संख्यक या बहुसंख्यक हों, के शिक्षा संस्थानों के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिये क्योंकि यदि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों के प्रति उदारता बरती जानी है तो अन्य समुदायों में उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होगी।

कुछ धनी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की इस प्रकार के शिक्षा अथवा कार्मिक संस्थानों में लगाकर उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। साथ ही अल्पसंख्यक धर्मगत भी हैं तथा भाषागत भी। एक समुदाय एक राज्य में बहुसंख्यक हो सकता है तथा अन्य राज्य में अल्पसंख्यक। अतः इस सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून बनाये जाने की भी आवश्यकता है।

Shri Ramavatar Shastri : My amendment is as follows :

Page 1,—

for lines 13 to 16, substitute—

"manner as may be specified in such law ; and no such law shall be called in question in any court on any ground whatsoever."

The purpose of my amendment is that no man can get any opportunity to browbeat that law.

So many persons, specially in Chhota Nagpur, belonging to Anand Marg have been utilising their property and money in running educational institutions in the name of *Adivasis*. They are trying to find out several loopholes to save their property. Therefore, Government should accept my amendment in order to plug these loopholes.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I demand that wherever the property of Harijans and Adivasis is acquired they should be paid compensation at market rate.

श्री एच० आर० गोखले : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस संशोधन के बारे में व्यक्त की गई शंका सच नहीं है। यदि वह इस संशोधन को ध्यान से पढ़ें तो उन्हें विदित होगा कि इसमें अनुच्छेद 30 (1) में अल्पसंख्यकों को दी गई सुरक्षा को दोहराया गया है। इसमें न तो कोई नया अधिकार दिया गया है और न किसी अधिकार को छीना गया है। यह आशंका व्यक्त की गई थी, कि अल्प संख्यकों को दिये गये अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि सभी मामलों में इस अधिकार का उचित उपयोग होता है। इस संशोधन का अभिप्राय अनुच्छेद 30 में कुछ जोड़ने अथवा उनमें से कुछ कम करने का नहीं है। इसमें अल्प संख्यकों की परिभाषा भी नहीं दी गई है। यह कार्य न्यायालय का है कि वह किस प्रकार इसकी व्याख्या करता है।

अतः इस संशोधन का प्रयोजन केवल इतना है कि संविधान में जो अधिकार दिये गये हैं उनकी रक्षा हो सके। इसके द्वारा उनमें कोई विस्तार नहीं किया गया।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने बाजार भाव पर मुआवजे की बात कही है। मेरा निवेदन है कि यदि अनुच्छेद 30 में बाजार भाव पर मुआवजा देने का उपबन्ध नहीं है तो इस संशोधन के द्वारा उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार का अभिप्राय इस अधिकार में कोई विस्तार करने का नहीं है।

जहां तक अल्प सख्यकों के शिक्षा संस्थानों को आरक्षण दिये जाने का सम्बन्ध है यह संरक्षण संविधान में पहले से ही दिया गया है तथा इसमें किसी प्रकार के पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं है। बहुसंख्यक अपने हितों के अनुकूल कार्य कर सकते हैं तथा अल्प संख्यकों को कई बातों पर उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अतः जब कोई कार्य अल्प संख्यकों के हित में नहीं होता

तो वह कह सकते हैं कि अल्प संख्यक होने के कारण उन्हें घाटा रहा है । अतः मैं इसको भेदभाव-पूर्ण कार्यवाही न मानता ।

वास्तव में 'राशि' शब्द का उल्लेख किये जाने के कारण यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि सम्भवतः सम्पत्ति का सही मुआवजा नहीं दिया जायेगा । मुआवजे की बात सम्पत्ति के स्वरूप के ऊपर निर्भर करती है । कोई सम्पत्ति ऐसी हो सकती है जिससे पालिका ने काफी लाभ अर्जित कर लिया है ऐसी स्थिति में उसे बाजारभाव पर मुआवजा देना उचित नहीं है । अतः यह निर्णय तो संसद को करना है कि किस सम्पत्ति का मुआवजा कितना दिया जाये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र के संशोधन के बारे में मेरा कहना है कि निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत आने वाली सम्पत्ति के अधिग्रहण के बारे में संशोधन संख्या 25 और 26 में उपबन्ध किये गये हैं ।

नगरीय सम्पत्ति का मामला भिन्न है इसमें कई बातों पर विचार किया जाता है, जैसे सम्पत्ति कहां स्थित है, उससे कितनी आय होती है, आदि आदि । नगरीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में कई मामलों में बाजार भाव पर मुआवजा देना उचित नहीं हो सकता मैं एक बार पुनः यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन का उद्देश्य किसी व्यक्ति की अपने उपयोग के लिए रखी गई सम्पत्ति का अधिग्रहण करना नहीं है । इसका उद्देश्य केवल उस सम्पत्ति को अधिग्रहीत करना है जो कुछ हाथों में हैं तथा जिसकी उत्पादिता उन्हीं कुछ लोगों के हाथ में है । इसका यही उद्देश्य है कि उसका उत्पादन समस्त राष्ट्र के लिए हो सके ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अनुच्छेद 31 (क) और अनुच्छेद 31 (ख) में क्या सम्बन्ध है ?

श्री एच० आर० गोखले : मूल अनुच्छेद 31 (1) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा । इसे रखा गया है । इसी प्रकार मूल अनुच्छेद 31 (2) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना तथा सार्वजनिक कार्य के बिना उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा । इसे भी रखा गया है । अतः खंड (1) प्रमुख है तथा अन्य खण्डों को उसके अनुकूल रखा गया है ।

संशोधन संख्या 14 के बारे में मैं कारण बता चुका हूँ तथा मैं और विस्तार में नहीं जाना चाहता । बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय की भी यह धारणा थी कि अनुच्छेद 31 और 19 परस्पर पृथक हैं । अतः यह जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद 19 भी इस बारे में लागू होता है अथवा नहीं । अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत सम्पत्ति का अर्जन किया जाना भी वैध नहीं बताया गया । उस अर्जन को अनुच्छेद 19 के उपबन्ध के अन्तर्गत परीक्षा करनी होगी । अतः उसी कठिनाई से बचने के लिए अनुच्छेद 19 (1) (च) जोड़ा गया है । सम्पूर्ण खण्ड में सम्पत्ति के अर्जन, पास रखने तथा बेचने के अधिकार का उल्लेख किया गया है, उससे व्यवसाय या व्यापार का सम्बन्ध नहीं हैं ।

उदाहरण के तौर पर आपको पता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था परन्तु वे बैंकिंग कम्पनियां आज भी विद्यमान हैं जिन्हें मुआवजा दिया जा चुका है । वे पुनः व्यवसाय कर सकती है । अतः इस तथ्य का, कि हमने अनुच्छेद 19 (1) भी का उल्लेख नहीं किया है, यह अर्थ नहीं है कि व्यावसायिक लोगों की सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता ।

मैं समझता हूं श्री कछवाय ने अन्य समुदायों की सम्पत्ति का उल्लेख किया है।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : The people belonging to scheduled classes do not possess properties.

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ठीक कह रहें हैं। इन कानूनों से बड़े-बड़े सम्पत्ति वाले उत्तेजित हुए हैं।

श्री शंकर राव सावंत (कोलाबा) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The Amendment was, by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14, 26, 33, 35, 42, 44, 49 **और** 51 **मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

Amendment no 14, 26, 33, 35, 42, 44, 49 and 51 were put and negaived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 16 :

for 'such a amount is to be given otherwise than in cash.

substitute—

('उसके किसी भाग को नकद दिए जाने से अन्यथा दिया जाना है।'

के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** करें) :

'such amount is to be given otherwise than in cash :

Provided that in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, referred to in clause (1) of article 30, the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acpuisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause". '

('उसके किसी भाग को नकद दिए जाने से अन्यथा दिया जाना है'।

परन्तु अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित, शिक्षा संस्था की किसी सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबन्ध करने वाली कोई विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत अथवा उसके अधीन अवधारित रकम उतनी है जो उस खण्ड के अधीन गारंटी किए गए अधिकार को निर्बन्धित अथवा निराकृत नहीं करती।' (57)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	316	विपक्ष में	35
Ayes	316	Noes	35

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	326	विपक्ष में	27
Ayes	326	Noes	27

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान में भाग ले रहे सदस्यों के दो तिहाई से अधिक बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 3—(नये अनुच्छेद संख्या 31-ग का अन्तःस्थापन)

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य खण्ड 3 में अपने संशोधन पेश करना चाहते हैं, वे खड़े हो जायें ।

श्री फ्रैंक अन्थनी : मैं अपने संशोधन संख्या 2, 3, 4 और 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 27, 28 और 30 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) । मैं अपना संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 46, 47 और 48 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Article 3 of the Bill is being justified on the plea that it would help in the implementation of Directive principles of State policy. Here I would like to quate the Law Commission.

> "It is obvious that the whole of article 31C as at present drafted is to enable Parliament and State legislatures to pass laws with the object of implementing the Directive Principles in questions. If it is so, we see no justification for excluding judicial inquiry into the question about the existence of any rational nescus between the law and the object intended to be achieved by it."

In that situation the Parliament on the State legislatures should declare that they are enacting laws for implementing the Directive principles. Apart from that courts should have right to see whether these laws actually implement the Directive Principles.

Will the equality before law guaranteed under Article 14 also be done away with ? Certain industries have been nationalized in some States while that has not been done in other States.

[**Mr. Deputy-Speaker** *in the Chair* **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

Have the pecularities been examined ? If the Law Minister is sincere while stating that they do not intend to cover all the Fundamental Rights under this Bill, he should declare that Articles 19 (A) to (E) would not be covered under it.

The rights do not come to an end with the passage of this Bill. But this process would open the door for the restrictions on the rights.

श्री समर मुखर्जी : खन्ड 3 द्वारा अनुच्छेद 19 को इस विधेयक के अधीन लेने का यत्न किया गया है। यदि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं छीन ली जाती हैं तो देश में तानाशाही आ जाएगी।

बंगाल में जनतांत्रिक आंदोलनों के दबाये जाने का हमें कटु अनुभव है।

समूचे पश्चिम बंगाल में अर्धतानाशाही आतंक शासन छाया हुआ है। एक गैर-सरकारी अनुमान के अनुसार लगभग एक लाख से अधिक वारंट जारी किये जा चुके हैं। आप आसानी से इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल द्वारा किस प्रकार मूल अधिकारों की रक्षा की जा रही है। श्रमिक संघों को तोड़ा जा रहा है, श्रमिक नेताओं को बरखास्त किया जा रहा है। इसी कारण हमने सुझाव दिया था कि केवल (च) और (छ) धाराओं को जिनका सम्बन्ध सम्पत्ति से है खण्ड 3 के, अन्तर्गत रखा जाना चाहिए न कि अन्य मूलभूत अधिकारों को भी। पिछले 24वें संविधान संशोधन विधेयक में भी हमने इस संशोधन को रखा था यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था किन्तु ऐसा लगता है कि विधि मंत्री का इस ओर ध्यान नहीं गया।

मैंने यह निवेदन किया था कि अनुच्छेद 31(2) के संशोधन को ध्यान में रखते हुए क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि 31(ग) की क्या आवश्यकता है क्या संशोधित अनुच्छेद 31(2) अनुच्छेद 39(ख) और (ग) पर भी लागू नहीं होगा। क्या आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीयकरण तथा भौतिक संसाधनों के वितरण को सार्वजनिक उद्देश्य के अन्तर्गत नहीं माना जाता और यदि इसे सार्वजनिक उद्देश्य माना जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 39(2) ही पर्याप्त है और यदि सावधानी के तौर पर 31(ग) को रखना आवश्यक समझा जाता है तो प्रश्न उठता है कि क्या अनुच्छेद 19 के समूचे वर्ण्य विषय को भी इसमें निहित किया जाए। कल ही इस्पात मंत्री ने बताया कि ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 31(क) में भी है। 31(क) का सम्बन्ध कुछ विशिष्ट तथा ठोस बातों से है जबकि अनुच्छेद 39 बड़ा विस्तृत तथा अस्पष्ट है। उसकी आसानी से व्याख्या नहीं की जा सकती।

अतः इस खण्ड में अनुच्छेद 19 के समूचे क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसे केवल 19 (ग), (च) और (घ) तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। विधि आयोग की सिफारिश भी यही थी। यह बड़ी विचित्र बात है कि जहां तक 39 (ख) और (ग) के लागू करने का सम्बन्ध है वहां अनुच्छेद 14 को निष्क्रिय कर दिया जाए। यदि इसे उनके मार्ग में नहीं दिया गया तो इसका अर्थ यह होगा कि नागरिक को संविधानिक रूप से विरोध प्रकट करने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

यह घोषणा कि किसी न्यायलय द्वारा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती उचित नहीं। इसे न्यायलय में चुनौती देने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिए गए अल्पसंख्यकों के, चाहे वे धर्म अथवा भाषा पर आधारित हो, मूल अधिकारों का हनन करता हो।

यह प्रश्न दस बार पूछा गया है कि क्या अनुच्छेद 1 (ग) के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किन्तु सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी आश्वासनात्मक उत्तर नहीं दिया गया। अतः मैंने इस संशोधन को पेश करना उचित समझा है।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय): मेरे 4 संशोधन हैं किन्तु इस समय मैं इनमें से केवल 3 तीन पर ही बोलूंगा।

संशोधन संख्या 2 अनुच्छेद 31 (ग) से अनुच्छेद 14 और 19 को हटाने की बात कहता है।

माननीय मंत्री ने मुझे गलत उद्धरित किया है। मैंने केवल यह कहा था कि आप सम्पत्ति अधिकार को अगर निकाल दें तो वह अधिक ईमानदारी की बात होगी। किन्तु सरकार क्या कर रही है? वह समस्त मूलभूत अधिकारों को समाप्त करने जा रही है, वह सभी प्रकार की स्वतंत्रता समाप्त कर रही है सभी प्रकार के भेद-भावों को वैध बना रही है और वह अनुच्छेद 19(1) (क) में दिए गए भाषण की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 (ख) में उल्लिखित शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता को नष्ट कर रही है। वह संस्थाओं के बनाने के अधिकार और किसी भी कार्य को करने के अधिकार को नष्ट करने जा रही है।

मैंने अपने अगले संशोधन संख्या 3 में कहा है कि इस घोषणा को, कि किसी भी न्यायालय द्वारा इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, हटा दिया जाए। विधि आयोग ने कहा है कि इसे न्याय योग्य बनाया जाए किन्तु श्री गोखले ने इसे अस्वीकार कर दिया है।

मेरा अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन संख्या 5 है। मैं श्री गोखले से कई बार पूछ चुका हूं कि क्या अनुच्छेद 31 (ग) के अन्तर्गत कोई भी विधान मण्डल ईसाई कालेजों और स्कूलों, सिख कालेजों और स्कूलों आदि की सम्पति को अधिकार में ले सकता है। मुझे इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर चाहिए। साम्यवादी 1958 से लेकर ईसाइयों के कालेजों, स्कूलों और एंग्लोइण्डियन स्कूलों की सम्पति-हरण का प्रयत्न करते रहे हैं और अब साम्यवादी उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 31 (ग) से लाभ उठाएंगे।

मैं सरकार से एक स्पष्ट आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 31 (ग) के अन्तर्गत केरल की कोई भी अच्छी या बुरी सम्मिलित साम्यवादी सरकार अल्पसंख्यकों को स्कूलों और कालेजों के प्रबन्ध को अपने हाथ में नहीं लेगी।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम: मेरे संशोधन संख्या 18 का आशय अनुच्छेद 310 के परन्तुक को हटाना है जिसमें किसी विधान के लागू होने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति अर्थात केन्द्रीय सरकार की सहमति अनिवार्य है। ऐसा तो है नहीं कि आमूल सुधार केवल केन्द्रीय सरकार ही करती है। कई राज्यों ने भी शिकायत की है कि ऐसे विधान का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हुआ जबकि केन्द्र को भी किन्हीं राज्यों से ऐसी ही शिकायत है।

मेरे विचार में इस परन्तुक से राज्य सरकारों पर अंकुश लग जाता है। मैं जानना

चाहता हूं कि क्या यह परन्तुक संविधान में जोड़ते समय राज्य सरकारों से सलाह ली गई थी और यदि नहीं, तो यह उनकी शक्तियों का हनन है। अतः, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा संशोधन संख्या 32 भी वही है और इन्ही मूल कारणों से दिया गया है। केन्द्र राज्यों पर हावी हो जायेगा राज्य सूची के विषयों पर विधान भी यदि इस परन्तुक के अधीन आता हो, तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी। संविधान के निर्माताओं का यह आशय कदापि नहीं था।

शायद ऐसा करने के दो कारण हैं—एक यह आशंका कि राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे—यह संदेह संघीय व्यवस्था के लिये अच्छा नहीं है। इसका कारण यह हो सकता है कि यह उपबन्ध पहले का ही है परन्तु यदि कोई गलत बात चली आ रही है तो उसे ठीक कर देना चाहिये।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्यों को पहली आपत्ति यह है कि हमें पूरे अनुच्छेद 19 के स्थान पर केवल अनुच्छेद 19 (च) और 19 (छ) को लेना चाहिये था जैसा कि विधि आयोग ने सिफारिश की है परन्तु न्यायालयों द्वारा कुछ मामलों में इसी आधार पर गलत निर्णय दे दिये गये हैं। इस पर विधि आयोग का मत है कि यदि उच्चतम न्यायालय पुनः विपरीत निर्णय दे तब इसमें संशोधन किया जाए। इसका अर्थ यह है कि यह आयोग भी सिद्धांत रूप में इस संशोधन का विरोध नहीं करता जसा मैंने पहले भी कहा था विधि आयोग ने हमारा दृष्टिकोण समझा है और वह इस संशोधन पर सहमत है।

दूसरी आपत्ति अनुच्छेद 14 को शामिल करने के बारे में है। विधि आयोग ने यह सिफारिश नहीं की है कि अनुच्छेद 14 को शामिल न किया जाए।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।
Mr. Speaker *in the chair.*]

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्होंने गलत पक्ष लिया है।

श्री एच० आर० गोखले : हर एक को अपनी तरह सोचने का अधिकार है। जैसे आप इस आयोग के प्रत्येक मत से सहमत नहीं हैं इसी प्रकार हम भी आपके और उनके सभी विचारों से सहमत नहीं हैं। इस संबंध में हमने कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ली है और वे भी इसे शामिल करने के पक्ष में हैं। संवैधानिक मामलों से संबंधित सभी वकील जानते हैं कि न्यायालय यदि अनुच्छेद 19 या 31 के अधीन किसी विधान को रद्द नहीं कर पाते थे तो वे अनुच्छेद 14 के अधीन ऐसा कर देते थे क्योंकि यह अनुच्छेद बहुत विशाल है अतः हमारे विचार में यदि इस विधान को उद्देश्यपूर्ण बनाना है तो संसद् की शक्ति सर्वोपरि बनानी होगी। इसीलिए अनुच्छेद 14 को भी शामिल कर लिया गया है।

मैं 'घोषणा' के बारे में विधि आयोग के इस मत से भी सहमत नहीं हूं कि धोखापूर्ण और पक्षपातपूर्ण विधान के मामले में न्यायालय निःसहाय होंगे। क्योंकि कोई खण्ड चाहे वह कितना ही विस्तृत क्यों न हो, पहला सिद्धांत यही होता है कि क्षेत्राधिकार निश्चित करने वाले खण्ड का कठोरता से पालन किया जाता है। अतः यह तर्क संगत नहीं है। हम इसे इसलिए चाहते हैं कि

न्यायालय के पास किसी विधान को रद्द करने का चाहे कितना ही अधिकार क्यों न हो, फिर भी अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) में उल्लिखित निदेशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए किसी विधान के पर्याप्त और काफी न होने का निर्णय देने का अधिकार उसे नहीं है, यह अधिकार केवल संसद् को ही है।

इसलिए सदस्यों के विचारों का आदर करते हुए हमने यह संशोधन न करने का निश्चय किया है।

श्री एनटनी द्वारा उठाए गए प्रश्न का मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं फिर भी मैं दुबारा बता दूं कि अनुच्छेद 31(ग) को देखें तो स्पष्ट है कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 को छोड़ने की बात कही गई है। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25, 26, 29, या 30 को स्पष्ट रूप से छोड़ने की बात नहीं है अतः इनमें उल्लिखित अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार क्योंकि अनुच्छेद 19 को छोड़ा गया है, अतः अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की संपत्ति पर अधिकार करने का प्रश्न ही नहीं है। साथ ही यह नियम है कि एक अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार किसी अन्य अनुच्छेद द्वारा छीने नहीं जा सकते और क्योंकि अनुच्छेद 31 के दूसरे खण्ड में परन्तुक जोड़कर हमने अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित करने पर पुनः जोर दिया है अतः सदस्य महोदय को निश्चित हो जाना चाहिये।

श्री फ्रैंक एनटनी : मूल अधिकारों में से सम्पत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया जाये।

श्री एच० आर० गोखले : यह तर्क दोषपूर्ण है। कोई भी किसी की सम्पति बिना कारण छीनना नहीं चाहेगा और सरकार का यह आशय बिल्कुल नहीं है। आशय तो सम्पत्ति का संचयन न होने देना है और हमने ध्यय भी निर्धारित कर दिया है, अर्थात् सार्वजनिक कार्यों के लिए सम्पत्ति अर्जित की जा सकती है—इससे अधिक न्यायोचित बात और क्या हो सकती है? वास्तव में अनुच्छेद 31 (ग) और (घ) द्वारा छोटे लोगों को अपनी संपत्ति अपने अधिकार में रखने का अधिकार दिया गया है। आशय संपत्ति का अधिकार समाप्त करना नहीं इसे विनियमित करना है, इसीलिए मुआवजे का उपबन्ध अनुच्छेद 31 में रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 2, 3, 4, मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2, 3, और 4 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendments Nos. 2, 3, and 4 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 5 मत विभाजन के लिए रखा जाता है।

सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में 29 ; विपक्ष में 342

The Lok Sabha Divided : Ayes 29 ; Noes: 342

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The Amendment was negatived.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 28 पर मतदान चाहता हूं। शेष दो संशोधनों पर मौखिक मतदान कराया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मै संशोधन संख्या 27 मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 27 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 27 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 28 मतदान के लिये रखा जाता है ।

सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में 36, विपक्ष में-324 ।

The Lok Sabha divided Ayes ; 36, Noes : 324,

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment was negatived.

अब संशोधन संख्या 30 और 34 मतदान के लिये रखे जाते हैं ।

संशोधन संख्या 30 और 34 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The Amendment Noes 30 and 34 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 46, 47 और 48 मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 46, 47 और 48 मतदान के लिये रखे गपे तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendments Noe. 46, 47 and 48 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में 337 ; विपक्ष 22

The Lok Sabha divided ;Ayes 337 : Noes : 22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम लूंगा । **इसके** लिये विशेष बहुमत आवश्यक नहीं है अत: इन्हें मौखिक मतदान के लिये रखा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाये ।"

श्री पी० के० देव : सबसे पहले मैं आपको इस समय बोलने का अवसर देने के लिए आभारी हूं ।

इस समय जबकि देश में एकता परम आवश्यक है, यह विवादस्पद विधेयक लाना उचित नहीं है । 24वें संशोधन विधेयक से संसद् को काफी अधिकार मिल जाते हैं फिर भी यह विधेयक लाकर और इसे जिस शीघ्रता से पारित काराया गया है उससे हमारी आशाओं पर तुषारपात हुआ है क्योंकि 24वें संशोधन विधेयक का समर्थन करने वालों ने भी 25वें संशोधन विधेयक की आलोचना की है ।

इस विधेयक द्वारा सरकार को सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करने के सम्बंध में अन्तिम शक्ति मिल जायेगी, और मुझे भय है कि यह विधेयक पास हो जाने पर नौकरशाही का जुल्म बढ़ेगा । मुझे अनुच्छेद 19 के बारे में अब भी संदेह है यद्यपि मैं इसके खण्ड 1 (छ) का समर्थन करता हूं परन्तु 'भाषण' और 'संघ' के बारे में मुझे स्पष्टीकरण नहीं मिला ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं इस संबंध में कई बार विस्तार से समझा चुका हूं, आश्चर्य है कि सदस्य महोदय अब भी ऐसा कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पास किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय : पक्ष में 353 ; विपक्ष में 20

Ayes 353 ; Noes : 20

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पास हो गया है ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 2 दिसम्बर, 1971/11 अग्रहायण 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha tben adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 2nd December, 1971/Agrahayana 11, 1893 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20, Daryaganj, Delhi-6.